खण्ड-220, अंक-4
बुधवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(15 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभाभवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा , श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर , श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी , श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायणगुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद,श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

पञ्जबरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बंसतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिश्म्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री

मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
संजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अस्थाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री चन्द्रभानु गुप्त ने सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १५ मार्च, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर विद्युत् गृह को पानी की सप्लाई

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि कानपुर में विद्युत गृह को पानी देने के लिये ढाई लाख रुपये लगाकर गंगा नदी से जो नहर खोदी गई थी हाल में पश्चिमी जिलों में अतिवर्षा की वजह से गंगा के पानी की धारा उन्नाव जिले के तट की तरफ हो गई है जिसकी वजह से फिर बिजली के उत्पादन पर असर पड़ रहा है या पड़ने वाला है ?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—पिछली वर्षा के फलस्वरूप 'केसा' के लिये पानी मिलने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हुई न होने की सम्भावना है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नहर ढाई लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी वह अब पानी सप्लाई करने के लिये पर्याप्त नहीं है और क्या सरकार ने कोई दूसरी योजना नहर बनाने के लिये बनाई है ताकि 'केसा' के पम्पिग सेट को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके ? यदि हां, तो वह कितने रुपये की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पानी की कमी मैं नहीं मानता, पानी तो इस नहर में ही आवश्यकता से अधिक है और मैंने तो पहले भी बताया था कि साधारणतः जितने पानी की आवश्यकता है उससे दस गुना पानी इस नहर में है, इसलिये कमी की सम्भावना नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—सम्भावना नहीं है या आशंका नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता। इस वक्त वहां करीब १६० क्यूसेक्स पानी की जरूरत है लेकिन वहां इस वक्त हजार, ग्यारह सौ क्यूसेक्स पानी मौजूद है बाकी आगे नदी का पानी रहे या न रहे यह तो नहीं मालूम लेकिन इस वक्त इतना पानी है कि कमी की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन के इस विभाग ने अभी एक योजना साढ़े ३ लाख की पानी देने के सम्बन्ध में बनाई है ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन मैंने अभी बताया था कि कुछ दिन हुये वहां पानी रोकने का काम अब सिंचाई विभाग के सुपुर्द किया गया है और उनके इंजीनियर्स देखते हैं, वही जो स्कीम होगी उसे भेजेंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'केसा' को पानी देने के लिये कानपुर बिठूर के बीच में कोई बांध बांधने की योजना 'केसा' के जनरल मैनेजर ने सरकार के पास भेजी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी 'केसा' के लिये पानी की कमी को देखते हुये गंगा की धारा को ठीक करने के लिये कोई निरीक्षण करके योजना बनवायेंगे ताकि आगे यह कष्ट न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने अभी बताया कि वहां पानी की कोई कमी नहीं है और आगे भी कमी न रहे इसके लिये भी नहर विभाग के सुपुर्द यह काम किया गया है, वही देखते रहेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नहर खोदी गई थी इधर फरवरी के दिनों में बाढ़ का पानी आ जाने से कुछ नहर कम लम्बी हो गई है, इस आशंका को देखते हुए, मतलब यह है कि जितनी खोदी थी उससे कम हो गई है, तो सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन दिनों में गंगा कम हो जाती है, जब उसकी लम्बाई दूर हो जाती है उसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं समझता हूं इसमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी है। पहले जो धारा थी वह प्राकृतिक थी और लम्बी थी। उसमें पानी आना जब कम हो गया तो एक बांध बांधा गया और एक कट दे दिया गया जिससे पानी बढ़ा दिया गया। तो अब इसका उसमें कोई सवाल नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कानपुर में जब गंगा उन्नाव की तरफ हट गई थीं तो नहर खोदी गई और उससे पानी लाया जाता था और कोई प्राकृतिक धारा नहीं थी। तो वह नहर जो गरमी के दिनों में दूर हो जाती है उन्नाव की तरफ़ और उसमें तलछट जमती है और मुश्किल होती है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा वहां एक प्रबन्ध है, ड्रजर हैं जो धारा को ठीक करते रहते हैं। जब रेत जमा हो जाती है उसका प्रबन्ध पहले 'केसा' वाले करते थे। जो अभी घटना हुई उसके बाद यह काम नहर विभाग को सौंप दिया गया है वह बांध बांधते हैं और नहर को साफ करते रहते हैं। इसलिये कोई आशंका अब नहीं है कि पानी कम हो जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी को ज्ञात है कि वाटर वर्क्स कानपुर ने कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के जनरल मैनेजर को ६ महीने पहले सूचना दी थी, मगर इसका कोई स्थायी प्रबन्ध न करके वह विलायत चले गये जिससे बिजली के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह बात सही नहीं है।

(इस समय ११ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

[१५ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १—३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४—५—**श्री ऊदल**—[६ मार्च, १९६१ को प्रश्न १३—१४ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*६—७—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १४—१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[१३ मार्च, १९६१ को प्रश्न ३१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के निष्कासित कर्मचारियों की गोरखपुर की बैठक में मांगें

*११—**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या २२ नवम्बर, १९५९ को सार्वजनिक निर्माण विभाग के निष्कासित कर्मचारियों की बैठक गोरखपुर शहर में श्री विन्दवासिनी प्रसाद के सभापतित्व में हुई थी और उसकी कार्यवाही की प्रति सरकार को भेजी गई है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां। मुख्य मांगें संलग्न सूची में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३२ पर)

*१२—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर-देवरिया सार्वजनिक निर्माण विभाग के आठ-आठ, दस-दस साल तक के कर्मचारी इस वक्त छटनी में निकाले गये हैं? यदि हां, तो क्यों

श्री धर्म सिंह—यह सही नहीं है।

*१३—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विभाग के कुछ अधिकारी भी उपर्युक्त क्षेत्र से हटाये गये हैं ?

श्री धर्म सिंह—कोई वर्क चार्ज कर्मचारी नहीं हटाये गये हैं।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की ?

श्री धर्मसिंह—कितनी ही प्रकार की मांगें थीं जिनमें से खास तौर पर यह थी कि जो कर्मचारी रिट्रेन्च किये गये हैं उनको लिया जाय। उस पर सरकार ने कार्यवाही की है और कुछ कर्मचारी लिये गये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से गोरखपुर, देवरिया में वर्क चार्ज के कर्मचारियों के हटाने की शिकायत है इस प्रकार की शिकायत पूरे प्रदेश में पी० डब्लू० डी० विभाग में है, इस सम्बन्ध में दो हफ्ते पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने सूबाई पैमाने पर मिलकर इस बात की शिकायत की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—इसको शिकायत तो नहीं कह सकते। इस तरह की दिक्कत है और उस पर पूरे तरीके से सरकार विचार कर रही है। सवाल आयेगा कि धन कहां से दिया जाय। वित्त विभाग को रेफर कर रखा है और अगर धन मिल गया तो कुछ हो सकेगा। यह स्थिति है कई निर्णय हुये हैं और इस बात को सोचा जा रहा है कि इसका क्या इंतजाम किया जाय।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—जो मुख्य मांग उनकी दूसरी थी कि जब तक सरकार का कोई निर्णय न हो जाय वह हटाये न जायं, उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने कहा कुछ कर्मचारी हटाये गये जो ५७ के करीब थे इन दोनों डिवीजन्स में। उसमें से ४२ के करीब पुनः रख लिये गये हैं और एक कर्मचारी जो सहकारी विभाग, देवरिया में नौकर हो गया है वह यहां पर आना पसन्द नहीं करेगा। एक कर्मचारी को पुनः रखने के लिये २० नवम्बर, १९५९ को आज्ञा दे दी है। ११ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पते नहीं हैं। लेकिन वह भी रखे जायेंगे यदि आना चाहें। यह खासतौर से इसमें निर्णय ले लिया गया है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नियुक्ति के अतिरिक्त कौन-कौन सी मुख्य बातें हैं उस निश्चय में ?

श्री धर्मसिंह—यह है कि उनके कर्मचारियों को स्थाई किया जाय और जो नोटिस इत्यादि दिये गये हैं उनको वापस लिया जाय और जो कर्मचारी निकाले गये हैं वे गलत तरीके से निकाले गये हैं उनको विभाग में पुनः रख लिया जाय। इस तरह से आपस में मिली-जुली मांगे थीं।

श्री उग्रसेन—सरकार पूरे प्रदेश के स्तर पर पी० डब्लू० डी० वर्क चार्ज के बारे में कुछ निर्णय लेने वाली है वह कितने दिनों में निर्णय लिया जाने वाला है और स्थायित्व प्रदान किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह---यह बतलाना कठिन है लेकिन जैसा निवेदन किया शीघ्र से शीघ्र कोशिश की जा रही है ।

श्री रामायणराय---सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इतने लम्बे अर्से तक अस्थाई रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---इसका कारण यह है कि वर्क चार्ज की डेफीनेशन यह है कि जब काम होता है तब लगाये जाते हैं और जब काम का लोड समाप्त हो जाता है तो उनको नोटिस दे दिया जाता है । शर्त यह होती है कि दोबारा काम कहीं होगा तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी और उनको लगाया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---जो कर्मचारी निकाले गये थे फिर उन्हें स्थान प्रदान किया गया, तो निकाले जाने का कारण क्या था और फिर रखने का कारण क्या हो गया ?

श्री धर्मसिंह---काम की कमी आ गई थी तो वर्क चार्ज के लोगों को नोटिस दे दिया गया। जब कहीं पर और काम हुआ तो फिर उन्हें रख लिया गया ।

*१४-१५---श्री मदन पांडेय---[२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सूचना विभाग के प्रकाशन

*१६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग व उसके द्वारा किस-किस विभाग के कौन-कौन से पत्र-पत्रिकाओं की कितनी-कितनी प्रतियां प्रकाशित होती हैं और उनका वार्षिक आय-व्यय क्या है ?

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ़ जाफ़री)---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

*१७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना साहित्य की जो दूकान हजरतगंज, लखनऊ में है वह कब खोली गई थी और उसका गत तीन वर्षों का आय-व्यय क्या है ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३३ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार का ध्यान उक्त विभाग द्वारा कभी इस ओर भी आकर्षित किया गया कि सभी पत्र निरन्तर घाटे पर चल रहे हैं और सन् १९५९-६० में ग्राम्या में २६,४२० रु०, त्रिपथगा में ४०,०६८ रु०, उत्तर प्रदेश में ६,४७० रु० व नया दौर में ७,२४४ रु० अर्थात् कुल ८०,२०२ रु० का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो उसने उक्त घाटे से बचने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री रऊफ़ जाफ़री---माननीय सदस्य ने जो कहा वह सही बात है कि इन पत्रों पर घाटा हो रहा है । एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि पब्लिकेशन का बिजनेस करने का सरकार का इरादा नहीं है । ये पत्रिकायें इसलिये निकलती हैं कि हमारी सरकार के डेवलपमेंट के काम और दूसरी इत्तिलात हैं वे लोगों तक पहुंच जायं । बहुत सी कापियां जो माननीय सदस्यों को पहुंचती होगी निःशुल्क दी जाती हैं । इसलिये इन पर यह घाटा था और हमेशा रहेगा । लेकिन इस पर सोचा जा रहा है कि किस सूरत से इस घाटे को घटाया जाय और हमें उम्मीद है कि आगे शायद हम इस घाटे को कम कर सकें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जो यह प्रतियां छापी जाती हैं इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निःशुल्क दी जाने वाली तथा ग्राहकों को भी दी जाने वाली जितनी प्रतियां होती हैं उनका अनुमान लगा कर छापी जाती हैं और क्या यह सही है कि बहुत-सी प्रतियां बेकार पड़ी रहती हैं और नहीं बिकती हैं ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—यह ठीक है कि अनुमान लगा कर प्रतियां छापी जाती हैं । कभी-कभी वापस आ जाती हैं और पड़ी रह जाती हैं । आपके यहां की पत्रिकाओं के साथ ही यह नहीं होता, हर पत्रिका के आफिस में जा कर आप देखें वहां भी कुछ पड़ी रह जाती हैं और उसी तरह से यहां भी पड़ी रह जाती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जो प्रतियां निःशुल्क बेची जाती हैं उनमें से अधिकांश रद्दी में बेची जाती हैं, पढ़ी नहीं जातीं ?

श्री रऊफ़ जाफ़री—ऐसी इत्तला तो नहीं है कि इन प्रतियों को बिना पढ़े ही रद्दी में बेंच दिया जाता है । यह हो सकता है कि पढ़ने के बाद कुछ लोग उनको रद्दी में बेंच देते हों ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग और शिक्षा विभाग के बहुत से पत्र और पत्रिकायें दूसरे प्रेसों में छापी जाती हैं, तो क्या इस बात पर भी वे विचार करेंगे कि सूचना विभाग से ही उन पत्र पत्रिकाओं को छापा जाय ताकि उसकी कमी पूरी हो सके ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, जिन पत्रिकाओं की तरफ अभी माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आमंत्रित किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन पत्रिकाओं के विषय में तथा अन्य और पत्रिकाओं के विषय में जो अन्य विभागों के द्वारा छपती हैं सरकार ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिये हैं कि ऐसी तमाम पत्रिकाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करके ऐसी योजना बनाई जाय जिससे कि इन पत्रिकाओं का छापा जाना एक विभाग के द्वारा हो और साथ ही में जो अपव्यय कहीं-कहीं इन पत्रिकाओं के छपने के विषय में हो रहा है उसमें कमी लाई जाय और पत्रिकाओं को इस तरह से चलाया जाय जिससे कि जितनी पत्रिकायें छपें और जितनी वितरित हों उसमें यदि नुकसान भी उठाना पड़े तो कम से कम उठाना पड़े ।

श्री रामायणराय—मंत्री जी ने यह बतलाया कि सरकार का इरादा नहीं है कि सूचना विभाग से पुस्तकें और पत्रिकाएं छापी जायं । तो ऐसा इरादा पहली सरकार का था, यह इस सरकार का है क्योंकि अगर सरकार का इरादा नहीं है तो फिर ये छपी कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह किसने कहा ?

श्री रामायणराय—पहले उपमंत्री जी ने कहा था ।

श्री रऊफ़ जाफ़री—मैंने तो यह कभी नहीं कहा कि यह इरादा नहीं था और यह नहीं छपेंगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जितनी पत्रिकायें छपती हैं ये सब की सब निःशुल्क दी जाती हैं या कुछ इनके ग्राहक भी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि माननीय सदस्य ने उत्तरों को देखा होगा तो उनसे विदित होगा कि कुछ आमदनी पत्रिकाओं के बेचने के द्वारा होती है । तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पत्रिकायें निःशुल्क दी जाती हैं । यह सही है कि इन पत्रिकाओं के प्रकाशन में सरकार को काफी घाटा उठाना पड़ता है और इसके कई कारण हैं । एक तो यह कि सरकार का अब तक जो इन्तजाम इन पत्रिकाओं को बेंचने का रहा है वह उपर्युक्त नहीं रहा है । इसलिये इधर भी सरकार

ने आदेश दिये हैं कि इनके बेंचने का उपयुक्त इन्तजाम हो और साथ ही में, जैसा मैंने अभी कहा कि, जो अब तक घाटा होता रहा है और पत्रिकाओं को कम संख्या में छपा कर के यदि उनको अधिक संख्या में छापने की आवश्यकता न हो, और अधिक बिक्री कर के घाटे को कम से कम स्तर पर लाया जाय ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हजरतगंज की दूकान से उसे गत तीन वर्षों में जो बचत हुई है वह क्या नेट प्राफिट है या उसमें स्टाफ का वेतन आदि भी सम्मिलित है ?

श्री रऊफ जाफरी—जो दिया गया है उसमें स्टाफ का वेतन शामिल है । फायदा तो उसमें है नहीं, जो फीगसं दिये गये हैं, उनमें बराबर घाटा दिखलाया गया है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान सूचना विभाग से निकली हुई उन पत्रिकाओं की ओर गया है जिनके टाइटिल पेज पर बहुत महंगा कागज लगा रहता है और महंगे चित्र छपे रहते हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर मुख्य सचिव को यह भी आदेश देंगे कि ऐसी योजना भी बनायें कि अनावश्यकरूप से खर्चीले कागज और चित्र आदि टाइटिल पेज पर न लगाये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ये सारे सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं । सरकार का ध्यान स्वतः इस प्रकार की यदि फिजूलखर्ची कहा जाय तो उसको रोकने की तरफ गया है और सरकार उसको रोकने का उचित प्रबन्ध कर रही है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना साहित्य में घाटा लगने का एक यह भी कारण है कि ऐसा भी साहित्य छपता ह जिससे सूचना से कोई संबंध नहीं है, जिस तरह से स्पेस पर किताबें तथा अन्य पुस्तकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इधर भी सरकार का ध्यान गया है और इस खर्चे को रोकने के लिये सरकार ने उचित आदेश दिये हैं । कदाचित् आइन्दा माननीय सदस्यों को ऐसे व्यय में बहुत कमी देखने को मिलेगी ।

*१८—**श्री मदन पांडेय**—[२९ मार्च ,१९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१९-२१—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)—[२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

पर्वतीय क्षेत्र में वन उपज सम्बन्धी सुविधायें देने पर विचार

*२२—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पर्वतीय प्रदेश में जो Petty Demands की प्रथा को समाप्त किया गया था वह पुनः लागू कर दी गई है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—फारेस्ट मैनुअल के अनुच्छेद १८५ के अन्तर्गत वन अधिकारियों के वन उपज देने के प्राप्त अधिकारों को कुछ कारणों से समाप्त कर दिया गया । सरकार को ज्ञात हुआ है कि इसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र के गरीब निवासियों को कुछ असुविधायें हो रही हैं जिनको दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं पहले प्रार्थना करूंगा कि मेरा प्रश्न यह नहीं है कि वन के अधिकारियों के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं या नहीं बल्कि मेरा सवाल तो यह है कि वहां पेटी डिमान्ड्स की प्रथा समाप्त की गई है या नहीं । इसका उन्होंने जवाब दिया है कि फारेस्ट अधिकारियों के अधिकार खत्म कर दिये गये हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री अलगूराय शास्त्री—वहां के अधिकारियों को जो अधिकार १८५ के अन्तर्गत दिये गये थे इसी से पी० डी० में जो कुछ मिलता था वह उनको मिलता था । इस अधिकार को समाप्त करने से वहां असुविधायें आ गई हैं, सरकार को यह ज्ञात हुआ है । इन असुविधाओं को दूर करने के लिये सरकार विचार कर रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पी० डी० के बंद किये जाने पर अरण्यपाल, टेहरी ने उसका विरोध किया कि हमारे यहां गड़बड़ी होगी इसलिये वहां पर तो सरकार ने पी० डी० खोल दिया और पुरानी सूरत रख दी, यह सही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मुझे इसका ज्ञान नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार यह महसूस करती है कि इन डिमान्ड्स के हटाने से दिक्कत हो रही है तो इसको पूरा क्यों नहीं किया और विचार करने की क्या जरूरत है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जैसा मैंने निवेदन किया श्रीमन्, माननीय सदस्यों के इन प्रश्नों से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है और शीघ्र दूर करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी, जब सरकार महसूस करती है कि पी० डी० से जो सुविधा मिलती थी उसके बंद करने से असुविधा हो गई है तो सरकार जब तक अन्तिम निर्णय न ले ले तब तक जो व्यवस्था थी उस स्टेटस को, मेनटेन करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सभी प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं और शीघ्र कार्यवाही की जायगी, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १८ फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है जिसके द्वारा अरण्यपाल तथा अन्य अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जो वनों में सुविधायें समीपवर्ती जनता को थीं उनको पुनः दिया जाय ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, परन्तु यह विज्ञप्ति मेरे सामने नहीं आई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार का ध्यान इन असुविधाओं की ओर कब गया और उनके संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—अभी पिछले दिनों जब सदन में ये प्रश्न उपस्थित हुये, उनके उत्तर भी मैंने दिये और उस समय मैंने संकेत किया था कि इन असुविधाओं को दूर करने की चेष्टा की जायगी और उस संबंध में ही हम विचार कर रहे हैं ।

दोहरीघाट में घाघरा पर पुल निर्माण योजना

*२३—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला में राष्ट्रीय-पथ पर, घाघरा नदी पर दोहरीघाट में पुल निर्माण की दिशा में यह निश्चय हो चुका है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका शुभारम्भ अवश्य हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—नहीं, यह प्रश्न अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

मैनपुरी वाष्प विद्युत्-गृह के निकट क्वार्टरों के लिये भूमि सम्बन्धी कार्यवाही

*२४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर में उल्लिखित नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—निकल चुका है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि मेरे पास ऐसी सूचना है कि जिस जमीन के लिये नोटीफिकेशन निकल चुका है कि इस जमीन का पट्टा जो जिलाधीश के पेशकार गिरीशचन्द्र सक्सेना हैं उन्होंने अपने पिता के नाम और एक आदमी के नाम यह कह कर लिया कि कोआपरेटिव खेती करायेंगे तो कानूनन उन्हें बेचने का अधिकार है भी या नहीं यह देखने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—इस नोटिफिकेशन से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री गणेशचन्द्र काछी—जिस जमीन का नोटिफिकेशन कराया गया है कानूनन वह जमीन दे भी सकते हैं या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी माननीय गणेशचन्द्र जी की सूचना को मानकर इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ताकि असलियत सामने आ जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जरूर करायेंगे ।

बरखेड़ा घाट तथा सुवावाला घाट पुलों की मरम्मत

*२५—श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, फरवरी, १९६१ में होने वाली वर्षा के कारण जिला बिजनौर, अफजलगढ़ तथा बैरखा घाट पर रामगंगा के पुल टूट गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां ।

*२६—श्री शिवराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह वहां के यात्रियों को तथा किसानों को गन्ना की गाड़ी ले जाने के लिये शीघ्र सुविधा देने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—बरखेड़ा घाट का पुल आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात् यातायात के लिये खोल दिया गया है ।

सुवावाला घाट के पुल की मरम्मत का कार्य चल रहा है तथा आशा है कि वह भी शीघ्र ही खोल दिया जायेगा ।

श्री शिवराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुवावाला घाट पर कब कार्य प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—१३ मार्च को वह खोल दिया गया है और काम समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता । उस पर आवागमन है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने एक पुल का उत्तर दिया कि वह खोल दिया गया है । जो दूसरा पुल है सुवावाला घाट, उसमें मरम्मत कब से प्रारम्भ हुई और कब तक उसके खुल जाने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—मैंने अभी निवेदन किया कि १३ मार्च को खोल दिया गया है ।

*२७—२९—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) तथा **श्री चन्द्रजीत यादव**—[२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मथुरा जनपद में जल-विद्युत की दर

*३०—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जनपद में जल-विद्युत का दाम प्रति यूनिट नागरिक क्षेत्र में क्या है तथा ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, क्या दोनों में अन्तर है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, अगर देखा जाय तो प्रश्न किये हुए २१ रोज हो गये हैं। २१ दिनों में भी सूचना एकत्र नहीं हो सकी जबकि केवल विद्युत विभाग से ही इसकी जांच हो सकती है, तो इस सूचना एकत्र न होने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मथुरा में चार-पांच लाइसेंसीज हैं जिनसे अलग-अलग यह चीज मंगाने की थी। मुझे दुख है इस बात का कि यह सूचना नहीं आ सकी। मैंने अपने विभाग वालों से यह कह दिया है कि यह चीज हम आगे से नहीं मानेंगे और इसकी सूचना इस बीच में आ जानी चाहिये थी। मेरा खयाल है कि जल्द ही यह सूचना आ जायगी और मैं आपके सामने पेश करूंगा।

तिर्वा टाउन एरिया को बिजली देने की प्रार्थना

*३१—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला फर्रुखाबाद में तिर्वा टाउन एरिया को तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली देने पर विचार कर रही है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जी नहीं ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता के १५ दिसम्बर के पत्र के उत्तर में यह कहा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल करने का विचार किया जायगा, तो अब विचार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारी जो तृतीय पंच वर्षीय योजना है उसमें हम अलग अलग सालों में कुछ विचार करते हैं। पहले दो सालों में जो ४८४ जगह बिजली देने की बात है उसमें यह स्थान नहीं है। उसके बाद के तीन वर्षों में जो स्थान होंगे उनमें हम विचार करेंगे।

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ९ के अन्तर्गत स्थानान्त-रित किया गया ।]

*३३—**श्री बंशीधर शुक्ल**—[२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

बेवर व करहल को बिजली देने का आश्वासन

*३४—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में बेवर, करहल, भोगांव टाउन एरियाओं में बिजली लगाने का उसका विचार है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बेवर और करहल नगरों के विद्युतीकरण करने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार है। भोगांव के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रामदीन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह कस्बा बेवर जो है, यहां दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, आगरा आदि हर जगह से सड़कें क्रास करती हैं और यह चौराहे पर है, सरकार के सभी विभागों के केन्द्र भी यहां खुले हुए हैं, रोडवेज विभाग का बहुत बड़ा स्टेशन बना है जहां रोजाना डेढ़ सौ, दो सौ गाड़ियां पास होती हैं, इसी तरह से ठेला गाड़ी जो हैं वह २००, २५० रोज पास होती हैं, ऐसी दशा को देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले ही वर्ष में इस कस्बे में बिजली लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने आपसे निवेदन किया कि बिजली लगाने की बात हमने स्वीकार कर ही ली है, वह जल्द से जल्द लग जायगी। उसमें परेशानी क्या है ?

कानपुर की मिलों पर बिजली की रकम का बकाया

*३५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या मुख्य मंत्री कानपुर के उन कारखानों तथा मिल मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन्होंने कानपुर बिजली घर से १९६० तक बिजली लेकर कारखानों में बिजली इस्तेमाल की और उसका पूरा भुगतान अदा नहीं किया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—कारखानों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३४ पर।)

*३६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के विक्टोरिया मिल, राम रतन काटन मिल तथा म्योर मिल में १९५९–६० में कितनी-कितनी बिजली कारखानों को चलाने हेतु दी गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक दी गई बिजली के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	यूनिट
न्यू विक्टोरिया मिल्स	१,०६,१६,६४०
लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	१,०५,९५,०६०
म्योर मिल्स	१,१४,७९,०००

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो १८ मिलों की सूची उन्होंने दी है जिनके ऊपर बिजली की रकम बकाया है, वह अलग-अलग कितना रुपया सब मिलों पर बकाया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह तो बड़ी लम्बी सूची है। अगर माननीय सदस्य मेरे कमरे में आ जायें तो मैं उनको बतला दूं।

श्री ऊदल—इसका टोटल ही बतला दिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उसका टोटल मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उनसे रुपया वसूल करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई और रुपया क्यों नहीं वसूल हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—एक तो पुराना कुछ बकाया है जब कि कपड़ा नहीं बिकता था तब मिलों पर जमा हो गया था। उसके लिये सरकार ने ऐसा निश्चय किया कि इन्स्टालमेंट में वह अदा कर दें तो वह इन्स्टालमेंट में दे रहे हैं। जो आजकल की रकम है उसके साथ वह पुराना रुपया भी अदा कर रहे हैं। पहले का ७१ लाख रुपया था उसमें सब वसूल हो गया करीब २० लाख रुपया बाकी है जो अब इन्स्टालमेंट में वसूल हो रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रकम बकाया है उसमें कितनी और रकम और तरीके से बकाया है और कितनी हाई कोर्ट की वजह से रुकी हुई है इसकी तफसील बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—मैं रिट की बात आपके सामने नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे यह बतलाया कि जो रुपया वसूल हो रहा है उसके इन्स्टालमेंट बहुत बड़े हैं। कोई ७५ हजार रुपया माहवार, कोई २० हजार रुपया माहवार, और कोई २५ हजार रुपया माहवार है। वह रकम जल्दी ही वसूल हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वह कौन-कौन से मिल हैं जिनके ऊपर एक हजार रुपया से अधिक बाकी है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह लम्बी सूची है। इसमें एक लाख वाला बतला दिया जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—यह दो तरह का बकाया है। एक तो वह है जो कपड़ा न बिकने के जमाने में बकाया रह गया था और एक वह बकाया है कि जिस जमाने में कानपुर में बिजली बन्द हो गई थी। उस जमाने में यह एतराज उठा कि आप बिजली नहीं दे सके। उसके अदा करने में कुछ झंझट उठा। उस जमाने का वह बकाया है। आप किस जमाने के बकाया को चाहते हैं तो वह मैं आपको बतला दूं।

श्री उपाध्यक्ष—काफी हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि बकाया दो तरह का है। एक तो बकाया उस समय का हो सकता है कि जब आप बिजली देते ही नहीं और दूसरा बकाया वह हो सकता है कि उन्होंने मीटर चलाया हो और वे चार्जेज न देना चाहते हों। तो मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह बन्द मीटर का बकाया है अथवा चालू मीटर का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैं शायद स्पष्ट नहीं कर सका। एक बार जब पानी की कमी हो गयी थी उस जमाने में हम ने कुछ लोगों को बिजली कम दी थी और कुछ को हम बिजली नहीं दे सके थे, लेकिन एक नियम यह है कि अगर आप बिल्कुल भी बिजली नहीं जलायेंगे तब भी आप को मिनिमम चार्जेज देने पड़ेंगे। ऐसा हर एक के साथ हमारा एग्रीमेंट है। तो वह जो चार्जेज हैं वह भी रुके हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि इतने दिन आप हम को बिजली नहीं दे सके इसलिये जो मिनिमम चार्जेज हैं वह भी हम नहीं देंगे।

अपरेंटिस ओवरसियर

*३७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण विभाग में कितने ओरवसियर ऐसे हैं जो अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं और कब से ?

श्री धर्मसिंह—कोई नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ओवरसियर एक वर्ष की ट्रेनिंग लेते हैं और सरकार का काम करते हैं उनके बारे में सरकार क्या नीति निर्धारित कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—वह तो अपरेंट्सशिप की ट्रेनिंग में हैं और वह अपरेंटिस ओवर सियर कहलाते हैं।

प्रतापगढ़ जिले में विमुक्त जातियों को सुविधायें

*३८—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों का हाल में कोई ऐसा निर्देश दिया है कि पासी जाति को जरायम पेशा की श्रेणी में रखा जाय ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जी नहीं।

*३९—श्री गया प्रसाद—क्या सरकार को पता है कि प्रतापगढ़ में पासी जाति के अतिरिक्त अन्य जरायम पेशा वाली जातियां कौन-कौन हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रतापगढ़ में न तो पासी जाति और न कोई और जाति जरायम पेशा वाली है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार वह आधार बतलायेगी कि जिसके वशीभूत हो कर यह उत्तर दिया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में कोई जाति जरायम पेशा या विमुक्त जाति नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—सन् १९३९ से लेकर सन् १९५२ तक तीन कमेटियां बैठीं और तीनों ने जरायम पेशा जातियों के लिये जांच की और आखिर में अगस्त, १९५२ में यह तय हुआ कि कोई जरायम पेशा जाति नहीं कहलायेगी। अब उनको विमुक्त जाति कहते हैं। अब कोई जरायम पेशा जाति हमारे स्टेट में नहीं है।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अपराधशील जातियों की जांच-पड़ताल के हेतु सरकार ने जिलाधीशों को कोई आदेश भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—जो सेंसेज सुपरिंटेंडेंट हैं उनको यह कहा गया है कि वे सब की जांच करें, केवल क्रिमिनल ट्राइब्ज की ही नहीं। ऐसे जो लोग थे उनके लिये यह मालूम करें कि अगर अब भी कोई ऐसे काम करते हैं तो वे उनको अलग कर दें। लेकिन उनको जरायम पेशा जाति वाले नहीं कहा जायगा। जिनकी पुरानी हिस्ट्री है, या प्रास्टीट्यूट्स आदि की जांच कर लें ताकि मालूम हो जाय कि ऐसे लोग कितने हैं और यह उनके फायदे के लिये ही किया जाता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि आज सरकार जिनको विमुक्त जाति कह रही है, तो प्रतापगढ़ में जो विमुक्त जाति की लिस्ट है उसमें पासी आते हैं अथवा नहीं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—आते हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन जातियों के लिये कोई विशेष सुविधा देने की योजना है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—इन विमुक्त जाति के लिये बराबर सुविधाएं दी जाने की कोशिश की जाती है। इनके रहने सहने की सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं तथा खेती आदि के लिये भी सुविधाएं दी जाती हैं।

*४०—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[२९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

सूरजपुर--दुवारी बांध चौड़ा करने का आयोजन

*४१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सूरजपुर से दुवारी जाने वाले विभागीय बंध को चौड़ा करने के लिये धनराशि स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक इस बंध को चौड़ा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

कार्य के लिये वांछित भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञप्तियां निर्गमित की जा चुकी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब स्वीकार किया गया और विज्ञप्ति कब निकाली गयी ?

श्री धर्मसिंह--इस रुपये की स्वीकृति के आदेश ५ मार्च, १९६० को सिंचाई विभाग को भेजे गये थे और अस्थायी भूमि के लिये २२ जनवरी को कुछ आदेश निकाले गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक साल बाद भूमि सम्बन्धी विज्ञप्ति निकालने का क्या कारण था?

श्री धर्म सिंह--धन तो, जैसा मैंने कहा है ५ मार्च को भेजा गया था। इसके पूर्व कार्य प्रगति से नहीं हो पाया था। उसका कारण यह था कि उनके पास धन नहीं था। इस कारण देरी हो गयी। अब कार्य शीघ्र किया जायेगा।

गोला मुहम्मदी के बीच गोमती के पुल का निर्माण

*४२--श्री शिव प्रसाद नागर (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला खीरी में गोला मुहम्मदी के बीच गोमती नदी का पुल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--पुल बनने का काम आरम्भ हो गया है।

मार्च, १९६२ तक इस पुल का कार्य पूरा होने की आशा है।

इटावा में जमुना तथा ऊदी पर चम्बल नदी का पुल बनाने की योजना

*४३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा से ग्वालियर जाने वाली सड़क पर इटावा में जमुना तथा ऊदी पर चम्बल नदी के पुल बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*४४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त दो नदियों के पुलों के बनाने का सरकार ने १९५९ या १९६० में एक सर्वे करवाया है? यदि हां, तो दोनों पुलों पर कितना-कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

दोनों पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग ११० लाख रुपये है।

*४५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटावा से ग्वालियर जाने वाली सड़क का जमुना और चम्बल के बीच का करीब ५ मील का हिस्सा काफी समय से खराब है पर उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—सड़क की हालत खराब अवश्य है पर उसको ठीक कराने की निरन्तर कोशिश की जाती है।

—सड़क कंकड़ की है और कंकड़ अच्छी किस्म का नहीं मिलता। बैलगाड़ी की भारी यातायात के कारण कंकड़ की सड़क अधिक समय तक नहीं चल पाती।

कानपुर–कालपी सड़क तथा रायपुर की रक्षा के लिए प्रार्थना

*४६—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत कानपुर-कालपी रोड के १५वें मील पर स्थित रायपुर ग्राम के कई मकान रिन्द नदी की भयंकर बाढ़ से ध्वस्त हो गये, साथ ही लगभग एक सप्ताह उपर्युक्त मार्ग बन्द रहा ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*४७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि १९५४ में उपरोक्त नदी से ग्राम व सड़क के खतरे की और उस क्षेत्र के विधायक ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*४८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अक्तूबर,१९६० की बाढ़ को ध्यान में रखकर भविष्य में रायपुर ग्राम तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण रोड की रक्षा और यातायात की कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—सड़क की रक्षा और यातायात की कठिनाई को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम की रक्षा के प्रश्न पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस क्षेत्र के विधायक ने सन् १९५४ में खतरे की सूचना दे दी थी तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री धर्म सिंह—जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं सन् ५४ में उन्होंने सूचना दी थी और नियोजन विभाग से इस विषय में कार्य करने के लिये कहा गया था, लेकिन किसी वजह से वह कार्यवाही नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि वह हमारा जूरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद यह सिंचाई विभाग को दिया गया और उस समय जो बाढ़ आई थी और वह भी अचानक आ गई थी, जिसके कारण कुछ नुकसान हो गया।

कत्थे के पेड़ों का नीलाम

*४९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष प्रदेश की विभिन्न कत्था फैक्ट्रियों ने जो पेड़ खरीदे उनकी कीमत क्या-क्या मिली और पिछले सालों के मुकाबले में उनमें क्या-क्या कमी-बेशी हर फैक्टरी के सम्बन्ध में अलग-अलग हुई?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस वर्ष केवल इंडियन बुड प्राडक्स कम्पनी, इज्जतनगर, ने खुले सार्वजनिक नीलाम द्वारा १३२ रु० की यूनिट की दर से खैर के पेड़ खरीदे जबकि इकरार-नामे की शर्तों के अनुसार इस कम्पनी ने १९५७–५८ में ६८ रु०, १९५८–५९ में ७७ रु० तथा १९५९-६० में ६३ फी यूनिट की दर से पेड़ खरीदे थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलाम की जो यह शर्तें बदली गईं इससे सरकार को गत वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ हुआ ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इससे बहुत लाभ हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---कितना लाभ हुआ है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि ६३ रुपये, ६८ रुपये और ७७ रुपये इसकी जगह पर १३२ रुपये फी यूनिट जब नीलाम हुआ तो क्या कारण है कि गत वर्षों में इतनी कम रकम में नीलाम हुआ और इस वर्ष दुगना-तिगुना बढ़ गया ?

श्री अलगूराय शास्त्री---नीलाम की प्रथा अभी हाल में ही लागू हुई है, पहले प्राइवेट ट्रीटी के जरिये से यह बिक्री होती थी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी सरकार की नीति को स्पष्ट करेंगे कि जिस प्रकार इस फैक्टरी को नीलाम में पेड़ खरीदने की व्यवस्था कर दी गई, इसी तरह से जितनी प्राइवेट सेक्टर में फैक्टरियां लगेंगी उनके लिये भी यही व्यवस्था रहेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---माननीय सदस्य का यह सुझाव विचाराधीन होगा सरकार के ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बार-बार जो हमने इस सदन में आक्षेप किया भूतपूर्व मन्त्री पर कि प्राइवेट लोगों को कत्थे के पेड़ को देने में रियायत दी जा रही है, उसके कुछ कारण विशेष हैं, उसकी जांच कराई जाय, तो क्या उसकी जांच कराई गई और जब सदन में अनेक वर्षों से कहा जा रहा था कि नीलाम होना चाहिये, वह क्यों नहीं किया गया ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इतने पुराने प्रश्नों को उठाना कदाचित बहुत उपयोगी न हो ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या माननीय वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में पिछले ८-१० साल से बराबर यह मांग की गई, ए० जी० का आडिट नोट था, कि ये सस्ते दर पर दिये जाते हैं तो वन विभाग ने कहा कि जो हमारा तरीका है उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, अगर नीलाम करेंगे ४०,००० पेड़ तो कोई कौड़ी का नहीं बिकेगा ? अगर यह बात सत्य है तो मन्त्री जी चूंकि अब लाभ हो रहा है, उन अफसरान के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री---सरकार माननीय सदस्यों की अनुमति से उनके सुझावों से लाभ उठायेगी और यदि कोई स्पेसिफिक बात कही जायगी जो जनहित में होगी तो निश्चय ही उसका पालन होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक जिन वन अधिकारियों ने कत्था के पेड़ों के मामले में सरकार के चूना लगाया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री---चूना किसी ने नहीं लगाया, कत्थे का व्यापार था ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नई प्रथा उन्होंने नीलाम की चालू की है, इससे सरकार को ५ लाख रुपये का फायदा गत वर्ष से ज्यादा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी माननीय मन्त्री जी बता चुके हैं कि अभी इसका हिसाब नहीं लगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि यह नीलाम करने की नीति पहले भूतपूर्व सरकार ने तय कर ली थी, वर्तमान जो सरकार आई है उसने क्या निश्चय किया ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

गर्जिया, नाई तथा चांफी पुलों के निर्माण की स्वीकृति

*५०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत गर्जिया, खनस्यूं नाई तथा चांफी पुलों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री धर्मसिंह—गर्जिया, नाई तथा चांफी पुलों के निर्माण की स्वीकृति फरवरी, १९६१ ई० में सरकार द्वारा प्रदान की गई है। निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। खनस्यूं के पुल का निर्माण अभी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मानीय मन्त्री उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके फलस्वरूप यह पुल जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही निर्मित हो जाना चाहिये था, यह अन्तिम वर्ष के अन्तिम मास में स्वीकृत क्यों हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—इसका कारण यह था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनीताल में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिये ६ स्कीमें थीं ३ लाख रुपये की। जब चीफ इंजीनियर से कहा गया कि इसके एस्टीमेट दीजिये तो उन्होंने कहा कि ४ स्कीमें इस समय सम्भव हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और १९६०-६१ में फाइनल करने के बाद फिर उनको लिखा गया कि कौन-कौन सी हो सकती हैं और उनके एस्टीमेट क्या होंगे तब उन्होंने इत्तला दी, तब इसको रखा गया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि खनस्यूं पुल के लिये १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में १,३९,००० रुपया बाढ़ पूर्ति फंड से दिया गया और पी० डब्लू० डी० ने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उसको बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चारों पुलों के लिये अलग-अलग कितने रुपये का एस्टीमेट है और क्या खनस्यूं पुल के निर्माण के लिये सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—

	रु०
(१) विनायक–चांफी मार्ग पर घिघरानी गाड़ पर	५०,०००
(२) चौरालेख और नाई के बीच लधिया नदी पर	४५,५००
(३) गर्जिया के समीप कोसी नदी पर ..	१,९७,८००
(४) खनस्यूं के समीप गोला नदी पर (पदम-पुरी–खनस्यूं मार्ग पर)	१,९०,०००
योग ..	४,८३,३००

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरेली की इमारत का ठेका

*५१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९४८-४९ में बरेली, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किन-किन भागों के लिये इमारतें बनाने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया तथा उनमें किन ठेकेदारों को इमारत बनाने का सामान सरकारी स्टोर से दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--इस विद्यालय में साइंस ब्लाक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया और श्री सीताराम रामस्वरूप ठेकेदार को इमारत बनाने का सामान सरकारी स्टोर्स से दिया गया।

*५२--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि इसमें से कुछ ठेकेदारों से सामान का रुपया सम्बन्धित अधिकारियों ने नहीं काटा और जमानत वापस कर दी, जिससे सरकार को उक्त रुपया वापस न मिलने से घाटा हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह--जी हां, सम्बन्धित अधिकारियों के explanations मांगे गये हैं। जो अधिकारी दोषी सिद्ध होंगे, उनके विरुद्ध अवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सामान बनाने के लिये दिया गया, वह कितने रुपये का था, कितना उसमें लगा और कितने रुपये का वापस होने को रह गया ?

श्री धर्मसिंह--हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से २०,४९१ रुपये दो आने का था।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९४८-४९ में बीस हजार रुपया का सामान दिया गया था जो बकाया है, तो सरकार ने इसके सम्बन्ध में अबतक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री धर्मसिंह--मैंने निवेदन किया यह रुपया बकाया नहीं है, इतने का सामान दिया गया था, बकाये में ८९८.९३ रु० का मामला है जिसके लिये एक्सप्लेनेशन मांगा गया है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--सन १९४८-४९ में जो सामान उनके पास बकाया रह गया उसके लिये एक्सप्लेनेशन प्रश्न के करने के बाद मांगा गया या पहले ?

श्री धर्मसिंह--यह तो देखना पड़ेगा, नोटिस की आवश्यकता है।

बड़ागांव-तमाचाबाद सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*५३--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बड़ागांव से अनेही, कालिकाधाम होते हुये जो कच्ची सड़क तमाचाबाद, जिला वाराणसी को जाती है उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी से ले लिया है ? यह यदि हां, तो कब से ? क्या इस सड़क पर मील तथा हर फर्लांग पर जो पत्थर गाड़ा गया है, वह पी० डब्लू० डी० के नाम पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कंकड़ की बनवाने पर या तीसरी योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री ऊदल—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मैंने उस सड़क को स्वयं देखा है, उसमें जो मील के पत्थर और फर्लांग के पत्थर लगे हैं वह पी० डब्लू० डी० के हैं, उसमें पी० डब्लू० डी० लिखा हुआ है तो उनको कहां से सूचना मिल गई कि पी० डब्लू० डी० के पत्थर नहीं लगे हैं और क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को बनाने का सरकार विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह—हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी बात नहीं है। जहांतक तृतीय पंचवर्षीय योजना का सवाल है, फिलहाल अभी इसको शामिल करना सम्भव नहीं है।

इण्डियन टरपेंटाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली को लीसा देने का इकरारनामा

*५४—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोजिन ऐण्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी, बरेली के साथ लीसा देने की बाबत क्या इकरारनामा हुआ है? क्या सरकार लीसे की बाजार कीमत पर यह लीसा दे रही है या subsidized रेट पर?

श्री अलगूराय शास्त्री—इण्डियन टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली के साथ लीसा देने की बाबत सन १९४२ ई० में बीस वर्ष के लिये हुये †इकरारनामे की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। लीसा की बाजार कीमत का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कुमायूं वृत्त के सुरक्षित वनों से प्राप्त लीसे को बाजार में नहीं बेचा जाता वरन् उसका अधिकतर भाग उपरोक्त इकरारनामे के अनुसार इन्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली को दिया जाता है। अतः सब्सिडाइज्ड रेट (subsidized Rate) का भी कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं के असुरक्षित वनों से अधिक भाग, जैसा कि कहा है, दिया जाता है तो शेष भाग जो सुरक्षित वनों का है उसमें सरकार क्या भाव से बेचती है?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो कुछ भी लीसा दिया जाता है, वह तीन सहकारी समितियां हैं जिन को कुछ दिया जाता है। लेकिन अधिकांश उस इकरारनामे के मातहत जो सरकार और उसके बीच में हुआ है, इस कम्पनी को ही दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—सहकारी समितियों से क्या भाव लिया जाता है, यह भी आप बता दीजिये।

श्री अलगूराय शास्त्री—रेट वही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि इस फैक्टरी को पांच रुपया मन लीसा दिया जाता है जबकि बाजार भाव ३० रुपये मन का है और इस प्रकार प्रति वर्ष सरकार को ६० लाख रुपये की हानि होती है?

श्री अलगूराय शास्त्री—सन् १९६२ में इस कम्पनी के साथ इकरारनामा समाप्त होने वाला है। उनसे बातचीत हो रही है और अब अधिक से अधिक लाभ लीसे से उठाने की कोशिश की जायगी।

---

†नत्थी छापी नहीं गयी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्वाइन्टेडली रेट का सवाल पूछा गया और मन्त्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। या तो उनके पास आंकड़े नहीं हैं या वह पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इकरारनामा आपके पास है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उसमें रेट नहीं हैं।

श्री अलगूराय शास्त्री—सारी उत्पादन की कीमत मिलाकर उसमें हिस्सेदारी, रायल्टी के हिसाब से सब रेट्स डिटेल में दिये हैं। वे सब मिलाकर लीसा का भाव १७, १८ रुपया पड़ता है। इसी भाव पर उस कम्पनी को लीसा दिया गया है। इस बात की चेष्टा की जा रही है कि सन् ६२ के बाद से उनके साथ जो इकरारनामा हो उसमें यह लिहाज रखा जाय कि मोनोपोलिस्टिक तरीका कुछ कम हो और सहकारी समितियों को तथा औरों को सुविधा मिल सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्केट रेट में लीसा दिये जाने का प्रश्न सरकार द्वारा खुद उठाया गया है और उसने गढ़वाल में कोटद्वार सहकारी समिति को ३५ रुपये और रानीखेत सहकारी समिति को ३४ रु० ८ आ० में देने का तय भी किया है?

श्री अलगूराय शास्त्री—नोटिस चाहिये।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे कि इस प्राइवेट कम्पनी के साथ इकरारनामा बिलकुल समाप्त कर दिया जाय और बाजार भाव पर लीसा बेचने का सरकार प्रबन्ध करे?

श्री उपाध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सरकार ने करीब २ ३/४ लाख मन लीसा इन्डियम रोजिन एण्ड टरपेंटाइन फैक्टरी में दिया तो क्या वजह है कि उन्होंने सहकारी समितियों को जिनकी प्रशंसा वर्तमान और भूतपूर्व वन मन्त्रियों ने की है, उनको इस साल देना बिलकुल बन्द कर दिया है जिसके बारे में सरकार के पास समाचार-पत्रों द्वारा और प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भी निवेदन किया गया है?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस पूरे प्रश्न का उस इकरारनामे की लाइट में विचार हो रहा है जो सन् ६२ में समाप्त हो रहा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या यह सही है कि सहकारी समितियों को और इस फैक्टरी को देने के बाद कई बार लीसा नीलाम किया गया और बोली ४० रुपये फी मन तक आई?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—यह देखते हुये कि इस फैक्टरी को लीसा बाजारभाव से आधी कीमत पर दिया जा रहा है जिससे ६० लाख रुपये का नुकसान सरकार को प्रतिवर्ष होता है, तो सरकार कुमायूं फारेस्ट कमेटी को भी अगले समझौते के समय कान्फीडेंस में लेगी?

श्री अलगूराय शास्त्री—सब बातों पर विचार होगा।

*५५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[३० मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थनान्तरित किया गया।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री रामकृपालसिंह, के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा सदन को एक दुखद समाचार देना है, वह यह है कि इस सदन के एक पुराने सदस्य और मौजूदा राज्य सभा के सदस्य माननीय रामकृपालसिंह जी का देहावसान हो गया है। रामकृपालसिंह जी हमारे उन साथियों में से थे जिन्होंने जीवन पर्यन्त सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लिया। जब से गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई की दुन्दुभी बजी, मेरठ में वह उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उस आजादी की लड़ाई की दुन्दुभी को सुनकर आजादी के सभी आन्दोलनों में बराबर हिस्सा लिया। सन् १९३० से कल तक जब तक वह जीवित रहे, वह बराबर कांग्रेस में सम्मिलित रहे। मेरठ में कोई भी शिक्षा संस्था ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने उसके निर्मित करने में कुछ न कुछ भाग न लिया हो। वह वर्षों तक मेरठ की नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे और अपने कार्यकाल में जो कार्य उन्होंने किये हैं वे वहां के नागरिकों को भलीभांति मालूम हैं। चाहे वह बीमार रहे हों, चाहे उनके परिवार की हालत ठीक न रही हो, वह जैसा मैंने कहा, आजादी की लड़ाई में सदा अग्रसर रहे और सदा सार्वजनिक जीवन में बहुत से आने वाले नवयुवकों को प्रेरणा प्रदान करते रहे।

इस सदन के सदस्य रामकृपालसिंह जी कदाचित् १९४८ में चुने गये थे जब कि वहां के चुने हुये हमारे सम्मानित मित्र तिलक जी ने इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद, जैसा मैंने कहा, वह राज्य सभा के सदस्य भी इस सदन के प्रतिनिधि के नाते चुने गये। वहां उनकी सेवाओं से हम सब परिचित हैं। हमारे प्रदेश का सार्वजनिक जीवन और मुख्यतः मेरठ का सार्वजनिक जीवन उनके देहावसान से बिल्कुल खोखला सा हो गया है और जो क्षति उनके हमारे बीच से उठ जाने से हुई है वह ऐसी है जो कम से कम मेरठ के निवासियों को अखरेगी और सदा उनकी याद दिलाती रहेगी। हमारे बहुत से साथी जो कि १९२० से सार्वजनिक जीवन में रहे हैं धीरे-धीरे हमारी नजरों से ओझल होते जा रहे हैं। जो आया है वह अवश्य जायगा, परन्तु वह जो कुछ हमारे बीच में कर गया है, वह अपनी करनी के कारण सदा हमारी नजरों में बना रहेगा। श्री रामकृपाल सिंह उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर कार्य किया। उनके ५९ वर्ष की आयु ही में चले जाने से इस सदन को अत्यन्त दुख हुआ है। इसलिये अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से श्री रामकृपालसिंह जी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी श्रद्धांजलि उनके दुखित परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा दुःख का विषय है कि आये दिन हमें अपने उन साथियों के बारे में, जिनका इस सदन से निकट संपर्क रहा है, उनके न रहने पर, समवेदना प्रकट करनी पड़ती है। मैं भी मान्यवर, स्वर्गीय रामकृपालसिंह जी, जो आमतौर पर "छोटे जी" कहे जाते थे, उनके सम्पर्क में आया। वह बड़े ही शांतचित्त और प्रभावशाली व्यक्ति थे, चुप रहते थे, किसी पर गुस्सा नहीं करते थे और कितनी ही उलझन की बात होती उसमें सदा वह ऐसी सलाह देते थे कि तनाव कम हो। ऐसे व्यक्ति के न रहने से निश्चय ही हमारे प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को एक बड़ी भारी क्षति पहुंची है। उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी ओर से और इस तरफ के बैठने वाले अन्य माननीय सदस्यों की ओर से उनके दुखित परिवार को समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय रामकृपालसिंह जी के सम्बन्ध में जो उद्गार प्रकट किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत होकर ही उन्होंने राष्ट्रीय संग्राम में अपने जीवन को अर्पित किया। वे इस सदन के सदस्य भी रहे। मेरा श्री रामकृपालसिंह जी से व्यक्तिगत संबंध तो नहीं था, मगर यह सही है कि इस संघर्षमय राजनीति में उनके विरोधी

[श्री राजनारायण]

उम्मीदवार के समर्थन में मुझे कुछ कार्य करना पड़ा था। प्रसंगवश माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर चर्चा कर दी कि १९४८ में वे तिलक जी को हरा कर आये थे। यह सही है कि तिलक जी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कहा कि जो स्थान खाली हो गया था उसको भरने के लिये आये थे। हराने की बात उन्होंने नहीं कही।

श्री राजनारायण—सन् १९४८ में जो उपनिर्वाचन हुआ वह कोई साधारण नहीं था। वह उपनिर्वाचन उस अवसर पर हुआ था जब कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर कांग्रेस में रह कर काम करने वाली राजनीतिक संस्था ने कांग्रेस की पूंजीवादी नीति से ऊब कर कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद किया था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं राजनारायण जी से कहूंगा कि ऐसे अवसर पर इस किस्म के प्रश्न को न उठाया जाना चाहिये।

श्री राजनारायण—ऐसे अवसर पर रोकना भी नहीं चाहिये। मैं कोई अनावश्यक ढंग से तो बोल नहीं रहा था। मुझे दुख है और साथ ही मुझे अफसोस है कि ऐसे समय पर भी वक्ता के उद्गार को व्यक्त करने देने में कुछ न कुछ बाधा आ जाया करती है, नहीं आनी चाहिये। मैं, इस समय उनके निधन से हमें विशेष कष्ट क्यों हुआ, उस कष्ट का ही वर्णन कर रहा था और उस कष्ट के वर्णन करने के अवसर पर यह आपत्ति की गयी मानों पहाड़ ही टूटने जा रहा हो। ऐसी बात की गयी। मैं यह निवेदन कर रहा था और अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए निवेदन कर रहा था और इस बात की अच्छी तरह से अनुभूति करते हुए निवेदन कर रहा था कि ऐसे अवसर पर जब कि किसी के निधन पर शोक प्रस्ताव हो तो हमारा क्या कर्तव्य होता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने के लिये खड़ा हुआ था और अभी खड़ा हूं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रामकृपालसिंह ने इस सदन की सेवा की और इस सदन की सेवा करने के नाते ही आज यहां इस सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। अगर माननीय रामकृपालसिंह इस सदन के सदस्य के रूप में न रहे होते तो शायद इस प्रकार का शोक प्रस्ताव यहां न आया होता, क्योंकि बड़ी-बड़ी विभूतियां इस देश की उठ गयीं और अगर वे इस सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनके निधन पर यहां कोई शोक प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय रामकृपालसिंह के प्रति हमारी श्रद्धा क्यों हुई और उनके निधन पर हमें विशेष कष्ट क्यों हुआ? उनके निधन पर मुझे विशेष कष्ट इसलिये हुआ कि मैं सही माने में उनकी राजनीति का विरोधी रहा हूं और इसलिये मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं एक विरोधी की कद्र करना जानता हूं और विरोधी की इज्जत करना जानता हूं। जब एक राजनीतिक विरोधी का निधन हो जाता है और वह असमय ही काल के गाल में चला जाता है तो यह सही बात है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में आस्था रखने वाले को कष्ट और पीड़ा होती ही है। उसी कष्ट और पीड़ा की अनुभूति को करते हुए मैं श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्री रामकृपालसिंह के दुखी परिवार के प्रति हमारी समवेदना, हमारे दल की समवेदना तथा हमारे समकक्ष जो विचार रखने वाले हैं उनकी समवेदना, उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें और पुनः मैं इस बात को आपके द्वारा उनके दुखी परिवार को बतला देना चाहता हूं कि यद्यपि राजनीति में हमारा और उनका विरोध रहा है, लेकिन विरोध रहते हुए भी उनके लिये हमारे दिल में आदर का भाव बराबर रहा है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहा है और उसी श्रद्धा तथा आदर की वजह से हम चाहते हैं कि हमारी श्रद्धांजलि उनको अर्पित हो और उनके दुखी परिवार के प्रति हमारी समवेदना और सहानुभूति आप भिजवा दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय रामकृपाल सिंह जी से सन् १९३० से लेकर सन् १९४७ तक, जब तक कि स्वाधीनता संग्राम चलता रहा और उसके चलने की सम्भावना रही तब तक अपने एक सैनिक साथी की हैसियत से मुझे भी उनसे सुपरिचित होने का सौभाग्य प्राप्त है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तथा माननीय विरोधी दल के नेता न उनके गुणगणों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उन सब से मैं सहमत हूं और अपने को तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी पूर्ण समवेदना भेज दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय रामकृपालसिंह के बारे में माननीय मुख्य मंत्री तथा और अन्य नेताओं ने जो कुछ कहा उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए श्रीमान् से निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारी पार्टी की समवेदना और सहानुभूति उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकृपालसिंह जी के निधन से मेरठ के सार्वजनिक जीवन में जो स्थान रिक्त हुआ है, सम्भवतः वह अब बहुत दिनों तक नहीं भरा जा सकता। आजादी के सिपाही एक के बाद दूसरे उठते चले जाते हैं तो शेष बचे हुये लोगों के लिये ज्यादा बोझ उनके कंधों पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य कतिपय नेताओं ने जो भाव प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना और सहानभूति के भाव उनके संतप्त परिवार तक आप पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने माननीय रामकृपालसिंह एलिअस छोटे जी के सम्बन्ध में जो भाव प्रकट किये हैं मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनके "छोटे जी" सर्वप्रिय और सर्वग्राही नाम से यह पता चलता है कि वह मेरठ की राजनीति और आसपास के जिलों के लिये तथा प्रदेश के जीवन के लिये कितने महत्वपूर्ण थे। जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि उनका मकान मेरठ का ह्वाइट हाउस कहा जाता था और वहां हर किस्म की राजनीति तय होती थी और उसके अनुसार सभी दलों के लोग कार्य करते थे। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के लोग वहां अपनी राजनीतिक चर्चायें किया करते थे और अनौपचारिक तरीके से बहुत सी समस्याओं का हल हो जाता था। जो माननीय नेताओं ने भाव प्रकट किये हैं उससे स्पष्ट है कि छोटे जी का कार्य सन् १९२० से लगातार सार्वजनिक जीवन में रहा है। वह एक व्यक्ति न थे बल्कि एक संस्था के रूप में वहां देखे जाते थे। बड़े दुख का विषय है कि ऐसा व्यक्ति जब कि हम राष्ट्र निर्माण के युग में आगे बढ़ रहे हैं चला गया और ऐसी विभूतियां एक एक करके हमारे बीच में से उठती जा रही हैं और हम नौजवानों के लिये वे चैलेंज छोड़ते जा रहे हैं कि उनकी जगह किस तरह से पूरी की जाय। विभिन्न नेताओं ने जो समवेदना प्रकट की और जो इस बात का निवेदन किया है कि उनके दुखी परिवार के पास उनकी समवेदना भेज दी जाय इसलिये मैं सदन की तरफ से और अपनी तरफ से इस बात की व्यवस्था करूंगा कि यह समवेदना उनके दुखी परिवार वालों के पास भेज दी जाय। अब हम २ मिनट तक खड़े होकर प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये खड़े हुये।)

'नेशनल हेरल्ड' के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट ने, नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र के संबंध में जो १४ मार्च, १९६१ को एक समाचार छपा है, उसके बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उस समाचार को मैंने देखा है और यह बात ठीक है कि जो घटना सदन में हुई थी, जो वादविवाद हुआ था उसकी सही रिपोर्ट उस अखबार में नहीं है। मिसाल के तौर पर माननीय गोविन्दसिंह विष्ट के उस भाषण के बारे में यह छपी है कि उन्होंने ईद

[श्री उपाध्यक्ष]

की छुट्टी के संबंध में जो सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक बन्द रखने का प्रस्ताव था उसका विरोध किया था । उसमें उन्होंने यह कहा था कि "जहां तक मुसलमान भाइयों की बात कही गयी कि उनको सुविधा दी जाय, इसमें दो राय नहीं है, हम इसको मानते हैं । लेकिन यह दो तीन दिन में भी हो सकता था । लेकिन चूंकि उनको सुविधा देनी है इसलिये उनके ऊपर आरोप मढ़ना कि उनकी वजह से शनिश्चर लिये जा रहे हैं ऐसा आरोप हमें और विशेषकर मुख्य मंत्री जी को उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिये" । यह बात माननीय विष्ट जी ने सदन में कही थी । लेकिन क्योंकि नेशनल हेराल्ड में छपा था कि उन्होंने इसका विरोध किया था, इससे भ्रम फैल सकता है । माननीय विष्ट जी ने कहा वह स्पष्ट है और उन्होंने शनिवार को सदन की बैठक होने का विरोध किया था और ईद की लम्बी छुट्टी होने का विरोध नहीं किया था । मैं जानता हूं कि समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं का बड़ा कठिन कर्तव्य है, वह जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं करते जिससे ऐसी समस्यायें उत्पन्न हों .....

एक सदस्य—मैंने भी एक नोटिस दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें, अभी मैं बोल रहा हूं । तो ऐसी दशा में समाचार-पत्रों के सम्वाददाताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे नाजुक मौकों पर खास तौर से उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिये और जो इस संबंध में वास्तविक रिपोर्ट हो उसको करेक्ट कर के नेशनल हेराल्ड में छपवाने की कृपा करें ताकि विष्ट जी की बात के विषय में भ्रम न हो । इसलिए मैं इसको उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं और इस प्रश्न को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि···

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बैठें, मेरी व्यवस्था हो चुकी । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, अब आगे इस विषय में मैं कुछ नहीं कहने दूंगा ।

जहां तक अवस्थी जी के प्रस्ताव का संबंध है वह साढ़े ११ बजे आया था और वह समय के भीतर न आने के कारण आज नहीं लिया गया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो···

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, मेरी उस विषय में व्यवस्था हो गई, मैं उस संबंध में इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा सुन तो लें···

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें ।

श्री राजनारायण—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि बिना सदन में प्रश्न उठे ही वह स्वतः संशोधित कर दिया करें.....

श्री उपाध्यक्ष—आम तौर पर पहले सदस्यों को समाचार-पत्रों के लोगों को लिख कर भेजना चाहिये और वह न करें तो हमारे पास प्रश्न आना चाहिये ।

श्री राजनारायण—मैं यही कह रहा था कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि ऐसा हो तो आपस में बातचीत हो जाय···..

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, अब वह बात खत्म हुई ।

श्री राजनारायण—हमने श्रीमन्, "कौमी आवाज" को दो बार.....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अन्य प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें । मेरे पास नियम ५२ में.....

श्री राजनारायण—मैं अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं नोटिस दे रहा हूं कि दो बार "कौमी आवाज" को ठीक करने के लिये कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वह अब नहीं करेंगे तो मैं उनके विपरीत प्रश्न उठाऊंगा, यह नोटिस दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर दीजिए ।

श्री राजनारायण—सदन में जो नोटिस होता है उसको लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप स्वयं अपना विरोध कर रहे हैं ।

जिला जालौन के रेढर, समेहरा आदि गांवों में डाकुओं के अत्याचार एवं आतंक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास कई माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के कई प्रश्न उठाकर भेजे हैं । उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा वीरेन्द्रशाह का है जो इस प्रकार है :

"जिला जालौन का उत्तर पश्चिमी भाग जो मध्य प्रदेश तथा इटावा की सरहद से लगा हुआ है आज डाकुओं के उपद्रोह से परेशान है । ग्राम पारोन, थाना रेढर में फरवरी के तीसरे सप्ताह में डकैती दिन के ४ बजे पड़ी, पूरे गांव को लूटा, स्त्रियों की बेइज्जती की, वस्त्र तक उतरवा लिये, जेवर, कपड़ा लूट ले गये और ऐलान कर गये कि इसी तरह आस पास के सब गांव को लूटेंगे । फिर दिनांक ३ मार्च, १९६१ ठीक होली के दिन दिन के २ बजे ग्राम समेहरा थाना चुर्खी में इसी डाकुओं के गिरोह ने डाका डाला, पूरे गांव को लूटा करीब ५०,००० रुपये के जेवर लूट ले गये, गांव वालों ने मुकाबला किया जिसमें दो गांव वाले गोली से मारे गये, यह डकैती २ बजे से शाम के ६ बजे तक पड़ती रही, उन डाकुओं के पास ब्रेन गन, राइफिल्स थीं जिसके कारण कोई भी बाहर से सहायता को न आ सका । यह गिरोह अभी भी इसी क्षेत्र में घूम रहा है । मैं अभी इस क्षेत्र में घूम कर आया हूं । जनता इतनी घबराई हुई है कि अपना सारा काम काज छोड़ दिया है और इनके आतंक से भयभीत है, जिला पुलिस भी अभी तक न तो इन डाकुओं के गिरोह को भगा सकी है और न पीछा ही कर पायी है, जब तक प्रान्त से और पुलिस न जावेगी तब तक यह उत्पात बन्द नहीं हो सकता । मैं इसलिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब जिला जालौन के इस भाग के तीन थाने कैलिया, रेढर और रामपुरा डाकुओं के आपरेशन एरिया हैं फिर और जगह तो पी० ए० सी० रखी है पर यहां क्यों नहीं रखी गई ।"

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज वह सूचना देने के लिये तैयार हैं या कुछ समय लेंगे ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—३, ४ दिन में सूचना हो पायेगी, क्योंकि-दो जिलों से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष—१७ तारीख को अगर आप सूचना दें तो अच्छा है क्योंकि उसके बाद बहुत देर हो जायेगी । आप प्रयत्न कीजिये कि १७ तक सूचना दे दें ।

श्री रामस्वरूप यादव—ठीक है, श्रीमन्, प्रयत्न करूंगा ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ के पारण के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १५ मार्च, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय:

सामान्य विवाद	..	१७ मार्च, १९६१ को ३ बजे तक
खंडशः विचार तथा पारण	..	५ घंटे ।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और इस संशोधन के साथ कि यह प्रस्ताव पुनः विचार के लिये भेज दिया जाय, क्योंकि यह अनिश्चित है । इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ५ घंटे किस दिन सदन बैठेगा । १७ तारीख को ३ बजे तक सामान्य विवाद चलेगा उसके बाद बजट पेश होगा । फिर छुट्टी हो जायगी । तो ५ घंटे बिल्कुल अनिश्चित है कि किस दिन होंगे । अतः इसको पुनः भेज दिया जाय और निश्चित किया जाय कि ५ घंटे किस दिन सदन बैठेगा....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो अध्यक्ष का कर्तव्य है । आप एक मर्तबा प्रस्ताव पास करेंगे, उसके बाद चेयर देखेगी कि आपको ५ घंटे का समुचित समय मिलता है ।

श्री राजनारायण—मैं इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि केवल ५ घंटे ही इसके खंडों पर समय देकर इसको पूरा कर लें और उससे किसी बड़े काम को न होने में दिक्कत पड़ती हो तब तो ऐसा करना ठीक है । मगर ५ घंटे का समय कोई समय नहीं है, वह बाद में भी हो सकता है । ५ घंटे जिस दिन सदन खुलेगा उस दिन होगा या उसके बाद होगा ? तो जब तक कोई निश्चित तिथि न हो जाय तब तक इसको स्थगित किया जाय और पुनः विचार के लिये इसको भेज दिया जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरी प्रार्थना है कि इस पर समय भी निर्धारित कर दिया जाय कि वक्ता कितनी देर बोलेंगे । मैं प्वाइंट आउट किये दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह बाद में उठाइयेगा ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस समिति में राजनारायण जी के दल के श्री उग्रसेन भी थे और मुझे ऐसी आशा थी कि समिति में जो बातें हुई हैं वह राजनारायण जी को बता दी होंगी । हम तो नहीं चाहते थे कि इतना समय दिया जाय । लेकिन अपोजीशन की तरफ से डिमान्ड थी कि ५ घंटे दिये जायं और आपस में जेन्टिलमैन्स ऐग्रीमेंट हो गया था कि हर रोज एक-एक घंटा बढ़ाकर ५ घंटे में इसको पारित कर दिया जायगा । मुझे विश्वास था कि उग्रसेन जी ने और दूसरे साथियों ने भी राजनारायण जी को सूचना दे दी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—१७ को ३ बजे के बाद ५ घंटा और इसके लिये, लिये जायंगे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां । एक-एक घंटा २३ के बाद प्रति दिन के हिसाब से लिया जायगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—शर्मा जी ने जो मेरा नाम लिया तो मैं उनको बतला दूं कि जो तय हुआ था वह मैंने अपने नेता को बतला दिया था । कार्यपरामर्शदात्री समिति में तय यह हुआ था कि १७ के तीन बजे तक आम विवाद होगा और ५ घंटे तय किये गये जिनमें

खंडशः विचार किया जायगा । लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि इन ५ घंटों के लिये कोई विशेष दिन होगा या टाइम बढ़ा कर होगा इस पर कोई तय नहीं हुआ । सब लोग वहां मौजूद थे, उनसे भी पूछ लिया जाय । माननीय शर्मा जी सदन को भ्रम में डाल रहे हैं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मुझे आश्चर्य हुआ जो शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने यह कहा कि विरोधीदल के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और उन लोगों ने इस तरह का आग्रह किया । हम लोगों की तरफ से आग्रह यह था कि इस बिल को जल्दी पास करने के लिये कोई अर्जेंसी नहीं है । हम यह चाहते हैं कि परसों शाम तक जनरल बहस इस पर हो जाय और उसके बाद चूंकि संशोधन बहुत ज्यादा हैं तो उन पर विचार करने के लिये समय कब निर्धारित किया जाय इस पर बाद में विचार कर लिया जायगा । फिर उनकी तरफ से बार बार आग्रह किया गया और हम लोगों ने अन्त में यह बात तय कर पाई कि परसों शाम तक जनरल बहस हो जाय और ५ घंटे की बहस पर कोई फैसला देना आवश्यक नहीं समझा और यह तय हुआ कि उसे बाद में अध्यक्ष स्वयं तय कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—यही तो मैंने कहा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय शर्मा जी ने कहा "विरोधी दल की राय से" तो उसमें तो हम लोग भी शामिल हो जाते हैं । मान्यवर, मैं यह सूचित कर दूं कि हम लोग कमेटी में हैं ही नहीं । बार बार यह कहना उचित नहीं समझा जाता लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूं कि जनसंघ भारतवर्ष की चार मानी हुई संस्थाओं में से है और हम जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका अलग राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और बाकी के लोग चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों समाजवाद वाले हैं लेकिन हमें अवसर नहीं दिया जाता कि हम वहां अपनी बात रख सकें और यहां कहा जाता है विरोधी दल के लोग । तो इस तरह की गलत-फहमी में सरकार न डाला करे ।

श्री उपाध्यक्ष—बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में जो लोग थे उन्हीं से मतलब था । आप इसके लिये चिन्तित न हुआ करें ।

श्री राजनारायण—माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने कार्य परामर्शदात्री समिति के संबंध में जो समय के बंटन के संबंध में गलत सूचना दी जिसके संबंध में गोविन्दसिंह विष्ट, रामायणराय तथा उग्रसेन जी ने विचार व्यक्त किये उस संबंध में माननीय शर्मा जी या तो खेद प्रकट करें नहीं तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं । इसकी सूचना मैं दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहते क्या हैं ?

श्री राजनारायण—हम यह चाहते हैं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो, हम तनिक भी अड़ंगा लगाने का कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन जब तक कोई निश्चित प्रस्ताव न आ जाय तब तक अनिश्चित प्रस्ताव द्वारा व्यवस्था नहीं की जा सकती । एक काल्पनिक बात करना कि यह चीज होगी यह कोई प्रस्ताव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि प्रस्ताव की भाषा निश्चित हो, डेफिनिट हो । ५ घंटे अगर एक एक घंटा प्रति दिन लेकर करना है तो उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिये और ५ घंटे के लिये एक पूरे दिन बैठना है तो उसके बारे में निश्चित होना चाहिये। जब तक फैसला न हो तब तक अनिश्चितता में कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि ये ५ घंटे कैसे लिये जायंगे इसके बारे में वे विभिन्न विरोधी दल के नेताओं से मिल कर बात कर लेंगे । इसके लिये चिन्ता नहीं है । अगर ५ घंटे के लिये आप तैयार हैं तो अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें तो दो बातें हुईं। एक तो सदन को गलत सूचना दी गयी। तो पहले इसके संबंध में माननीय शान्तिप्रपन्न जी कुछ बतायें तो मैं जवाब दूं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ी सी तकलीफ भाई उग्रसेन जी और रामायणराय जो की बात से हुई। अध्यक्ष महोदय, वहां उपस्थित थे और उनका अपना यह सुझाव था कि यह समय एक-एक घंटा करके बढ़ा दिया जाय। हम लोगों की साधारणतया यह इच्छा थी कि यह पूरा बिल ३ बजे तक पारित कर दिया जाय और मैंने ऐसी रिक्वेस्ट ····

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में जो सुझाव दिये गये उनकी चर्चा सदन में कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं बिल्कुल यही कहने जा रहा था कि वहां क्या कार्यवाही हुई इस पर कोई माननीय सदस्य प्रकाश नहीं डाल सकते और न डालना चाहिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि एक बात यहां प्रारम्भ हो गयी इसलिये आपकी आज्ञा से एक बात मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहां कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने ····

श्री राजनारायण—फिर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—अब वह तो हो गया।

श्री राजनारायण—तो अब आप आज्ञा देते हैं कि वे यहां वह बात कहें ?

श्री उपाध्यक्ष—वे पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जरा उनकी बात सुनने तो दीजिये कि वे क्या कह रहे हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन इसलिये देना चाहता हूं और मैं कहना भी यही चाहता था कि जो चीजें वहां तय हो गयीं और आपस में अध्यक्ष महोदय ने तय कर दीं, तो अच्छा यही होता कि उन बातों को यहां न उठाया जाता। लेकिन चूंकि माननीय राजनारायणजी ने जो बातें वहां हुईं उसके विपरीत यहां कहा तो मैंने यह उचित समझा कि बता दूं कि ऐसी बात है। मुझे दुःख हुआ कि हम लोग आपस में मिल कर जो बात तय कर लेते हैं सदन में आ कर उस पर भी हम कायम नहीं रहते। यह कुछ बहुत अच्छा नहीं मालूम होता। अध्यक्ष महोदय वहां थे और वे सभी चीजों को जानते थे। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि और अधिक न कह कर जो प्रस्ताव है उसको पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो प्रश्न उठा था कि आपने गलत सूचना दी इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने गलत सूचना नहीं दी। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि एक-एक घंटा बढ़ा कर ····

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ····

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर अभी बैठें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जिस वक्त ये बातें हो रही थीं तो यह सुझाव वहां आये थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह अभी निश्चय करने की आवश्यकता नहीं है इसको बाद में तय कर लिया जायगा लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इस तरह की चीज होगी और वह अध्यक्ष महोदय को भी मालूम है और आप उनसे पूछ कर निर्णय दे सकते हैं।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, मैं उस कमेटी का एक सदस्य हूं और आज उसमें शुरू से आखिर तक था। एक बात उसमें यह निश्चय ही तय हुई थी कि परसों ३ बजे तक उस पर सामान्य विवाद हो और ५ घंटे खंडों पर हो और ५ घंटे के लिये अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि मैं रोज एक-एक घंटा समय बढ़ा करके के इसको करवा दूंगा और इसके लिये स्वयं व्यवस्था कर लूंगा। इसके बाद भी यहां यह विवाद चल रहा है कि माननीय शर्मा जी ने गलत तथ्य दिये । तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह बिल्कुल सत्य है और यही उनके सामने निर्णय हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (क्रमागत)†

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, समय निर्धारित कर दिया जाय । यह आगे बैठने वाले एक एक घंटा बोलते हैं और हम लोग रह जाते हैं । आप हमारी सुनते नहीं हैं और आगे वालों की ही सुनते हैं । हम लोगों को बीस मिनट मिलने चाहिये । श्रीमन्, हमारा खयाल रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं पुजारी जी को बता दूं कि मैं उनको किसी नेता से कम नहीं मानता हूं और मैं उनको उचित समय दूंगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर अपने खयालात को अर्ज करने के पहले मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि इस आदरणीय सदन के माननीय नेता सदन की विजय के फलस्वरूप इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य होने पर उनको मुबारकबाद पेश करूं और आशा है कि वह उसको कुबूल फरमायेंगे । श्रीमन्, हमारे बहुत से साथियों का विचार है कि विरोधियों को यह नहीं कहना चाहिये । लेकिन हम उस मत के हैं जो शिष्ठा को राजनीति से बड़ी चीज समझते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप विषय पर आ जाइये ।

श्री सुरथ बहादुर शाह---श्रीमान्, कल मैंने राधाकृष्णनन् कमेटी की रिपोर्ट में से एक हिस्से को कोट किया था और मैंने अर्ज किया था कि राधाकृष्णनन् कमेटी द्वारा इस बात की चेष्टा की गई थी कि इन्टरनल और एक्सटर्नल मेम्बरों में एक पैरिटी होनी चाहिये, एक ऐसी समता होनी चाहिये कि इंटरनल की तरफ ज्यादा झुकाव रहे इंटरनल से तात्पर्य है अध्यापक और टीचर्स से।

श्रीमन्, आज जो असलियत है उस पर मुलाहिजा फरमायें । उदाहरण के लिये अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय को लें तो यहां पर १० एक्सटर्नल मेम्बर हैं और १२ अध्यापक हैं आज एक्जीक्यूटिव कांउसिल में सरकार के पक्ष के ७ मेम्बर्स हैं । अब सरकार अपने दो मेम्बर्स और बढ़ाना चाहती है। एक तो डायरेक्टर आफ मेडिकल एंड पब्लिक हैल्थ सर्विसेज और दूसरा डायरेक्टर आफ एजूकेशन । मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां सरकारी पक्ष के मेम्बर्स सात थे वहां अब ९ हो जायेंगे । इससे जो पैरिटी है वह डिस्टर्ब होगी। मेरी सलाह यह है कि अगर यह सरकार ऐसा करना चाहती है और अगर दो सरकारी पक्ष के आदमी बढ़ाना ही चाहती है तो तीन टीचर्स के आदमियों को बढ़ाना लाजमी हो जाता है तब

---

†१४ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से ।

[श्री सुरथबहादुर शाह]

तो राधाकृष्णन् कमेटी के अनुसार पैरिटी रहेगी वरना जैसा मैंने अर्ज किया था कि टीचरों को विश्वविद्यालयों में इतनी संख्या कम हो जायगी और सरकारी पक्ष और एक्सटर्नल आदमियों की संख्या इतनी बढ़ जायगी कि अन्त में विश्वविद्यालय सरकारी नार्मल स्कूल बन कर ही रह जायंगे ।

पुराने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चुनने की पुरानी रीति १९२० के ऐक्ट के अनुसार यह थी कि—

"The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor after consideration of the recommendations of the Executive Council, and shall hold office for such term and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes."

पिछली मर्तबा यह तरीका बदल दिया गया । जो वह पुरानी प्रणाली थी उसके हिसाब से किस प्रकार के वाइस-चांसलर चुने गए ? परांजपे जो कि एक सीनियर रैंग्लर थे । रैंग्लर श्रीमन् , मैथमेटिक्स में कैम्ब्रिज की एक बहुत बड़ी डिग्री है और ऐसी है कि जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। महामहोपाध्याय गंगा नाथ झा, पंडित जगतनारायण मुल्ला, डाक्टर अमर नाथ झा, राजा सर महाराज सिंह, जो कि एक विशेषज्ञ होने के अलावा एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे आक्सफोर्ड के बोक्सिंग ब्लू थे, इकबाल नारायण गुर्टू, आचार्य नरेन्द्रदेव, डाक्टर तारा चन्द्र इस प्रकार के वाइसचांसलर उस रीति से चुने गए जिसको कि इन्हीं की कांग्रेसी सरकार ने रद्द कर दिया। इस सरकार की नीति द्वारा जो वाइस चांसलर चुने गए वह तीन चार उदाहरण उसके मौजूद हैं सामने । अब उस नीति को फिर बदलकर वह ऐसी नीति अपनाना चाहते हैं जिस नीति से अभी तक कोई वाइस चांसलर चुना नहीं गया, यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नीति अपनाना चाहते हैं । श्रीमन्, जैसा मैंने कल कहा था अगर किसी की नकल करनी हो या किसी रीति को अपनाना हो तो वह रीति वह होनी चाहिये कि जो सदियों की हो या जिससे लाभ हुआ हो । वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका कि अभी तक तजुर्बा न किया गया हो । हमसे यह कहा जाता है कि और फल खाओ और हजम कर लो और उस फल को खाओ जिसको कि अभी तक चखा नहीं गया । इसी तरह से उस रीति को अपनाना चाहते हैं जिस रीति से अभी तक किसी वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई है । जिस रीति से इतनी महान हस्तियां वाइसचांसलर हुई हैं उस रीति को छोड़कर एक नयी रीति अपनाओ । वाह, क्या खयाल है !

इस बिल को लाते हुए श्रीमन्, इस बात की संभावना है कि कई प्रकार की दुहाइयां दी जायंगी क्योंकि यह सरकार तो बड़े विशेषज्ञों की सरकार है। इस सरकार के मिनिस्टर्स और उन मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स इनको बहुत जगहों से एक्सट्रैक्ट्स दे देंगे जिसको कि वह यहां पढ़ देंगे । लेकिन यह फिर नहीं बतायेंगे कि किस तरह से है और कहां से है? मैं अभी तक आशा कर ही रहा हूं कि जो उपमंत्री जी ने राधाकृष्णनन् कमीशन का एक्सट्रैक्ट्स कल पढ़ा था उसके बारे में वह हमें बतलायेंगे कि वह कहां से पढ़ा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली और मिले तो कैसे क्योंकि वह तो स्लिप मंत्रियों के मंत्री भेजते हैं जिससे मंत्री जी बिलकुल नावाकिफ होते हैं । जब पूछा जाता है तो कह दिया कि भेज देंगे उसके बाद पहुंचे या न पहुंचे। तो श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया कि इस बिल के पक्ष में बहुत सी और कई प्रकार की दुहाइयां दी जायंगी । मेरी समझ में यह दुहाई दी जा सकती है कि टीचर्स भी इससे सहमत हैं । मेरे खयाल से इस बात की दुहाई दी जा सकती है कि बड़े-बड़े विशेषज्ञ और वाइस चांसलर भी इससे सहमत हैं । मेरे खयाल से इस बात की दुहाई दी जा सकती है कि देश के महान नेता भी इससे सहमत हैं और मेरे खयाल से इस बात की भी दुहाई दी जा सकती है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी चांसलर भी इससे सहमत हैं ।

श्रीमन्, पहली दुहाई पर गौर करें कि इसमें टीचर्स की भी राय है। हो सकती है। आपने जो यूनिवर्सिटी कमीशन बैठाला है उसने टीचर्स को इतना भयभीत कर रखा है यह कहकर कि तुम्हारे दस साल के नामिनेशन को और दस साल की नियुक्तियों को वे देखेंगे, तो गुलामी को प्रवृत्ति और स्लेविश मेंटालिटी को जो अभी तक छोड़ नहीं पाये हैं जिन लोगों के दिल भयभीत हैं उनको राय आपको मिल सकती है। फिर अपनी गुटबन्दी द्वारा तमाम विश्वविद्यालयों के टीचर्स के दिलों में दहशत उत्पन्न करके आप एक नहीं पचास टीचर्स ऐसे पा सकते हैं जो कि मेमोरंडम भी लिखकर पेश कर देंगे। लेकिन यह नहीं भूला जा सकता है कि उसकी जड़ में होगा उनका भय। इसी तरह से बहुत से फ्रेस्ट्रेटेड टीचर्स और वाइस चांसलर्स भी आपको ऐसे मिल जायंगे जो कि यह कहेंगे कि वे इससे सहमत हैं और इसके साथ वह यह और जोड़ देंगे कि हुजूर, इंटरिम वाइस चांसलर रखते समय और बाद में सेलेक्शन के वक्त मेरा ध्यान रहे सरकार।

दूसरी बात वायस चान्सलर की हो सकती है। जैसा मैंने अभी कहा कि इसकी भी संभावना हो सकती है कि वाइस चान्सलर आपकी राय से सहमत होकर कहे कि यह बिल बड़ा सुन्दर है मगर वे यह भी कहेंगे कि हुजूर इन्टरिम वक्त में और आइन्दा जब सेलेक्शन का वक्त आये तो आपका ध्यान इधर रहे। ऐसा हो सकता है कि देश के महान नेताओं की दुहाई दी जाय। देश के नेता राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, पं० जवाहर लाल, मुरार जी देसाई, लाल बहादुर जी इत्यादि इन लोगों का भी नाम लिया जा सकता है यानी उच्च श्रेणी के लोगों का नाम लिया जा सकता है। लेकिन श्रीमन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बहुत सी बातें ऐसी की गईं जिनसे हमको एतराज नहीं था? क्या हम यह भूल जायंगे कि सन् १९५३ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो डिसीजन था जिसमें यह कहा गया था कि मंत्री को कोषाध्यक्ष नहीं होना चाहिये यह कभी पूरा नहीं किया गया? क्या उनसे मशविरा के समय उनको यह बतलाया था कि उन वायस चान्सलर को, जिनके वायस चान्सलरशिप काल में विश्वविद्यालय में गोली चली थी और यहां के होनहार नवयुवक शहीद हुए थे गयन्दर का नाम देशभर को मालूम है यानी जिनको वायस चान्सलरशिप काल में यह गड़बड़ी हुई, उनको यहां का शिक्षा मंत्री बनाया गया है? आप पूरी खबर न देकर किसी से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अन्त में यह भी संभावना है कि यह कहा जाय कि कुलपति की यही राय है। मैं यह समझता हूं कि कुलपति की राय मुख्य मंत्री की राय होती है। क्या यह संभव हो सकता है कि कुलपति अपनी राय दे शिक्षामंत्री को बगैर मुख्य मंत्री की सलाह के? अगर यह संभव है तो क्या कारण है कि २८ जनवरी का लखनऊ विश्वविद्यालय का रेज्योलूशन जिसमें कोषाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, अभी कुलपति के यहां से पास होकर नहीं आया। क्यों? इसलिये कि आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा आदमी यहां रहे जो उचित और निष्पक्ष हो जिसको ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह संभव नहीं है कि उस तरीके से आप करें लोगों की आकांक्षा के मुताबिक इसलिये उस बात को दबाना ही ठीक समझा जाता है। इसलिये कुलपति या चान्सलर की राय जो समझाई जाती है वह दूसरे शब्दों में मैं यह समझता हूं कि वास्तव में वह मुख्य मंत्री की सलाह या राय है।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं कुछ अंश उस कमीशन की रिपोर्ट का जिसके अध्यक्ष हमारे उपराष्ट्रपति थे और जो केवल शिक्षा विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय एकेडमेशियन के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी रिपोर्ट के कुछ उद्धरण आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इसके कब्ल मैं शिक्षा मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से और मंत्रिमन्डल से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन यूनिवर्सिटीज के मामलों से खिलवाड़ न करें। संभव है कि यह सरकार तीन महीने ही चले, संभव है तीन साल चले और यह भी संभव है कि तीस साल चल जाय। लेकिन हमारे समाज में सब चीजें नाशवान हैं, सब चीजें फानी हैं। हम चले जायेंगे, आप चले जायेंगे, यह बिल्डिंग नहीं रहेगी, लेकिन समाज की जो सभ्यता है वह यूनिवर्सिटी के आर्चेज में पुस्तकों के रूप रहेंगी वह जीवित रहेंगी और अमर रहेंगी। संभव है कि आज यह हंसने की बात हो, लेकिन इस पर गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप क्या करने जा रहे

[श्री सुरथबहादुर शाह]

हूं । उसको भविष्य में जनता किस प्रकार याद करेगी । श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं राधाकृष्णनन् कमेटी के वाल्यूम १, पृष्ठ ३३, खन्ड २ में से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

"He indeed must be blind who does not see that, mighty as are the political changes, far deeper are the fundamental questions...."

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, हमारी समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—वह समझा रहे हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—यह मेरी विवशता है कि यह अंग्रेजी में है, लेकिन उससे भी बड़ी विवशता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—रामस्वरूप जी उप शिक्षा मंत्री है, श्री कैलाशप्रकाश जी तो स्वायत्त शासन मंत्री हैं । उप शिक्षा मंत्री आप की बात सुन रहे हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—

"He indeed must be blind who does not see that, mighty as are the political changes, far deeper are the fundamental questions which will be decided by what happens in the universities. Everything is being brought to the test of reason, venerable theologies, ancient political institutions, time-honoured social arrangements, a thousand things which a generation ago looked as fixed as the hills. If India is to confront the confusion of our time, she must turn for guidance, not to those who are lost in the mere exigencies of the passing hour, but to her men of letters, and men of science, to her poets and artists, to her discoverors and inventors. These intellectual pioneers of civilization are to be found and trained in the universities, which are the sanctuaries of the inner life of the nation."

जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ अधिक महत्व की बात वह है जो कि बिश्वविद्यालयों में समाज के बुनियादी सिद्धांतों में विश्वविद्यालयों द्वारा परिवर्तित होगी। समय वह है जब कि हर बात की जांच की जा रही है । सदियों पुरानी मान्यतायें तथा रीति नीति जिन्हें अटल समझा जाता था उन पर संदेह होने लगा है। यदि भारत को इस अंधकार के ऊपर उठाना है तो उसे अपने देश के विद्वानों, वैज्ञानिकों, कवियों और कलाकारों तथा रचना करने वालों की ओर देखना है । यह ही वे हैं जो विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षित होते हैं यानी जो विश्वविद्यालयों से निकलते हैं । श्रीमन्, आपकी आज्ञा से एक छोटा सा कोटेशन और पढ़ना चाहता हूं जो इसी वाल्यूम के पृष्ठ ४८ पर है—

"Freedom of individual development is the basis of Democracy. Exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyrannies. In such States institutions of higher learning controlled and managed by governmental agencies act like mercenaries, promote the political purposes of the State, make them acceptable to an increasing number of their populations and supply them with the weapons they need. We must resist, in the interests of our own democracy, the trend towards the governmental domination of the educational process.

Higher education is, undoubtedly, an obligation of the State but State aid is not to be confused with State control over academic policies and practices. Intellectual progress demands the maintenance of the spirit of free inquiry."

व्यक्ति का विकास प्रजातंत्र का बुनियादी उसूल है। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण से तानाशाही को कायम रखने में सहायता होती है। ऐसे समाज में शिक्षा के स्थान सरकार के दूत बन जाते और उस राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनसाधारण को प्रोत्साहित करते हैं। लिहाजा प्रजातंत्र की रक्षा हेतु राज्य द्वारा शिक्षा के नियंत्रण का विरोध करना हमारा धर्म है। उच्च शिक्षा निश्चय ही सरकार का कर्त्तव्य है किन्तु इस कर्त्तव्य का पालन रीति नीति के नियंत्रण से नहीं किया जा सकता। मानसिक विकास तभी संभव है जब कि उस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो।

मैं फिर विनम्र शब्दों में एक बार पुनः इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह हमला यूनिवर्सिटियों को खत्म करने के लिये नहीं है बल्कि हमारे समाज और सभ्यता पर कुठाराघात होना है। श्री राधाकृष्णनन् जी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार हैं—

"We cannot preserve real freedom unless we preserve the values of democracy, justice and liberty, equality and fraternity in the Universities."

हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते है जब तक कि प्रजातंत्र के मूल्य अर्थात न्याय तथा समता वा भाई चारे को सुरक्षित न रखें विश्वविद्यालयों में ?

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, विश्वविद्यालय वह जगहें हैं जहां से बड़े-बड़े महानपुरुष शिक्षित होकर निकलते हैं, जहां पर रिसर्च का कार्य होता है, जहां शिक्षा शैली का जन्म होता है। जहां पर राजेन्द्र प्रसाद तथा जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है। वह शिक्षा का पुनीत स्थान है। हमारी सभ्यता का विकास ही वहां से होता है। अगर उस पर कोई कुठाराघात होगा तो वह हमारी सभ्यता पर कुठाराघात होगा और वह बिलकुल नष्ट हो जायेगी।

श्रीमन्, आज जो सरकार करने जा रही है, उसको यह ध्यान रखना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तर तक जनता याद रक्खेगी कि यूनिवर्सिटियों को चौपट करने की जिम्मेदारी इसी सरकार पर थी। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस अधिनियम को जनता की राय जानने के लिये घुमाने का जो प्रस्ताव है वह स्वीकार करें।

इतना और अर्ज कर दूं कि यह कोई नवीन परम्परा नहीं होगी। सन् ५२ में भी एक विश्वविद्यालय विधेयक जनमत हेतु घुमाया गया था। इसलिये यह उचित और शोभनीय ही होगा। उन ऐकैडेमिशीयसं और विशेषज्ञों की राय जानना निहायत जरूरी है। हम लोगों के खत्म हो जाने के बाद भी वहां की लाइब्रेरी और इतिहास में हमारे शब्द सदैव के लिये अजर और अमर रहेंगे और यदि हमने नये पौधों को शादाब नहीं होने दिया तो वह फलने कैसे पावेंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग इस कारण नहीं कि यह विरोधी पक्ष से प्रस्ताव आया है, बल्कि इसलिये कि विश्वविद्यालयों के प्रति आपके हृदय में वास्तविक प्रेम है, आप इस प्रस्ताव का समर्थन करने की कृपा करें।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल के बारे में बोलने का समय दिया। यह आज का बिल केवल १० अमेंडमेन्ट्स के लिये है और इसके अन्तर्गत हम ऐसा भी नहीं मानते हैं कि हम सब सुधार कर ही देंगे, न ही परफेक्शन का दावा करते हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो चीज हमारे सामने है, उसमें हमने क्या परिवर्तन किया और किस तरह से किया।

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

एक बात और बता दूं कि पत्रकारों को तो मैं अपने भाव नहीं समझा पाती, सदस्यों को जरूर समझाने की कोशिश करूंगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अपने ४० वर्ष के जीवन में २४ वर्ष मेरे इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ते और पढ़ाते ही बीते हैं। उसके आधार पर जो पूरा नक्शा हमारे सामने है उसके ऊपर सुझाव दूंगी और इस बिल के समर्थन के लिये आप से कहूंगी।

मान्यवर, मैंने कल से माननीय मोतीलाल जी अवस्थी, माननीय गौरीशंकर राय, माननीय सुरथबहादुर शाह के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। माननीय मोतीलाल जी ने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा द्वारा चरित्रवान, योग्य, बलवान नागरिक बनाने का प्रयत्न होना चाहिये। मैं इधर के सब साथियों की ओर से यह कह देना चाहती हूं कि हमारा भी यही बिचार है और अभिभावक के नाते हमारा सबका यही ध्येय है। उन्होंने यह भी कहा, अपने लम्बे भाषण में, कि शिक्षा के ढांचे में पूरा परिवर्तन होना चाहिये। ठीक है, पूरे परिवर्तन का प्रयत्न हमारे सामने है। इसीलिये तो राधाकृष्णनन् और मूथम कमीशन्स बनाये गये और अन्य कमेटियां बनती चली जा रही हैं। हम चाहते है कि किसी प्रकार परिवर्तन हो जाय।

मान्यवर, माननीय मोतीलाल जी का कल जो भाषण हुआ वह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राधाकृष्णनन् कमीशन की रिपोर्ट पर lecture तैयार किया गया हो जो एक कालेज क्लास में दिया जाय। इस हिसाब से उनका भाषण सराहनीय है। लेकिन जो विधेयक है उस पर उनके क्या बिचार हैं वह अस्पष्ट है। हां, एक क्लास में उनका लेक्चर था और थोड़े समय के लिये ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि यह हाल जो है वह एक क्लास लगा हुआ है जिसे उनको पढ़ाना है राधाकृष्णनन् जी की रिपोर्ट। क्लास में तो ४० मिनट का एक घंटा होता था लेकिन वह यहां पर ९० मिनट यानी १ १/२ घंटे हो गया। मान्यवर, शिक्षा में परिवर्तन के लिये उन्होंने जो कहा उसको जरा ध्यान से देखा जाय।

मान्यवर, यह जो आजका विधेयक है इसमें जो मुख्य क्लाज है वह एक चीज के ऊपर संकेत करता है वह यह कि विश्वविद्यालययों में उपकुलपतियों की किस तरह से नियुक्ति हो। माननीय अवस्थी जी ने इस संबंध में राधाकृष्णनन् कमीशन या अन्य कमेटियों की रिपोर्टों में से जो कोटेशन दिये उससे तो जो पुरानी पद्धति है उनसे विरोध का समर्थन हुआ कि चुनाव का तरीका गलत है। मान्यवर, वह सन् ४९ की रिपोर्ट थी और यह जो १२ साल का समय हमारे सामने बीता उसमें क्या हाल रहा यह भी एक नयी कहानी है। हमारा जो पुराना तरीका है वह यह है कि एग्जीक्यूटिव के सदस्य जिन नामों को सजेस्ट करके भेजते हैं उनमें से एक को हमारे कुलपति नियुक्त करते हैं। अब मान्यवर, होता क्या है? कभी कभी तीन चार नाम उपस्थित होते हैं उनमें एक जो ज्यादा वोट पाता है उनके लिये जरूरी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूटिव का मेजारिटी समर्थन प्राप्त हो। जैसे १९ मेम्बर हुए, चार खड़े हो गये, अब चार के खड़े होने पर एक को ५ वोट मिल गये और बाकी को चार चार। तो चार चार वाले रह गये और पांच वाला होगया। ऐसी परिस्थिति में यह सोच लेना कि जो वाइस चांसलर होगा वह अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर लेगा, यह संभव नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि वोट के आधार पर बहुत सी गल्तियां हुई हैं टीचरों की नियुक्ति में और विद्यार्थियों पर अनुशासन कायम करने में। अभी सुरथबहादुर शाह जी ने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा के केन्द्र होते हैं, उनके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस गलती को हम देख रहे हैं उसको भी ठीक न करें, क्या यह उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

माननीय अवस्थी जी की एक बात गौर करने लायक है। उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि जो सीनियरमोस्ट प्रोफेसर हो वह उप कुलपति बनाया जाय ---

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह श्री त्रिलोकी सिंह जी का प्रस्ताव है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—लेकिन आपने अपना ही कहकर कहा। इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा विधेयक को देख लिया जाय कि उसमें इसकी गुंजायश है या नहीं। तीन व्यक्तियों का एक बोर्ड होगा। एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव के द्वारा चुना जायगा, एक व्यक्ति चीफ जस्टिस द्वारा मनोनीत होगा जो जज होगा या रिटायर्ड जज होगा, और एक व्यक्ति वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। इसमें कौन-सा व्यक्ति ऐसा है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्या चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या चांसलर द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या एग्जीक्यूटिव द्वारा चुने हुए सदस्य पुर विश्वास नहीं कर सकते? ये तीनों व्यक्ति अवश्य ही निष्पक्ष आदमी को चुनेंगे। माननीय अवस्थी जी ने कहा कि सीनियर-मोस्ट को चांस नहीं देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से सीनियरमोस्ट को चांस नहीं देंगे। अगर सीनियरमोस्ट कैपेबिल होगा तो उसको चांस अवश्य दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने जो बात नहीं कही, उसको जबरदस्ती मेरे मुंह में रखने का प्रयत्न कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप इसका खयाल रखें।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—जो व्यक्ति स्टाफ में सीनियरमोस्ट है उसका चांस तो होगा ही। लेकिन दो बातों पर हमें अवश्य गौर करना होगा। एक तो यह कि मान लिया वह सीनियरमोस्ट व्यक्ति बड़ा काबिल है, अच्छा वक्ता भी है और अच्छा अध्यापक भी है लेकिन अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है और जिसने उसके दो चार घंटे पीछे ही ज्वाइन किया वह योग्य होने के साथ-साथ अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति यह भी हो सकती है कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति जो बहुत ही योग्य हो, जो विद्यार्थियों की अधिक सेवा कर सकता हो तो उसको भी चांस दिया जा सकता है। जिस प्रकार से आचार्य नरेन्द्रदेव लखनऊ के और श्री राधाकृष्णनन् बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाये गये। वे भी इसी पद्धति के आधार पर बनाये गये। अगर केवल वहां के प्रोफेसर के लिये ही रखा जाय तो उपकुलपति को चुनने का सर्किल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उस सर्किल के अन्दर थोड़ा चांस हो जाता है। तो इसमें क्या दोष है और अपने देश के भावी नागरिक बच्चों की सेवा के लिये, जिनके कंधों पर कल देश का भार पड़ने वाला है, ऐसे व्यक्ति की सेवा उनको लाकर दी जाय? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगी कि इस बात को मानते हुए कि जनता को कल के नागरिकों की सेवा करना एक सिद्धान्त की बात है, और उसे देखना यह है कि जो मौजूदा पद्धति है उसमें ठीक तौर से इसे बरता गया है या नहीं।

इसके अलावा जो दूसरी पद्धति है उस पर भी हम गौर कर लें और देख लें और यह देखने के बाद ही आशा की जा सकती है कि जिन-जिन यूनिवर्सिटीज ने ऐसी पद्धति अतिख्यार की है, वह सफल हो सकती हैं, तो उसके आधार पर और जो बड़े-बड़े तजुर्बेकार लोग हैं उनके आधार पर कि आजकल जो चुनाव पद्धति है ठीक नहीं है, यह सोचा गया कि ऐसा करके देख लिया जाय और तब उसे सफलता पूर्वक चलाया जा सकेगा। इसलिये यह चेंज किया गया। इसके अन्तर्गत किसी मोटिव को ले आना या किसी पर शंका करना उचित न होगा। मैं कहती हूं कि जो भी सुझाव आप यहां दें वह सोच समझ कर दें क्योंकि यहां पर जो आपकी बातें होती हैं वह आपके जीवन का अक्स होता है जिसे जनता अपने आइने में देखती है। इसलिये आज जरा ऊंचा उठ कर देखें और सोचें कि वाकई में वह चीज किस शंका के आधार पर कही जाती है। यह चीज आपके सामने थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह के तीन व्यक्तियों में पूर्ण विश्वास किया जाय तो गलत नहीं होगा।

श्रीमन्, यहां पर डेमोक्रेसी की दुहाई दी गयी और यूनिवर्सिटी के आटोनामी के खत्म होने की दुहाई दी गयी। पहले हमको और आपको सोचना होगा कि आटोनामी का अर्थ

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

क्या है। ऐब्सोल्यूट आटोनामी जो होती है वह केवल केन्द्रीय सरकार की हुआ करती है। उसके अन्तर्गत जितनी यूनिट्स होती हैं, उनके पास एक लिमिटेड आटोनामी हो जाया करती है। आपको पूरी ऐब्सोल्यूट आटोनामी की उम्मीद नहीं करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार के नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन उसको भी पूरी आटोनामी नहीं होती। इनके नीचे जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको हम पूरी आटोनामी देने की बात सोचें तो यह एक स्वप्न मात्र होगा, यह नादानी होगी और उनके अन्तर्गत पूरी आटोनामी हो जाय मेरा खयाल है कि कोई भी सदस्य इस बात को सोचेगा भी नहीं। तबदीली इस सेंस में ली गयी कि वाइस चांसलर का जो चुनाव है वह इस ढंग से हो कि उसमें अधिक योग्य आदमियों को सरकार ले सके। मैं समझता हूं कि आटोनामी के अन्दर दो चीजें होती हैं, एक तो यह कि जो आटोनामी यूनिवर्सिटी को दी हुई है, उसमें देखना यह है कि उसके अन्तर्गत जो आन्तरिक शान्ति कायम रखने व स्टेट्यूट्स बनाने की बात है, उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप तो नहीं किया गया। मेरा यह निश्चित मत है कि इस पद्धति में यूनिवर्सिटीज के अन्तर्गत कार्यों में इस बिल द्वारा कोई भी हाथ नहीं डाला गया है। यह तो सिर्फ इतना कहता है कि शान्ति व्यवस्था के लिये साधारणतः जो मर्जी हो करिये और हमारे नागरिकों को ऐसे ढांचे में ढालकर बनाइये कि वह सुन्दर नागरिक निकलें। इसके लिये जो भी ढांचा चाहें बनायें और नियम जितने स्पष्ट या नरम रखना चाहें रखें। इसके लिये वाइस चांसलर पूर्णतः फ्री हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि उपकुलपति की नियुक्ति का ढंग सुधारा जाय तो क्या यह शंका होगी कि हम आंटोनामी छीन रहे हैं कहां तक तर्क युक्त है। नियंत्रण की बात कही गयी। आखिर जब से बच्चा पैदा होता है तभी से उस पर यह नियंत्रण लगने लगता है कि बेटा यह काम करो और यह काम न करो। तो नियंत्रण की बात पर, नियंत्रण की दुहाई पर उनको बिलकुल छोड़ दिया जाय कि जैसी मर्जी चाहे करो बिलकुल ठीक नहीं है। देखना यह है कि वाइसचांसलर एक बार नियुक्त कर दिया और फिर क्या उस पर सारी चीजें छोड़ दें कि तुम अपना इंतजाम जैसा चाहो करो। बिलकुल आटोनामस तो हो भी नहीं सकता क्योंकि जब हमारे विश्वविद्यालयों में कोई भी घटना होती है तो हमारे ऊपर यह प्रश्न करते हैं, वहां कोई छोटी से बड़ी बात हो जाय तो उसका जवाब देने के लिये हम जिम्मेदार हैं, उसके लिये पैसे की पूर्ति करने के लिये हम जिम्मेदार, उसके अन्तर्गत कोई छोटी-मोटी चीजें हों तो उसके लिये हम जिम्मेदार, लेकिन जब हमें उसको चलते हुए देखना हो तो हम बिलकुल नहीं कर सकते, उसमें हमको बिलकुल हाथ नहीं डालना चाहिये और उन लोगों को बिलकुल फ्री छोड़ देना चाहिये कि जिस तरह से मर्जी चाहे प्रबन्ध करो। इस का अर्थ क्या है? केवल इतना है कि हमारा पैसा किस तरह या जो विद्यार्थी हमने वहां पर भेजे हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार होकर किस तरह से कार्य चल रहा है। बस इतना ही इसका उद्देश्य है। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि इसका विरोध किया जा रहा है।

लेकिन इसके अलावा इस बिल के अन्तर्गत एक चीज की बड़ी चर्चा है। यह कहा जाता है कि डाइरेक्टर एजूकेशन जो है उसको एक्जीक्यूटिव का मेम्बर क्यों बनाया गया। मान्यवर, एक बात स्पष्ट है कि जितने डिग्री कालेजेज होते हैं वह सब उसके अन्तर्गत आते हैं। स्टेट्यूट्स जो यूनिवर्सिटीज बनाती हैं उन सबको एड देने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है इसलिये वहां की कार्यवाहियों को भी पूरा सुधारना आवश्यक होता है। पहले भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता था, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गयी है इसलिये उसको समझ लेना चाहिये कि इसके अन्तर्गत कोई बड़ा भारी अपराध किया जा रहा है या बड़ी भारी शक्ति छीनी जा रही है ऐसी बात नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ में एक चीज के लिये खासतौर से अपने मंत्रिमंडल को बधाई दूंगी और वह यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस चीज के लिये मैं तीन साल से

लगातार प्रयत्न कर रही थी उस संशोधन को मान करके सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। जो पहले इलाहाबाद यूनिसर्वासिटी ऐक्ट की धारा ३६ (ए) (३) थी वह इस प्रकार थी:—

"(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College, shall be authorized to impart instruction for post-graduate degrees."

अब यह धारा इस प्रकार हो गई है :—

"The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College other than one imparting instruction in Engineering, Technology or Agriculture shall be authorized to impart instruction for Post-graduate degrees."

इस धारा के लाने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह सम्भव हो गया है कि जितने डिग्री के टेक्निकल कालेज होंगे उनमें पोस्टग्रेजुएट कक्षाएं खोलने में सुविधा होगी।

मेरा विश्वास तो यह है कि मेडिकल, एग्रीकल्चर या टेकनालिजिकल जितनी संस्थाएं हैं यह सब अलग-अलग अपने-अपने में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये ताकि सब का एक-सा स्टैंडर्ड हो जाय। जिस तरह से कि कृषि की यूनिवर्सिटी अलग हो। रुद्रपुर के साथ सारे कृषि कालेज जोड़ दिये जायं ताकि सारे प्रदेश में एक स्टैंडर्ड की कृषि की शिक्षा हो सके। सभी बच्चों को एक से पर्चे और गाइडेंस मिल सकें और वह तरह-तरह के अनुभव और गाइडेंस प्राप्त कर सकें। और जो इंजीनियरिंग के कालेज हैं वे रुड़की विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिये जायं, लखनऊ से सारे मेडिकल कालेज जोड़ दिये जायं। अलग-अलग यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़े रहने से उनका एक-सा स्टैंडर्ड नहीं बन पाता और इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरे का अलग-अलग स्टैन्डर्ड है। फिर भी मैं इस का स्वागत करती हूं कि कम से कम एक पग आगे तो बढ़ाया गया और जो रुकावट ग्रेजुएट से पोस्टग्रेजुएट क्लास बनाने में होती थी उसमें सुविधा मिलेगी और विद्यार्थियों को ग्रेजुएट बनने के बाद पोस्टग्रेजुएट होने की सुविधा मिल सकेगी। इस वास्ते मैं उनकी बहुत आभारी हूं।

सब से ज्यादा यह भी देखने की बात है कि वैसे तो जैसी हम आशा करते थे कि सारे कानून के ढांचे को ही बदलने की आवश्यकता है, यह बिल उस आशा के साथ लाया भी नहीं गया है। यहां पर पहले भी कमेटियां बन चुकी हैं और उनकी रिपोर्टें आ चुकी हैं। अब भी एक नयी कमेटी बनी हुई है या उसके बाद भी फिर और आवश्यकता होगी बनेगी। मेरा ख्याल है कि अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाना चाहिये और पूरी क्रान्ति लाने के बाद अपने नागरिकों में विश्वास पैदा कर सकें और हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकें न कि नौकरियों का मुंह देखा करें। इस प्रकार का शिक्षा का ढांचा होना चाहिये। सारे लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे कि एक बार समय आया था १९०० से १९१९ तक सब नेता गोखले से लेकर नीचे तक चाहते थे आजादी आये लेकिन समस्या यह होती थी कि आजादी आये तो किस ढंग से आये। यह सब हर चीज अर्पण करने को तैयार थे, एक दल इस चीज को मानता था कि गवर्नमेंट के साथ लड़कर, या मिलिटरी तक में आन्दोलन करा के अंग्रेजों को भगाया जाय और दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते थे कि लेजिस्लेचर्स में पहुंचा जाय और वहां पहुंच कर उस हुकूमत को खत्म करें। लेकिन इस चीज के सामने होते हुए भी जिस वक्त रास्ता बताने के लिये गांधी जी सामने आये तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता नान-कोआपरेशन का रखा जिससे हम आजादी की लड़ाई को लड़ सकें। किस तरह से अपने भावी नागरिकों के जीवन को ऊंचा बना सकें उसके लिये जरूर ही किसी की नजरों से यह बात न छिपी होगी यह जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं १७ फीसदी तक ऐजूकेटेड हैं ही इसके अन्तर्गत और यूनिवर्सिटी में कितने कम जाते हैं यह आप सब लोग जानते हैं। इसलिये इतनी कम संख्या होते हुए भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम खिलवाड़ करें ऐसी आशा हमसे न करें और उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें जिसके कारण मजबूरियों

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

से यह बिल लाना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी चीज को जिसको हम समझ जायं कि यह चीज इस तरह से ठीक तरह से चल सकती है उसको न करें तो अपने कर्तव्य से हम गिरते हैं। यह जानते हुए कि इस चीज को हम पूरा करना चाहते हैं और हमारा निश्चय है कि उसको पूरा करके कोई रास्ता ऐसा अवश्य निकल आयेगा जिस वक्त पूरे बिल को सदन के सामने रख सकेंगे। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि जो एक कदम थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की हमने सोची है उसके अन्तर्गत कुछ दिनों की रुकावट डालने से क्या फायदा है? अतः इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया जाय और आगे भविष्य के लिये सोचा जाय कि किस तरह से हम शिक्षा के अन्तर्गत तब्दीली ला सकते हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गौरीशंकर राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं जिसके द्वारा यह व्यवस्था होने वाली है कि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय और उसकी परिधि भी बढ़ायी जाय।

मान्यवर, कल से कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय इस विधेयक पर जाहिर की। मैंने माननीय उप-मंत्री जी का भाषण सुना और अन्य सदस्यों को भी सुना, काफी लम्बे भाषण हुए और हर भाषण में कुछ न कुछ तत्व था और विचार करने योग्य था। विश्वविद्यालय या हमारे शिक्षा जगत की क्या रूपरेखा होनी चाहिये आज के जनतांत्रिक प्रणाली में शिक्षा का क्या लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिये, विश्वविद्यालय की क्या व्यवस्था हो, चाहे उप-कुलपति की नियुक्ति का सवाल हो या एग्जीक्यूटिव काउन्सिल या कोर्ट के गठन का सवाल हो, हर चीज के बारे में बदली ही परिस्थितियों के अनुकूल विचार करना पड़ेगा। और इसके लिये जरूरी है कि समय मिले। समय कब मिलेगा? जब यह विधेयक प्रवर समिति में जायेगा। जल्दी का काम मान्यवर, शैतान का होता है। पिछले ५, ७ सालों के अन्दर देखा जाय इस प्रदेश के अन्दर जितने भी कानून बने हैं कानून पास करने के ठीक दो, तीन महीने के अन्दर ही उसमें संशोधन ले आने की आवश्यकता पड़ी है। एक नहीं अनेकों विधेयक इस आदरणीय सदन ने पारित किये और पुनः इस सदन में आये और उनमें संशोधन के प्रस्तावों पर हमने विचार किया। सबका हवाला मैं नहीं देना चाहता लेकिन विश्वविद्यालयों के जो कानून हैं उन्हीं को हम देखें तो सन् ५३ से ले कर आज तक न जाने कितने संशोधन हुए? मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि आवश्यकता है मौजूदा कानून में परिवर्तन करने की, उनको समयानुकूल बनाने की लेकिन यह जल्दबाजी क्यों है?

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी जी ने कहा कि हम जरा उन ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करें जिनसे प्रेरित हो कर यह विधेयक लाया गया। श्रीमन्, इसी आदरणीय सदन में अन्य अवसरों पर मुझे विश्वविद्यालयों के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। मैं उन परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता हूं और उन ऐतिहासिक घटनाओं के चक्करों को अच्छी तरह से जानता हूं जिनसे प्रेरित होकर यह विधेयक हमारे सामने आज प्रस्तुत किया गया है। अगर इस विधेयक में हमारे विचारों का भी समावेश हो जाता तो हम इसका स्वागत करते लेकिन मुझे दुख के साथ उन घटनाओं की तरफ पुनः इस माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर जब इस आदरणीय सदन में विवाद हो रहा था तो मैंने एक बात निवेदन की थी कि मौजूदा सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है किसी चीज पर, अपनी व्यक्तिगत रुचि के ऊपर। किस व्यक्ति को वह पसन्द करते हैं, किसे नापसन्द करते हैं और उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा विधेयक बहुत ईमानदारी के साथ समाज की भलाई को दृष्टि में रखते हुए, शिक्षा जगत के ऊंचे आदर्शों को सामने रखते हुए विश्वविद्यालयों के मौजूदा वातावरण को स्थायित्व देने के लिये, स्वस्थ बनाने के लिये नहीं लाया गया है, या व्यक्तिगत रुचि के आधार पर लाया गया है।

मौजूदा मुख्य मन्त्री ने पद सम्भालते ही कुछ घोषणायें कीं—इलाहाबाद में, मुरादाबाद आदि जगहों में। वह घोषणायें इशारा करती रहीं हमको कि किस रास्ते पर यह मौजूदा सरकार ले जाने वाली है। इस विधेयक के आने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ विशेषकर ऐसे मौके पर जब कि तमाम पृष्ठभूमि हमारे सामने है, तमाम ऐतिहासिक घटनायें हमारे सामने हैं, व्यक्तिगत दिलचस्पी है कि कौन वाइसचांसलर हो और कौन न हो।

मान्यवर, आप स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रमुख छात्र रहे हैं, प्रमुख छात्र ही नहीं वरन प्रमुख छात्र नेता रहे हैं और हमें तथा आपको गौरव है कि विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं को लेकर, उनकी आर्थिक, आवास तथा वाचनालय की आदि समस्याओं को लेकर जो आन्दोलन होते थे उन दिनों उनका हम लोग नेतृत्व करते थे और उनके समाधान के लिये एक सही नेतृत्व हम विद्यार्थियों को प्रदान करते थे इसका मुझे और आपको भी गर्व है। श्रीमन, सन् १९५३–५४ का जमाना किसी को भूलेगा नहीं जबकि लखनऊ में एक भीषण आन्दोलन का नेतृत्व आपने तथा माननीय प्रतापसिंह जी ने किया था। जिसको एक ऐतिहासिक घटना कहा जाता है वह गोली कांड शायद इस देश के छात्र आन्दोलन के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता और उस शहीद गयंदर का नाम कभी भूला नहीं जायगा। उस वक्त इस लखनऊ की गलियों में जो नारे लगते थे वह आपको अच्छी तरह से याद होंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जरा बता दीजिये, हम नहीं जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन नारों का जिक्र यहां न करिये।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं उन नारों को यहां दोहराऊंगा नहीं केवल इशारा कर देना चाहता हूं कि "यू० पी० के हैं तीन.....' और तीन नाम भी उसमें लिये जाते थे और उन तीनों में से आज हमारी इस मौजूदा सरकार के एक शिक्षा मन्त्री हैं जो उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और दूसरे महानुभाव हमारे मुख्य मन्त्री हैं जिनका उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से गहरा सम्बन्ध था, वे वहां के ट्रेजरार थे। मुझे मालूम है कि माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त का सम्बन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से सन १९३० से किसी न किसी रूप में रहा है। सन् ५४ के बाद जमाने ने एक करवट ली, परिस्थितियों में एक परिवर्तन आया और आपस की व्यक्तिगत गुटबन्दियों के परिणामस्वरूप माननीय चन्द्रभानु जी विश्वविद्यालय की राजनीति से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिये गये। मैं यह नहीं कहता कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो हमारे मुख्य मन्त्री हैं वे मक्खी हैं, लेकिन वे उसी तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकाले गये जैसे कि दूध से मक्खी निकाली जाती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, मनुष्य हैं मुख्य मन्त्री जी, मनुष्य हैं हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी और हम भी मनुष्य हैं। ऐसी घटनाओं से उनके ऊपर असर पड़ना तथा गुस्सा आना स्वभाविक है। उस गुस्से को अपने दिल में रख कर हमेशा एक मौके का इन्तजार किये जब इसका बदला लिया जाय।

मौके के लिये बराबर प्रयत्न होते रहे और पृष्ठभूमि तैयार की जाती रही। श्रीमन्, इसी सदन में ९ अगस्त, १९६० को माननीय नेता विरोधी दल के एक काम रोको प्रस्ताव पर बहस हुई थी। उस वक्त मैंने निवेदन किया था। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि आज विश्वविद्यालय की ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिन से मजबूर होकर के हमें यह विधेयक ले आना पड़ा। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियां पैदा की हुई किसकी हैं? आन्दोलन विद्यार्थियों के जो चले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसका क्या रूप था, उस रूप को देखकर के अधिष्ठाता महोदय आपका और मेरा स्वयं पहले के जो छात्र नेता रहे हैं जो पहले आन्दोलनों का संचालन करते रहे हैं हम सब का सिर नीचे झुक जाता है। क्या मांगें थीं? ऐसी मांगें जिनका सम्बन्ध विश्वविद्यालय के छात्रों की वास्तविक समस्याओं से कुछ भी नहीं था। ऐसी मांगें जिनको लेकर कोई छात्र आन्दोलन कभी सफल नहीं हो सकता और शुद्ध रूप से चलाया नहीं जा सकता। हमने तथा आपने

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

जो आन्दोलन चलाया था उसमें तथा छात्र आन्दोलन के पुराने इतिहास में नहीं देखा गया है कि छात्र अपने अध्यापक को गाली दें और उनके लिये अपशब्द इस्तेमाल करें और उनका गला पकड़ कर क्लास रूम से बाहर खींचें ।

इस बार इलाहाबाद में भी यह घटनायें हुई थीं और लखनऊ में भी हुई थीं। मेरे कानों ने सुना है और आंखों ने देखा है कि कौन लोग ऐसे आन्दोलन को चलाते थे। लखनऊ शहर के लोग, फतेहगन्ज के लोग चुने-चुनाये यूनिवर्सिटी में भेजे जाते थे और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। नतीजा यह हुआ कि जब कभी कोई मुजाहिरा होता था तो २००, ३०० छात्र जिनमें बाहर के लोग भी होते थे, इकट्ठे हो जाते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय चाहे कहीं का हो, छात्रों का जो आन्दोलन हो जिसे छात्र चलायेंगे और अगर वह छात्रों की वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी, फीस माफी, लाइब्रेरी की सुविधा, खाने की व्यवस्था आदि, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इसका समर्थन करूंगा।

मान्यवर, कल से आज तक बहुत से कोटेशंस दिये गये हैं और मेरा खयाल है कि सभी आदमी जितने कमीशन बनें हैं उनकी रिपोर्ट के ही कोटेशन्स प्रस्तुत करेंगे तो मैं उनके अन्दर ज्यादा जाना नहीं चाहता। मेरा मत है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन जिसके अध्यक्ष डाक्टर राधाकृष्णनन् रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट जिसके चेयरमैन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मूथम रहे हैं और अन्य जो इस प्रकार के कमीशन या कमेटियां बनीं हैं उनकी सिफारिशें या उनके सुझाव बहुत कीमत रखते हैं, वजन रखते हैं। शिक्षा जगत को सही माने में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुकूल यदि लाना है तो उनका अनुकरण और अनुसरण करना पड़ेगा और उसी आधार पर अपनी नीति निर्धारित करनी होगी।

श्रीमन्, आज सरकार की तरफ से बहुत से कमीशन बिठाये जाते हैं, कमेटियां नियुक्त की जाती हैं। उनपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन उनकी रिपोर्टें और सिफारिशें लाइब्रेरियों के खानों में रख दी जाती हैं। सरकार की ओर से उन पर विचार करने की चेष्टा नहीं होती है और न किसी कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट को सरकार मानती ही है। चाहे बैकवर्ड क्लास कमीशन हो या यूनिवर्सिटी कमीशन हो उसकी सिफारिशों के मानने और पढ़ने की क्षमता इस सरकार में नहीं है।

मान्यवर, यूनिवर्सिटी की आटोनोमी बहुत बड़ी चीज है और मेरा यह निश्चित मत है कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी जितनी ज्यादा हद तक कायम रख सकें वह इस देश और इस प्रदेश और शिक्षण जगत के लिये बेहतर होगा। आज उस तरफ के मन्त्रिमन्डल के एक सदस्य माननीय कैलाशप्रकाश जी मौजूद नहीं हैं इस वक्त । ९ अगस्त, सन् १९६० को इस विधान सभा में माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कामरोको प्रस्ताव पर जब वादविवाद हुआ था तो उन्होंने उस पर कुछ अपना मत प्रकट किया था और विशेषकर यूनिवर्सिटी आटोनामी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी दो-चार लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। माननीय कैलाशप्रकाश जी कहते हैं:—

> "यह बात स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आटोनामी का हामी मैं रहा हूं और आज भी उसका हामी हूं और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में शासन का बहुत बड़ा हाथ नहीं होना चाहिये। शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।"

माननीय कैलाशप्रकाश जी कभी इस प्रदेश की शिक्षा के भी उप-मन्त्री रहे हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि उनके मन में तो कुछ है, जबान पर और कुछ है।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उस नीति के विरोध में यह नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—वह जो जानना चाहते हैं, वह आप बतला दें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैं वही बतला रहा हूं श्रीमन्। मेरा यह एक चार्ज है इस हुकूमत पर कि इसकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। नाम तो यूनिवर्सिटी आटोनामी का लेंगे लेकिन यूनिवर्सिटीज को आज गवर्नमेन्ट का एक मुहकमा बनाकर के वह रखना चाहते हैं ताकि सीधे रोजमर्रा के यूनिवर्सिटी के कामों में इनका दखल हो और इनकी मर्जी वहां पर कोई ठुकरा न सके। यही नीति है, इसी नीति को लेकर के चूंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है इसलिये उसी करनी के फर्क के सिलसिले में यह नया विधेयक आया है जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी आटोनामी के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है।

मान्यवर, एक चीज हमने और निवेदन किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मैं जिक्र कर रहा था। लखनऊ का छात्र आन्दोलन किसने चलाया? माननीय रामस्वरूप जी यादव का मैं बड़ा आदर करता हूं। उस समय माननीय रामस्वरूप जी यादव पुलिस के उप-मन्त्री थे और उन्होंने ही यूनिवर्सिटी में पी० ए० सी० भेजी थी जिसके सिलसिले में मैंने यह निवेदन किया था कि मेरी आंखों में आंसू आ गये थे वह दृश्य देखकर कि जिन क्लासों में मैं विद्यार्थियों को पढ़ते देखता था, जिन लेबोरेटरीज में विद्यार्थी रिसर्च किया करते थे वहां पर पी० ए० सी० के नवजवान टोपा उतार कर, पैर फैलाकर पंखा खोलकर हवा खा रहे थे। वह पी० ए० सी० आपने ही भेजी थी। मैं इसलिये आपका नाम ले रहा हूं कि सम्भवतः आप जवाब देंगे जो यह वादविवाद हो रहा है उसका। तो मैं अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा माननीय रामस्वरूप जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जवाब देने खड़े हों तो जुलाई और अगस्त तथा सितम्बर महीने की सी० आई० डी० की रिपोर्टों को अपने साथ जरूर लेते आयेंगे। यूनिवर्सिटी आन्दोलन के सिलसिले में कौन उस आन्दोलन को चला रहा था, कौन प्रोत्साहन दे रहा था, कौन पैसे देकर लोगों को भेजता था? आज भी मैं आपके द्वारा माननीय रामस्वरूप जी से निवेदन करूंगा क्योंकि यह शिक्षा के उप-मन्त्री हैं, मुख्य मन्त्री के डिस्क्रीशनरी फंड का संचालन सम्भवतः माननीय रामस्वरूप जी यादव नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी जब से मुख्य मन्त्री हुये हैं इस सूबे के तब से उन्होंने अपने डिस्क्रीशनरी फंड का जो बंटवारा किया है उसकी लिस्ट भी कृपया आप पेश करने की कोशिश कीजियेगा। मैं इसलिये यह कह रहा हूं मान्यवर, कि बाहर से लोगों को बुलाया जाय, खाली विद्यार्थी के नाम पर उनको विश्वविद्यालय में रखकर उनके द्वारा हम शिक्षण का वातावरण दूषित करते रहें। इस नीति का कोई भी ईमानदार व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता पर यह किया गया है।

कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के नेता लोगों ने यूनिवर्सिटी के आन्दोलन को चलाया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी उन दिनों लखनऊ में मौजूद थे किन्तु उस आन्दोलन को चलाने के लिये नहीं गये थे। माननीय रामायणराय और झारखंडेराय जी उस आन्दोलन का संचालन करने के लिये नहीं गये थे, किसने उसका संचालन किया? मेरा यह चार्ज है कि लगातार एक कोशिश इस बात की रही कि जब एक व्यक्ति विशेष को वहां से दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया तो फिर वह स्थिति बदली और उसी प्रयत्न के सिलसिले में उस प्रयत्न की वह एक कड़ी थी जिसके फलस्वरूप वह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का आन्दोलन था। कोई संस्था खराब नहीं हो सकती है, कोई वाइस चांसलर खराब हो सकता है। किसी यूनिवर्सिटी के इन्तजाम में बंगलिंग हो, उसके पब्लिक मनी का मिसएप्रोप्रियेशन हो, उसके खिलाफ नाना प्रकार के चार्जेज हों तो उसके लिये यह तरीका नहीं है कि सारे विश्वविद्यालयों का कानून बदल दिया जाय। यह तानाशाही तरीका है। जब ७ अगस्त तक विश्वविद्यालय कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट मांगी गई है और सरकार भी इस बात को समझती है कि यह सरकार कुछ अच्छा काम करे तो फिर क्यों इस

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

मौजूदा कानून में परिवर्तन किया जाय। यह कोई तरीका नहीं है कि वाइस चांसलर को हटा दिया जाय। उसके खिलाफ चार्ज लाये जायं कि क्या चार्जेज हैं। अगर वह पब्लिक मनी का दुरुपयोग करते हैं तो उसको मुलजिम बनाकर उसका प्रासीक्यूशन किया जाय।

श्रीमन्, एक पुलिस कांस्टेबिल को तीन रुपया टी० ए० बिल में फर्क होने के कारण सजा हो गई लेकिन आज हजारों रुपया टी० ए० बिल में फर्क हो रहा है लेकिन वह मुलजिम नहीं बनाया जाता है। जांच शायद कर रहे हों इस वजह से नाम नहीं लेना चाहता मगर ३ रुपये के लिये एक कांस्टेबिल मुलजिम बना और फिर उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा और सजा दी गई। मैं वह दिन देखना चाहता हूं और इस सरकार को दाद दूंगा कि जब जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले बड़े लोगों को सजा दी जाय। बड़े व्यक्तियों को मुलजिम बना कर कटघरे में खड़ा किया जाय और हवालात की सफर करायी जाय। चार्ज लगाइये और वाइस चान्सलर को हटाइये, यह दांव-पेंच खेलने की क्या जरूरत है? इस तरह से काम बनने वाला नहीं है। प्रोफेसर काली प्रसाद रहें या न रहें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। डाक्टर रंजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहें या न रहें इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी हमेशा के लिये रहेंगी। इन यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो नौजवान पैदा हो रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सम्भवतः उनमें से कोई उस तरफ या इस तरफ आकर बैठे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह विश्वविद्यालय हमेशा के लिये रहेंगे। आदमी आते रहेंगे और जाते रहेंगे लेकिन यह संस्थायें सदा के लिये कायम रहेंगी।

"Men may come and men may go, but I go on for ever."

यह चीज मैं यूनिवर्सिटी के लिये कह रहा हूं। हुकूमतें आयेंगी और जायेंगी, चन्द्रभानु गुप्त जी आयेंगे और चले जायेंगे, प्रोफेसर काली प्रसाद आयेंगे और चले जायेंगे, डाक्टर रंजन आयेंगे और जायेंगे, लेकिन हमारा शिक्षा जगत, हमारी यूनिवर्सिटियां रहेंगी और अच्छे कामों के लिये रहेंगी, अच्छे दिनों के लिये रहेंगी। ऐसा परिवर्तन हमें ले आना है, ऐसे संशोधन हमें ले आना है कि वे आगे ठीक प्रकार से चल सकें। खाली वाइस चांसलर को हटाने के लिये एक बिल ला दीजिये, इससे कल्याण होने वाला नहीं है अगर आपको इतना ही शौक है तो पहले आप इस बात को घोषित कर दीजिये कि —आप से मेरा मतलब हुकूमत से है—आपकी शिक्षा की नीति क्या होगी। जहां तक मुझे याद है इसी आदरणीय सदन में भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री माननीय कमलापति त्रिपाठी ने यह स्वीकार किया था, इन शब्दों में स्वीकार किया था कि मैं मानता हूं कि शिक्षा की हमारी नीति क्या होगी अभी हम यह निश्चय नहीं कर पाये हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षा में हमारा लक्ष्य क्या होगा इस पर हम कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले सके हैं। यह माननीय शिक्षा मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी के उद्गार थे। मेरा खयाल है कि यह बात सही थी और मैं यह भी समझता हूं कि मौजूदा सरकार ने भी अभी तक अपनी कोई शिक्षा की नीति और शिक्षा का क्या लक्ष्य और उद्देश्य होगा, निर्धारित नहीं किया है। यदि किया हो तो सरकार बतलावे और इस आदरणीय सदन को उससे अवगत करायें।

कायदा क्या है? संसार में कहीं आप देखें, किसी विभाग में अगर परिवर्तन करना होता है तो मुख्य चीज सामने क्या रहती है। सरकार की नीति उस विभाग विशेष के प्रति और वह लक्ष्य जिसकी पूर्ति के लिये वह विभाग स्थापित किया गया है, इतना अवश्य देखना पड़ेगा। जो भी परिवर्तन किया जाना है, इन दोनों चीजों को सामने रख कर करना पड़ेगा। नीति क्या है? लक्ष्य क्या है? विश्वविद्यालयों को सरकार किधर ले जाना चाहती है? शिक्षा को क्या रूप वह देना चाहती है और इस मौजूदा प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वविद्यालयों को और शिक्षा जगत को कैसे पिरोने जा रही है? यह सब भी मैं जानना चाहूंगा।

मान्यवर, एक देहाती मसला है हम लोगों की तरफ कि बिच्छू का मंत्र न जानें, सांप के बिल में हाथ डाले । यही हालत हमारी मौजूदा सरकार की है । बिच्छू का मंत्र नहीं जानेंगे, लेकिन सांप के बिल में हाथ डाल देंगे । इसका मतलब यह नहीं है कि उधर के जितने बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, सभी की विद्वता में मुझे शुबहा है । उधर भी विद्वान लोग हैं, लेकिन मैं एक निवेदन बहुत नम्रता के साथ करना चाहता हूं । हमारे माननीय मित्र श्री गौरीशंकर राय जी ने यूनिवर्सिटी कमीशन के सिलसिले में यहां जब विचार हो रहा था उस समय अपना एक विचार रखा था । विश्वविद्यालय जो हैं वहां पर रिसर्च होती है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टेडीज होती हैं, साइंस की और अन्य हर क्षेत्र की उच्च से उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में होती है । रिसर्च कैसे हो, उसका क्या स्टैन्डर्ड हो, उसका काम जो वहां पर चल रहा है वह अपटू दि मार्क है या नहीं, इन सब बातों की जानकारी एक साधारण व्यक्ति के लिये होना असम्भव है । इसकी जानकारी तो किसी विशेषज्ञ को ही हो सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से एक्सपर्ट लोग ह जिन्होंने इस प्रकार की सलाह इस सरकार को दी कि वह इस तरह का विधेयक यहां पर लाये । रोज-रोज कानूनों में संशोधन करके उनको एक जटिल रूप देना ठीक नहीं है ।

श्रीमन्, आप जानते हैं, माननीय राधाकृष्णनन् जी इस देश के ही नहीं सारे विश्व के विद्वान व्यक्तियों में से एक गिने जाते हैं । आचार्य नरेन्द्र देव भी विश्व के विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते थे । इस संबंध में जितने भी कमीशन या कमेटियां बैठी हैं उन्होंने इन प्रश्नों पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है और अपनी रिपोर्ट दी हैं । कमरे में बैठ कर नहीं, बल्कि जगह-जगह भ्रमण करके, विश्वविद्यालयों में जाकर, वहां की व्यवस्था देख कर और सभी लोगों की बातों को सुन कर और संबंधित व्यक्तियों की निजी राय को जानकर ही अपनी सिफारिशों को दिया है और मेरा अपना यह खयाल है कि इस समय जो मौजूदा कमीशन बैठा हुआ है उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में भी यह सब बातें हैं और वह उन पर विचार भी कर रहा है । मेरा यह भी खयाल है कि यह कमीशन इन सभी प्रकार की बातों पर विचार करेगा । वह राधाकृष्णनन् कमीशन तथा मूथम कमेटी आदि की सिफारिशों पर भी विचार करेगा और उनको देख कर ही अपनी राय देगा । उसकी बहुत ही विस्तार के साथ रिपोर्ट इस सरकार के पास आयेगी । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विशेषज्ञों की राय पर चलिये । मैं नहीं जानता कि आप क्यों उनकी राय पर न चलकर जनता के सामाजिक जीवन पर हमला करते हैं और मुल्क की तरक्की में अड़ंगा लगाते हैं । मेरा अपना विश्वास है कि देश की तरक्की में यह एक रोड़ा है । उनकी तरक्की इस तरह से नहीं हो सकती है ।

यह कहा गया कि राजनीति विश्वविद्यालयों में आ गई है । जब शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा विशारदों का कोई स्थान नहीं होगा, जब 'ए' से लेकर 'जेड' तक सब राजनीतिक लोगों को लाया जायगा, यही होगा जो आज विश्वविद्यालयों में हो रहा है । तो कम से कम एक सीमा जरूर बांध देनी होगी कि राजनीति का क्षेत्र क्या है, उसके अन्दर ही कार्य होना चाहिये । मेरा तो यह कहना है जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने कहा, कि चन्द्रभानु गुप्त जी ने १९३० से लेकर १९५४ तक राजनीति की और उसके बाद माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द और माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी जी ने की ।

राजनीति कैसे की जाती है ? वाइस-चांसलर कौन हो, यह एक मोटा सा सवाल है । मान्यवर, मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की । भारतवर्ष के बाहर अन्य जो ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, आक्सफोर्ड वगैरह, वहां के बारे में कि वहां क्या पद्धति है, वाइस चांसलर कौन होता है, गुटबन्दी है या नहीं है, इस प्रकार का वातावरण वहां है या नहीं । इसका कुछ अध्ययन भी किया और ज्यादा जान कर लोगों से परामर्श भी किया । मालूम यह हुआ कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसको वहां के शिक्षण का अनुभव हो, वही बाद में जाकर वाइस चांसलर होता है । आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह परम्परा है कि रोटेशन में जो डीन आफ फैकल्टीज होते हैं वह वाइस-चांसलर होते हैं । यह भी होता है कि एक बार का वाइस चांसलर पद पर काम करने वाला डीन ३ वर्ष बाद फिर डीन हो जाता है और नीचे काम करने वाला वाइस चांसलर

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

हो जाता है । इसको कहते हैं मर्यादा, श्रम की मर्यादा और इज्जत । हिन्दुस्तान में क्या होगा ? अगर आज कोई वाइस चांसलर है, कल को डीन या प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में होना हो तो वह अपनी बेइज्जती समझेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

तो मेरा अपना निश्चित मत यह है कि विश्वविद्यालय में उप-कुलपति केवल विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को होना चाहिये । बाहर के व्यक्तियों को जब भी आप लादने की कोशिश करेंगे तभी इस प्रकार की गुटबन्दी और राजनीति उसमें आयेगी । चाहे वह आचार्य जुगल किशोर हों, चाहे डा० बी० बी० भाटिया हों ....

श्री रामायणराय—डाक्टर भाटिया के बारे में क्या है ?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—सुना है कि वही होने वाले हैं, कुछ ठीक पता नहीं ...

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को ऐसी बातें किसी का नाम लेकर नहीं कहनी चाहिये ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मैंने मिसाल खाली दी कि चाहे वह डा० भाटिया हों, चाहे माननीय आचार्य जुगल किशोर हों, कोई हों, जो बाहर के हों, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी न की हो, जिन्होंने शिक्षण कार्य न किया हो, उनको जब लादेंगे तब यही राजनीति होगी, गुटबन्दी होगी । माननीय कैलाशप्रकाश जी की यूनिवर्सिटी आटोनामी आज बहुत बड़े खतरे में है ।

श्री रामायणराय—सुन नहीं रहे हैं ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—उनके सुनने की बात थोड़े ही है । मैं यह कह रहा हूं कि उनकी आटोनामी बहुत बड़े खतरे में है । यह दूसरी बात है कि कथनी और करनी में फर्क होता ही है । मैं निवेदन कर चुका हूं, उस वक्त वह सरकार में नहीं थे जबकि यह विचार व्यक्त किये थे । आज वह सरकार में हैं । आज अपने को बहुत जिम्मेदार जगह पर समझते हैं जैसा कि उस समय नहीं था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज के जो मूल ऐक्ट बनें, चाहे वह लखनऊ यूनिवर्सिटऐक्ट हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट हो या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट हो, वह कब बने उन सब को अंग्रेजों ने बनाये थे । मान्यवर, अंग्रेजों के बनाये हुये कानूनों को आप देख लीजिये, जो यूनिवर्सिटी आटोनामी अंग्रेजों ने दी थी क्या उसको यह सरकार बरकरार रखे हुये है ? यह सरकार रोज एक न एक संशोधन करके उन पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करती है बल्कि उनको एक सरकारी मुहकमा बनाकर छोड़ दिया है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित करना बड़ा आसान है, कोई भी व्यक्ति जब चाहे दूषित कर सकता है, आन्दोलन कभी भी छिड़ सकता है, सौ-दो सौ रुपये कभी भी खर्च किये जा सकते हैं । अगर कोई तय करले कि हम विश्वविद्यालय क शिक्षा के वातावरण को दूषित करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, सही तरीके से नहीं चलने देंगे तो ऐसा करना बड़ा आसान है । आज भी यह हुआ है और कल भी यह हो सकता है । मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिये चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माननीय चन्द्रभानु गुप्त हों या मैं होऊं ।

मान्यवर, अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । अपनी राय का समर्थन जहां कहीं मुझे मिलता है मैं समझता हूं उससे मुझे शक्ति मिलती है । यूं तो यह विधेयक ऐसा है जोकि केवल इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में चर्चा का विषय बन गया है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मेरे विचारों के समर्थक ज्यादा हैं और विरोध पक्ष के समर्थक कम हैं । लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीतिक उद्देश्य से यह विधेयक आया है लेकिन जो और विश्वविद्यालय हैं वह भी टच कर दिये गये हैं । सभी जगह आज खलबली पैदा हो गई है ।

मैं आपकी आज्ञा से 'लिंक' से कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं :—

UTTAR PRADESH

CHAOS IN THE UNIVERSITY

"The Bill seeking to terminate the services of the Vice Chancellors of the State Universities and the Chancellor's order suspending Selection Committees have had a demoralising effect on academic life in U. P. In fact, since the new Government took office, the universities autonomy steadily dwindled. Its position, if the present trend continues will in the near future not be far different from that of a semi-Government institution.

Lucknow University occupies a unique position in the public life of U. P. It is known to have been used as a source of nourishment of political ambitions and it has consequently become involved in the State's Congress group warfare. Once early in 1954, when C. B. Gupta was asked by the Congress Working Committee to choose between the treasurership of the University and the ministry of which he was a member, he showed preference for the former. However, he retained the position of the Treasurer while continuing in the ministry till he was defeated in the 1957 general elections.

Later the University also became independent of his direct influence. With his return to the Government it is natural that he should try to recapture the earlier position in the University.

The Chief Minister, however, knows that the present constitution of the Executive Council of the Lucknow University does not give him much elbow room. He has, therefore, decided to remove the present Vice-Chancellor by an Act of the Legislature. A bill to this effect is scheduled to come up before the Legislature sometime next week. Since the bill would be virtually an indictment of the Sampurnanand Government and the former Chief Minister.

इसके आगे फिर यह है :—

As former Minister for Health and Treasurer of the University, C. B. Gupta has always been proud of the Lucknow Medical College, which is a part of the University. However, some senior members of the Departments of Pharmacology and Pathology have always claimed and exercised a certain amount of independence from the Administration. Under a centrally sponsored scheme, these Departments have recently been upgraded but now they are being down-graded again." इसके बाद और भी विस्तृत है ।

श्री अधिष्ठाता—अगर किसी को एतराज न हो तो आप आगे चलें ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—किसी को नहीं है । मेरे समर्थन में और भी विचार हैं, इसलिये मैंने यह निवेदन किया ।

एक बात और, श्रीमन्, विजिटेशन बैठाया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर का । एक हफ्ते के अन्दर की या कुछ पहले की बात है कि इस आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने ऐलान किया था कि उनको चूंकि मेडिकल कालेज के किसी विभाग में गड़बड़ी सुनने का यहां या बाहर मौका मिला, इसलिये उन्होंने विजिटेशन बैठा दिया है । मैं शुरू में कह चुका हूं कि मैं ब्रीफ-होल्डर नहीं हूं । अगर किसी व्यक्ति ने बंगलिंग किया है, चाहे वह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, या मेडिकल कालेज के स्टाफ का मेम्बर हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिये । लेकिन यूनिवर्सिटी की आटोनामी और इस विजिटेशन का सामंजस्य मुझे आपस में नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

के इतिहास में शायद यह पहली घटना है जब इस मौजूदा सरकार ने यूनिवर्सिटी के ऊपर विजिटेशन बैठाया है । कौन-सा आसमान टूट रहा था ? कौन-सा इतना बड़ा बंगलिंग या गोल-घोटाला हुआ था? पी० डब्ल्यू० डी० में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में, मान्यवर, आपको याद होगा, माननीय राजनारायण सिंह जी ने ४ साल से इतने बड़े-बड़े बंगलिंग के सवालात इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, कहीं भी विजिटेशन, या कमेटी, या कमीशन जांच के लिये नहीं बैठाया गया। यूनिवर्सिटी की आटोनामी के ऊपर हमला किया गया । उसके कानून की मर्यादा मंशा और उसकी धाराओं को तोड़कर, उसकी सीमाओं के बाहर जाकर किया । जहां तक मुझे याद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ७ की उपधारा (२) में साफ लिखा है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के विजिटेशन का इरादा यूनिवर्सिटी के ऊपर रखती है तो it shall give due notice of intentions to the University.

मान्यवर, मुझे इस बात की जानकारी है कि जब से यूनिवर्सिटियां बनी हैं यह पहला विजिटेशन बैठाया गया है । यूनिवर्सिटी को इस सरकार ने कोई नोटिस अपने इरादे का नहीं दिया, जबकि कानून की दृष्टि से यह लाजिमी था । कानून की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिये। आज अगर हम या माननीय राजनारायण जी कहीं कानून तोड़ते हैं तो हमें जेल की चहारदीवारी के अन्दर भेज दिया जाता है , लेकिन आज खुले आम यह कांग्रेस की सरकार अपने कानूनों की मर्यादा और मंशा के विरुद्ध जाकर काम करती है। उस तरफ कुछ लोग बैठे हुये हैं, जो कानून की रक्षा की डींग मारते हैं । मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य उधर से जवाब दें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करने की कोशिश करेंगे। माननीय कैलाशप्रकाश जी से मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ आइये । मैं भी उन लोगों में से हूं जो यूनिवर्सिटी की आटोनामी के ऊपर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । आज उनकी हुकूमत के जरिये हमला हो रहा है, बचाइये ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—यह बात कम से कम ४ दफा कही जा चुकी है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मिसालें देकर मैं उस जुमले को तो हमेशा दोहराऊंगा ही कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर हमला हो रहा है। विश्वविद्यालय के पवित्र वातावरण को, शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण के वातावरण को, हमेशा के लिये दूषित और डिसटर्ब करने की साजिश मौजूदा सरकार ने की है ।

मान्यवर, बातें तो बहुत हैं और कई संशोधन भी मैंने इस पर दिये हैं । उस समय आपकी आज्ञा मिलेगी तो कुछ और निवेदन करूंगा । मैं मांग करता हूं इस सरकार से कि एक विजिटेशन और बैठाया जाय जो यह देखे कि सन् १९३० से लेकर सन् १९ ५४ तक जब तक माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं और उसके ट्रेजरार भी रहे हैं, उस समय की नियुक्तियां, हिसाब-किताब की क्या दशा है । हर तरह की चीजों की जांच के लिये एक इस प्रकार का और विजिटेशन बैठाया जावे । यह मेरी मांग है आपके द्वारा इस सदन से और इस सरकार से ।

माननीय गौरीशंकर जी के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं इसलिये समर्थन करता हूं कि इसका एक व्यापक रूप होना चाहिये और प्रजातांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा के अनुकूल अपने विश्वविद्यालयों को बनाने के लिये यह जरूरी है कि जल्दबाजी में हम कानून पास न करें, बल्कि उसका अधिक व्यापक रूप हो ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ ही जिन साथियों ने इसमें संशोधन दिये हैं, चाहे वे इसे प्रवर समिति में भेजने के हों या जनमत के लिये हों, उनका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, अभी तक विरोधी पक्ष की ओर से चार भाषण हुये हैं । एक समाजवादी दल के माननीय

अवस्थी जी ने दिया । मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही होंगी चूंकि मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनकी बातों को सुन नहीं पाया और जो थोड़ा-बहुत सुना भी उसे समझ नहीं पाया । उसके बाद मान्यवर, दो संशोधन हमारे सामने हैं और इत्तफाक से दोनों प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों के हैं । एक साथी तो उसके द्वारा यह मांग पेश कर रहे हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और दूसरे साहब यह फरमाते हैं कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय । मैं समझता हूं, मेरे वह दोस्त, जिनको संसदीय तरीकों का ज्ञान है वे जानते हैं कि प्रवर समिति को भेजने और जनमत संग्रह को भेजने में कुछ भेद होता है और दोनों के उसूल भी भिन्न होते हैं । मुझे यह सुनकर और भी निराशा हुई कि उनकी पार्टी के हर आदमी के अपने-अपने विचार हैं, मालूम होता है वे भी स्वतंत्र पार्टी के अनुयायी होने जा रहे हैं ।

माननीय पद्माकरलाल जी ने सिद्धांतों की बात न करके सच्ची भावनाओं को ही हाउस के सामने रखा और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने भाषण से यह दिखा दिया कि—(दि कैट इज आउट आफ दि बैग) "The cat is out of the bag. उन्होंने कहा कि इसकी एक पृष्ठ भूमि है, एक दलगत नीति है । इसके अतिरिक्त उनकी तमाम बातें लखनऊ विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहीं जब कि इस विधेयक का संबंध प्रदेश के ५ विश्वविद्यालयों से है । जो उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, जो उनके मन की आशंका थी उसको उन्होंने सदन के सामने रख दिया ।

मैं एक-एक करके उनकी सब बातों का जवाब तो नहीं दे सकता परन्तु कुछ बातों का उत्तर जरूर दूंगा, उसके बाद जो विधेयक हमारे सामने है उसके मैरिट पर, उसके बारे में कुछ बातें कहूंगा । मेरे मित्र पद्माकर लाल जी ने सन् १९५४ की याद दिलाई जब कि विश्वविद्यालय में गोलीकांड हुआ था । उन्होंने स्वर्गीय विद्यार्थी गयंदर का भी जिक्र किया । उनको लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा अनुभव है । सन् १९५४ का जो आन्दोलन हुआ था उसके पीछे कौन से तत्व थे, उसके बारे में मैं एक बार नहीं ५० बार कह चुका हूं वह यह है कि सबसे खराब चीज जो हमारे विश्व-विद्यालयों में चलती है वह पोलिटिक्स है । हमारे विश्वविद्यालयों के अन्दर चाहे वह प्रोफेसर हो अथवा वर्तमान वाइस-चांसलर हो, चाहे डीन आफ फैकल्टी हो या हैंड आफ दि डिपार्टमेंट हो, उन टीचर पालीटिशियन्स के उकसाने पर ही यह स्टुडेन्ट आन्दोलन हुआ था जिसमें उस विद्यार्थी की मृत्यु हुई थी । हमें इस बात की शर्म है, इस सरकार के लिये या उस समय जो सरकार थी उसके लिये यह शर्म की बात है कि गोली का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज जो इसके हिमायती हैं वे उन लोगों के ब्रीफ-होल्डर न होते हुये भी उनकी आज हिमायत कर रहे हैं जिनके सजेशन तथा उकसाने पर वह आन्दोलन चलाया गया था । तमाम वाकयात पर न जाते हुये मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इन टीचर पोलीटिशियन्स को इसी प्रकार से प्रोत्साहन मिलता रहा तो ये घटनायें होती ही रहेंगी ।

मेरे दोस्त ने विजिटेशन की बात पर आपत्ति की और कहा कि इस सरकार ने यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार विजिटेशन की बात की है और इस प्रकार से यूनिवर्सिटी की आटोनामी का हनन किया है। उनके दल के ही प्रमुख साथी, श्री गौरीशंकर राय जी ने इसी हाउस में इस बात की शिकायत की थी कि मेडीकल कालेज के अन्दर गबन हुआ है, उसकी इंक्वायरी की जाय । उन्होंने इस बात की भी मांग की थी कि जो लोग उसके जिम्मेदार हों, उनको दंड दिया जाय । तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि विरोधी दल के एक साथी की बात को मान कर अगर गवर्नमेंट ने एक इनक्वायरी कमेटी बैठायी तो हमें कहा जाता है कि आटोनामी का हनन किया गया। मुझे खुशी है कि अपनी आजादी का खयाल करते हुए उन्होंने अपने उस साथी से कंसल्ट नहीं किया; उनसे मश्विरा नहीं किया क्योंकि अब तो उनमें हर कोई आजाद है। इस बात के लिये तो उनको गवर्नमेंट को बधाई देनी चाहिये कि उनके एक साथी के कहने पर सरकार ने यूनिवर्सिटी के अन्दर एक इन्क्वायरी कमेटी बैठायी । तो मान्यवर, अगर उनकी बात को मान कर के गवर्नमेंट काम करे तो भी आटोनामी का हनन हो जाता है और फिर वे उसके लिये हमें एक्यूज्ड बना कर डाक में खड़ा करना चाहते हैं।

[श्री नवलकिशोर]

बहरहाल, उन बातों को तो मैं नहीं कहूंगा जो उन्होंने कुछ नामों का संकेत करके कहीं। विद्यार्थी किसी का नाम भी लेकर उसकी शान के खिलाफ कोई बात कहे तो यह शर्म की बात है। माननीय नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकीसिंह की शान के खिलाफ भी जब विद्यार्थियों ने भद्दी बातें कहीं थीं तो उस समय भी मैंने कहा था कि यह यूनिवर्सिटी के लिये और हमारे लिये शर्म की बात है और जिस मेरे साथी के लिये भी ऐसी बात कहें जो भद्दी हों तो यह भी शर्म की बात है। तो यहां इस तरह की मिसाल देने से कोई चीज नहीं बनती है और यही इस बात का सबूत है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर आज गुटों का चक्कर है जिसमें प्रोफेसर तथा विद्यार्थी लगे हुए हैं और इसीलिये इसकी अर्जेंसी है कि इन विश्वविद्यालयों के विधान में संशोधन होना चाहिये जिसे सरकार ने आज आपके सामने पेश किया है। आपने स्वयं उन बातों की चर्चा की और उन शर्मनाक बातों का उल्लेख किया और इसीलिये उन हालात ने सरकार को मजबूर किया कि वह अपने फर्ज को अदा करे और उसके लिये कोई कदम उठावे जिससे किसी न किसी तरह शांति का वातावरण पैदा हो और हायर एजूकेशन के स्तर में जैसा कि हम चाहते हैं मानसिक और बौद्धिक विकास हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करें।

मान्यवर, उन्होंने एक अखबार "लिंक" से कुछ चीजें पढ़ दीं, लेकिन शायद वे यह बतलाना भूल गये कि कौन से शिक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है और वह कौन सा लेख था। चूंकि हमारे सामने बहुत से नाम आये, जस्टिस मूथम का नाम आया, श्री राधाकृष्णन् का नाम आया, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव का नाम आया, लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि "लिंक" में उस आर्टिकल को लिखने वाले कौन हैं। क्योंकि यह सब को अच्छी तरह से मालूम है कि उस अखबार का वास्ता एक पोलिटिकल संस्था से है और इस तरह की चीजें आज से ही नहीं बल्कि मौजूदा मुख्य मंत्री के खिलाफ ५,६,८ महीने से पढ़ने को मिलती रही हैं लिहाजा यह एक पोलिटिकल स्टंट है इसलिये इस पर गम्भीरता के साथ बिचार करने की बात कोई मुनासिब नहीं समझी जा सकती है।

मान्यवर, एक बात और कही गयी और कल भी कही गयी। हमारे एक दोस्त श्री सुरथबहादुरशाह ने कहा कि जब एक कमीशन बैठा हुआ था और ७ अगस्त को उसकी अन्तरिम रिपोर्ट आने वाली थी तो क्या आवश्यकता थी इस बिल के लाने की और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि साहब, केवल वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के तरीके में ही तब्दीली करने से विश्वविद्यालयों का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, उसका मर्ज दूर नहीं होगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि यह हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज है कि कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस को बदल दिया गया। श्रीमन्, मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल कैसे आया। मान्यवर, यह कोई छुई मुई का पौधा तो है नहीं कि हमने उसे छू दिया और वह मर गया। मान्यवर, यूनिवर्सिटी कमीशन का निर्माण तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही किया था और जब पी० एस० पी० के एक माननीय सदस्य श्री गौरीशंकर राय ने जो विश्वविद्यालय के मामलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने इस पर आध घंटे तक डिबेट की मांग की तो उस पर सदन में डिबेट हुआ और उनकी यह स्पष्ट राय थी और उन्होंने मांग की थी कि कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस को बदला जाय और साथ ही उनकी यह भी मांग थी कि प्रोफेसरों को विशेष रूप से प्रतिनिधि के रूप में उस कमीशन में रखा जाय ताकि ठीक तरह से अन्वेषण आदि की समस्याओं पर विचार किया जा सके। गवर्नमेंट ने उस बात को मान कर टर्म्स आफ रेफरेंस को बदला, पहले वाली गवर्नमेन्ट द्वारा बनाये हुए कमीशन के टर्म्स को चेंज किया तो ब्रीच आफ दि हाउस और कंटेम्पट आफ दि हाउस का सवाल कहां से हो गया? बावजूद इसके कि आपके साथी की बात को मानकर ही सरकार ने कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस को बदला, श्री पद्माकरलाल जी की आंखों में यही इन्साफ है कि इसके द्वारा ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया जिसके लिये वे खड़े होकर हमको बुरा कह रहे हैं! मान्यवर, उन्होंने कई बातें गुप्ता जी के संबंध में कहीं, व्यक्तिगत बातें, उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। एक बात जो कही गयी कि जब से माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री हुए हैं

तब से कितना डिस्क्रीशनरी कार्यों पर धन खर्च हुआ है उनको बताया जाय । मैं उनसे बगैर बातें किये हुए उनको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वह या सदन इस बात को जानना चाहेगा तो उनको वह बताई जायेगी क्योंकि अन्धेरे में या गोल माल ढंग से कोई काम नहीं किया जाता है ।

उद्देश्यों को पढ़कर सब से पहले यह कहा गया माननीय सुरथबहादुर शाह जी द्वारा कि जो घटनाचक्र विश्वविद्यालयों में घटित हुए हैं वह सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। उन्होंने सरकार पर इस बात का चार्ज लगाया कि सन् १९४८ से अब तक कोई ऐसा विधेयक सरकार नहीं बना पाई जिसमें तीन-तीन, चार-चार दफा तरमीमें न करनी पड़ी हों । एक बात मैं निःसंकोच मानने के लिये तैयार हूं कि यह कोई बहुत बड़ी एफीशियेंसी और मैचोरिटी आफ थाट की बात नहीं है कि हम एजूकेशन विधेयकों में बारबार तरमीमें लावें, लेकिन साथ ही यह बात भी माननी चाहिये कि अभी १४ साल हुए हैं जब आजादी मिली है । मिसाल दी जाती है इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपियन कन्ट्रीज की जहां पर डिमोक्रेसी ७ सौ या ८ सौ साल से बरती जा रही है और एक-एक व्यक्ति के खून के अन्दर वह घुस चुकी है। इस बात को मानने में कोई बड़ी शर्म मुझे नहीं है और मैं इसे मानहानि भी नहीं समझता कि इस देश के नेताओं ने महाक्रान्ति के बाद देश के शासन की बागडोर सम्हाली तब उनके सामने शिक्षा की कोई तस्वीर बहुत साफ और स्पष्ट रही हो, ऐसी बात नहीं है। ज्यों-ज्यों प्राब्लम्स आते जाते हैं उनको सामने रखकर जनतांत्रिक सरकार जनतांत्रिक ढंग से उनका समाधान करने के लिये चेष्टा करती चलती है। मैं क्या अदब से यह पूछ सकता हूं कि उन तरमीमों में विरोधी दल के माननीय सदस्यों के सुझाव क्या नहीं रखे गये ? मैं साजिश की बात नहीं कहूंगा, लेकिन उदारता की बात कहूंगा कि विरोधी पक्ष और विशेष कर पी० एस० पी० पक्ष के लोगों ने बड़ी उदारता की उस बात को मानने और मनवाने में तो कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि विरोधी पक्ष और विशेषकर पद्माकरलाल जी की पार्टी नहीं कह सकती है कि वह उन संशोधनों से बिल्कुल सहमत नहीं थे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—साफ बोलिये समझ में नहीं आ रहा है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—उनके विचार ही साफ नहीं हैं ।

श्री नवलकिशोर—मुझे इस बात का विश्वास है कि पद्माकरलाल जी और मैं जब इस हाउस के बाहर बैठते हैं तो मुझमें और उनमें कोई खास मतभेद नहीं होता । मालूम होता है उन कुर्सियों पर ही कुछ ऐसा है कि बैठते ही विचार बदल जाते हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर , सर । क्या माननीय बरेली के सदस्य को किसी को इंगित करने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता—वह इंगित नहीं कर रहे हैं । जब माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा और कोई माननीय सदस्य बाद में भाषण दे रहे हैं तो उन्हें इस बात का अधिकार है कि उनके भाषणों को कोट कर सकें । उन्होंने कोट किया है, किसी और संदर्भ में उन्होंने इंगित नहीं किया है ।

श्री नवलकिशोर—श्री अधिष्ठाता महोदय, आपने तो उत्तर दे दिया, लेकिन मैं इंगित नहीं करता हूं केवल एक मुहब्बत की बात करता हूं ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब माननीय सुरथबहादुरशाह जी कल बोल रहे थे तब उनको संकेत किया था कि सरकार ने विश्वविद्यालय की शिक्षा सुधार में क्या किया । सन् १९३८ में जब यहां कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब उसने एक यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी बैठाई और जिस में प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के और राष्ट्र के नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी सभापति बनाये गये। उसके बाद हमारे सूबे के अलावा जितनी

[श्री नवलकिशोर]

भी इंक्वायरी कमेटियां बैठीं, चाहे पंजाब की या राधाकृष्णन कमेटी या इलाहाबाद विश्व-विद्यालय से संबंधित मूथम कमेटी उन सबकी सिफारिशों को भी कुछ अंश में माना गया। इसलिये उनकी यह जायज शिकायत नहीं थी।

एक बात पर बड़ा जोर दिया गया आटोनामी (Autonomy) पर। मुझे ऐसा लगा कि आटोनामी कोई यहां एक छुई मुई का पेड़ समझा जाने लगा है, "टच मी नाट" की तरह कि उंगली छुआई और मुरझा गया। बात ऐसी नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो शत प्रतिशत यूनिवर्सिटी की आटोनामी के हामी हैं, लेकिन मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो इंगलैण्ड तथा अन्य देशों की मिसाल दी, मैं आपकी आज्ञा से केवल एक दो कोटेशन देना चाहूंगा। उनकी यह भी शिकायत थी कि उप-मंत्री जी ने पेज नहीं बताए अब मैं पेज भी बताये देता हूं। मूथम कमेटी रिपोर्ट के १४४ पन्ने पर यह है। इसका हेडिंग है "IMPOSSIBILITY OF ABSOLUTE Univercity Autonomy" इसमें लिखा है:—

"No social institution can be a law to itself, any more than an individual can be a law to himself. A University obviously must function within the ambit of the laws of the State, which include its own character; Universities in India of to-day are institutions of national importance and the State cannot be wholly disinterested in their affairs."

यह मूथम साहब ने कहा है। अब मदर आफ पार्लियामेंट जो कि इंगलैन्ड कहाता है जहां पर कि सात-आठ सौ साल की डेमोक्रेसी है उसके संबंध में यह है। उसका हेडिंग है "पोजीशन इन ग्रेट ब्रिट्रेन" उसमें लिखा है कि:—

"Reference is not infrequently made to the high degree of academic freedom possessed by the Universities in Great Britain which is, however, sometimes over looked is—(*a*) that the autonomy of British University is not absolute or unconditional, and (*b*) that the freedom which such universities now undoubtedly possess has been in past the result of Parliamentary legislation following upon the reports of a number of Government Commissions of Enquiry. In the case of Oxford and Cambridge Universities, that has happened on no less than three occasions. The unreformed Universities were notoriously illiberal and Government intervention resulted in their emancipation".

माननीय गौरीशंकर राय जी आ गये उन्होंने एक दूसरी पुस्तक का जिक्र किया था जिसका नाम है "दि क्राइसिस इन दि यूनिवर्सिटी" (The crisis in the Universities) उन्होंने उससे पढ़कर यह साबित करने की कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी को टच न किया जाय। मैं भी उसी पन्ने से जहां से कि उन्होंने कोट किया था—उनकी सूचना के लिये एक अंश कोट करना चाहता हूं। उसके पेज २२६ पर लिखा है:—

"It is coming to regard them as National Institutions rather than private corporations."

इसमें आगे यह भी लिखा है:—

"During the 19th and 20th century University constitutions have frequently been remodelled by legislative action following on enquiries by Government appointed commissions. It happened there in Oxford and Cambridge and as in Scottish, London, Durham and Wales Universities."

इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं, लेकिन उसके आगे पेज २२७ पर लिखा है कि चूंकि इंगलिश और योरोपियन विश्वविद्यालयों की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी ठोस थी कि उनको गवर्नमेन्ट की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी मगर वर्ल्ड वार (world war) फर्स्ट और सेकिन्ड के बाद ही

वहां कुछ स्थिति में तब्दीली हुई और उन्हें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ग्रान्ट लेने की जरूरत पड़ी। उसके ऊपर भी सर वाल्टर मावर्ले ने अपना कमेन्ट किया है :

After the war the financial support from the Treasury enormously increased. "Obviously this has given the Government an irresistible weapon for establishing control of University policy, if it were minded to use it and were supported by public opinion in so doing."

मान्यवर, जो गौरीशंकर राय जी ने पढ़ा था वह यह था:—

"Without denying the ultimate over-riding authority of the State, and hence its right to intervene, a large body of University opinion would urge that such authority should only be exercised with extreme circumspection, and in the last resort....."

To act otherwise, would be in Burke's phrase "to take the extreme medicine of the constitution for its daily bread".

मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं मगर मेरा जो प्वाइन्ट आफ व्यू है वह उसी के बाद दिया हुआ है और वह यह है—

"On the other hand it is urged that Universities left to themselves are slow moving bodies, having little cohesion with one another, that they required to be kept up to the mark and that there is small prospect of any coherent university policy for the country as a whole without some direction by central authority."

तो मान्यवर,मैं इस बात को मानते हुए कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को मानना चाहिये, उसकी पूर्ण मान्यता हो और स्वतंत्रता हो साथ ही एक बात और भी जरूर मानता हूं, इसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। जहां तक ऐकेडेमिक स्फीयर है कि क्या सिलेबस हो, किस तरह से रिसर्चेज हों, क्या एजूकेशन हो इसमें उनको पूर्ण फ्रीडम (स्वतंत्रता) होनी चाहिये।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है जब कि आज वस्तुस्थिति यह है कि पब्लिक ट्रेजरी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ विश्वविद्यालयों के खर्चे का पड़ता है। तो हम उनका तमाम खर्चा पूरा करें और अगर कुछ खराबियां हों तो हम हस्तक्षेप न करें। मैं इसको नहीं मानता।

दूसरी बात यह भी है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक वाइस-चांसलर की नियुक्ति किस प्रकार हो इस बात में केवल अगर कोई मतभेद हो जाय तो हमसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी का हनन होता है जब कि वस्तुस्थिति यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक को सदन पास कर चुका है। उसके अन्दर जो प्रिन्सिपल है जितनी आटोनामी का हनन उसमें हुआ था वह इस सदन ने भी स्वीकार किया। आज भी कोई स्थिति उससे ज्यादा बदतर नहीं है। तो मैं कह रहा था कि उसी उसूल को आज और विश्वविद्यालयों में भी यदि लागू किया जाता है तो यह कहना कि आटोनामी का हनन किया गया है मैं इसको नहीं मानता हूं।

मैं कतई इस बात का जरूर हामी हूं कि स्टेट का जो इंटर्वेशन हो वह एक्स्ट्रीम केसेज और स्पेशल सर्कम्स्टांसेज में ही होना चाहिये और वह लास्ट रेसार्ट होना चाहिये। मैं मानता हूं कि सरकार की नीयत यूनीवर्सिटी पर अपना अधिकार जमाने की नहीं होनी चाहिये बल्कि बतौर गाइडेन्स के, ताकि जो कठिनाइयां हैं, उनको हटाने में हम, हमको विधान बनाने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करके उनकी सेवा कर सकें तथा पथ-प्रदर्शन कर सकें। मेरे दोस्त, फिर वह कहेंगे कि इंगित हो गये। मैं अपने परम मित्र श्री पद्माकरलाल जी को बताना चाहता हूं कि जो स्थिति विश्वविद्यालय की और खास तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की थी और है वह, इस बात को साबित करती है कि वहां हस्तक्षेप करने की स्थिति थी और अब भी है और उनकी याद देहानी के लिये मैं यह भी बता दूं कि जिस समय उप-कुलपति जो

[श्री नवलकिशोर]

आजकल हैं, जिनके प्रति मैं पूरा अपना आदर रखता हूं, जब वह उप-कुलपति नहीं बने थे उस समय विश्वविद्यालय के अन्दर आन्दोलन हुआ था ।

श्री सुरथबहादुरशाह—हुआ था या कराया गया ?

श्री नवलकिशोर—माननीय सदस्य एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हैं । वे स्वयं ज्यादा जानत होंगे कि हुआ था या कराया गया था । मैं तो यह कह रहा था कि यह आन्दोलन हुआ । मैं यह नहीं कहता कि आप दोषी हैं, आप जानें कि आप दोषी हैं या नहीं । आन्दोलन चलने के बाद जाहिर है एक जनमत हमारे प्रदेश में खड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी आटोनामी का हामी होते हुए भी मैं उम्मीद करता था कि मेरी गवर्नमेंट चांसलर को यह राय देगी कि अमुक व्यक्ति कितना ही काबिल तथा योग्य क्यों न हो जनमत का आदर करते हुए उस की नियुक्ति नहीं करना चाहिये, लेकिन जवाब मिला कि हमारी सरकार ने कोई एडवाइस नहीं दी और मैं उसी को मान कर चलता हूं । मैं समझता हूं कि उस वातावरण में हस्तक्षेप करना ही मुनासिब था ।

एक सदस्य—गलत सूचना है ।

श्री नवलकिशोर—हो सकता है कि मेरी सूचना गलत हो, लेकिन मैं तो अपनी सूचना की बात जानता हूं । मेरे दोस्त ने आटोनामी की बात कही और यह भी कहा कि वह खत्म की जा रही है तो मैं उनसे इस संबंध में सहमत नहीं हूं ।

मेरे दोस्त सुरथबहादुरशाह जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया "मुसाहिब"। इस तरफ जो माननीय सदस्य बैठते हैं उन सबको उन्होंने "मुसाहिब" की संज्ञा दी। मैंने समझा यह कोई बड़ा भारी पार्लियामेंटरी मान का लफ्ज होगा और उसके मानी मैंने कोष में देखे। मैंने उसे नासमझी में अपने लिये काम्पलिमेंट समझा । मैंने ढूंढ़ा तो पाया कि नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में जो लखनऊ में रईस, जमींदार या ताल्लुकेदार होते थे उनको कहा जाता था "मुसाहिब" ।

श्री अधिष्ठाता—आपके लिये तो काम्पलिमेंट हुआ ।

श्री नवलकिशोर—वही तो मैं कह रहा हूं । पता चला कि फिर अंग्रेजों का जमाना आया । बीच में इस शब्द का इस्तेमाल कम होने लगा । जब यू० पी० के गवर्नर बटलर महोदय हुए तो उस जमाने में फिर हमारे ताल्लुकदारों तथा जमींदारों को इस बात का फख्र हासिल हुआ कि वह यू० पी० के गवर्नर के "मुसाहिब" हैं और हमारे कुछ दोस्त अपनी खानदानी उन पुरानी ट्रेडीशंस को मेनटेन करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं । यह लखनऊ की ट्रेडीशंस हैं, उनको मेनटेन करना कोई बुरी बात नहीं है । जब ऐसी ट्रेडीशन है तो मैं समझ नहीं पाया कि फर्क क्या है जब हम भी और आप भी दोनों ही इस सरकार के "मुसाहिब" हैं । मैं यह फख्र अपने मित्र को आज भी देना चाहता हूं ।

सुरथबहादुरशाह जी ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होना चाहिये और इसके लिये एक कोटेशन उन्होंने राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट से पढ़ा । मैं उनकी इस बात से १०१ परसेंट इत्तिफाक करता हूं । उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिये, केवल एक्ससक्लूसिव कंट्रोल की बात कही । वह बात सही है, मैं उससे इत्तिफाक करता हूं ।

मेरे दोस्त गौरीशंकर राय जी ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाई, लेकिन मेरे तीनों मित्रों गौरीशंकर राय, सुरथबहादुरशाह और पद्माकरलाल जी के मुख्तलिफ खयालात थे, इसको नेता विरोधी दल अपने भाषण में स्पष्ट करेंगे कि वे उनके व्यक्तिगत विचार थे या पार्टी के थे ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—समझ का फेर है ।

श्री नवलकिशोर—वह तो दोनों की समझ का फेर है ।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना ध्यान उधर मत ले जाइये ।

श्री नवलकिशोर—टोकते हैं तो मेरा ध्यान बट जाता है । मैं नहीं समझ पाया कि किसकी विचार-धारा को मैं स्टैंडर्ड विचार-धारा मानूं । मेरे दोस्त गौरीशंकर राय जी ने दो विश्वविद्यालयों के बारे में फरमाया—इलाहाबाद और लखनऊ—कि वहां के जो उपकुलपति हैं "दे आर ए डिसग्रेस टु दि गवर्नमेंट ऐंड आलसो टु दि प्रेजेन्ट ऐंड दि फार्मर चीफ मिनिस्टर" । तो जो हमारा डिसग्रेस है अगर हम उसको उठा कर फेंकने की कोशिश करें तो क्या शिकायत है ? आप फरमाते हैं कि ये दोनों वाइस-चांसलर्स गवर्नमेंट के लिये डिसग्रेस हैं और गोरखपुर के ऐसे हैं जो किसी पद्धति से नहीं आये हैं, बल्कि नामजद हैं—सिर्फ एक वाइस-चांसलर हैं आगरा यूनिवर्सिटी के जिनको अभी तीन महीने ही हुये हैं । तो अगर हम उस डिसग्रेस को दूर करना चाहते हैं तो फिर गौरीशंकर राय जी को क्या शिकायत है ? "ही वाज ब्लोइंग हाट ऐंड कोल्ड इन दि सेम ब्रेथ" (He was blowing hot and cold in the same breath)। यह तो आपके मन की बात हमने की है । माननीय पद्माकरलाल जी के दिमाग में चाहे और भी कोई चीज हो, मगर विशेष कर उनके दिमाग में सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, लेकिन हमारे सामने स्टेट के पांचों विश्वविद्यालय हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह—पहले एक जगह गुटबन्दी थी अब पांचों जगह गुटबन्दी करेंगे ।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, गुटबन्दी का जिक्र बहुत होता है । मैं कतई इस बात से इत्तफाक करता हूं और मेरे बड़े और बुजुर्ग साथी, नेता विरोधी दल इस बात से इत्तफाक करेंगे कि गुटबन्दी और गुटबाजी अच्छी चीज नहीं है और वह किसी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं गुटबन्दी के प्रति बहुत ज्यादा सेंटीमेंटल नहीं हूं, हम और वह, सभी इसके शिकार हैं । जब तक हमने जनतंत्र को माना है गुटबन्दी और गुटबाजी किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने आयेगी और हमको उससे लड़ना पड़ेगा । एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अन्दर गुटबाजी न हो और वह जभी होगा जैसा कि बहुत दफा कहा गया जबकि पालिटिक्स को विश्वविद्यालयों से दूर रखा जाय । मैं इसको मानता हूं, यह सही बात है । अगर इसके ऊपर कोई पोलिटिकल ट्रूस हो सकती हो तो वह बहुत ही हितकारी होगी विश्वविद्यालयों के लिये । मेहरबानी करके कोई भी राजनीतिक दल अध्यापकों और विद्यार्थियों में राजनीति की खिलवाड़ न कराये । इससे एक कदम और आगे चल कर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश की है कि अगर आप विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं में अच्छा वातावरण रखना चाहते हैं तो आपको टीचर्स की कांस्टीट्युएंसी को खत्म कर देना चाहिये । एक टीचर पालिटीशियन तो था ही और जब से हमने उसको अपर हाउस में रेप्रेजेन्टेशन दे दिया तब से वह यहां भी पालिटिक्स करता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के अन्दर भी पालिटिक्स करता है ।

अब मैं दो, तीन बातें जो इस विधेयक के संबंध में हैं वे कह देना चाहता हूं । मेरे मित्र गौरीशंकर राय जी ने एक बात कही कि इस कानून से जो दो वाइस-चांसलर लखनऊ व इलाहाबाद के हटाये जायेंगे वह बहुत अच्छी बात है मगर उन्होंने यह फरमाया कि उसके लिये कोई दूसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वह तरीका उन्होंने बतलाया नहीं । मान्यवर, यह मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और उस समय भी था जिस समय कि इस प्रदेश में यूनिवर्सिटीज के अन्दर आन्दोलन चल रहे थे और तरह-तरह के अच्छे और बुरे चार्जेज और काउन्टर चार्जेज गवर्नमेंट के सामने आये थे । मैं इस पक्ष में जब भी था और आज भी हूं कि अच्छा यही होता कि उन सबकी जांच के लिये पब्लिक इन्क्वायरी बिठायी जाती । अगर डर इस बात का था जो आगे चल कर खतरनाक साबित हो सकता था कि अगर विद्यार्थियों

[श्री नवलकिशोर]

के आन्दोलन को ले कर हम इंक्वायरी बैठाना शुरू कर दें तो सभी नेता इस बात से इत्तफाक करेंगे कि आज के ट्रांजिटरी पीरियड में जब देश में इतनी उथल-पुथल हो और इतनी मैच्योरिटी या जिम्मेदारी अभी पैदा न हो पायी हो तो इस तरह की इंक्वायरी बैठाना एक कामन चीज न बन जाय, एक तमाशा न हो जाय और एक मजाक न हो जाय।

माननीय पद्माकरलाल जी श्रीवास्तव ने कहा कि यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट के बाद यदि यह काम किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक एक ही बात पर केन्द्रित है और वह यह है कि उप-कुलपति की नियुक्ति किस तरह से हो। इसके अतिरिक्त अनुशासन वगैरह की अन्य बातें भी हैं और यद्यपि इस समय हमारे सामने तीन-तीन कमीशंस की रिपोर्टें मौजूद हैं इसके बावजूद हमने एक और कमीशन बिठाया और मैं नहीं जानता कि उसकी कितनी सिफारिशें हमारे सामने आयेंगी। यह जरूर है कि उसकी रोशनी में एक व्यापक विधेयक आना चाहिये। इसमें हम और वह एक ही राय के हैं। इसमें अर्जेन्सी एक यह भी थी कि दिसम्बर के महीने में यूनिवर्सिटी के अन्दर और विशेष तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ उथल-पुथल-सी होना शुरू हो गई थी और यह डर था कि कहीं ऐसा न हो कि घटनायें इस प्रकार से घटित हों कि गवर्नमेंट को फिर से अपने कठोर कर्तव्य का पालन करना पड़े और पुलिस तथा पी० ए० सी० को यूनिवर्सिटी में भेजना पड़े। ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय, इसलिये यह भी सोचा गया कि जो चीज एक जड़ है और जहां से गुटबन्दी शुरू होती है अगर उसके अन्दर सुधार कर सकें तो उसकी चेष्टा करें। एक कारण इस विधेयक के आने का यह भी है।

बहरहाल बहुत-सी चीजें कही गई हैं जिनका जवाब मंत्री महोदय देंगे। मान्यवर, एक बात उन्होंने और कही कि जो गवर्नर महोदय हैं उनको ही चांसलर क्यों बनाया जाय? और इस सिलसिले में राधाकृष्णन् कमीशन का हवाला भी कुछ दिया गया। मैं उनको बताऊं कि राधाकृष्णन् कमीशन की स्पष्ट राय यह थी और है कि गवर्नर का प्रदेश में चांसलर होना कामयाब रहा है और वर्किंग भी बहुत सैटिसफैक्टरी रही है। एक बात उन्होंने जरूर कही कि जिस प्रदेश में एक से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं तो वहां के गवर्नर इस बात को महसूस करें कि वह सबके लिये बराबर समय और अटेंशन दे पायेंगे या नहीं और आखिर में उन्होंने कह दिया कि यह स्टेट का मसला है और हम इसको स्टेट के ऊपर छोड़ते हैं। मैं समझता हूं कि आजकल जिस स्थिति में हम हैं और जिसमें गवर्नर चांसलर बने हुये हैं मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित है।

एक बात जरूर है मान्यवर, जो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि चांसलर की क्या पोजीशन है? इसका कोई स्पष्टीकरण हमारे विधान में नहीं है। इसका कारण यह है कि विधान में चांसलर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जहां तक मुझे मालूम है। गवर्नर महोदय की क्या पावर्स हैं वह हमारे यहां डिफाइन हैं और उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि एक आसाम को छोड़कर किसी भी प्रदेश में गवर्नर को डिसक्रीशनरी पावर कोई है नहीं। यह इम्प्लीकेशन है उसका कि उसको हमेशा काम करना पड़ता है 'आन दी ऐडवाइस आफ दी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स' (मंत्रि-मंडल की सलाह पर) मूथम साहब ने इस बात की कोशिश जरूर की है अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने डिफरेंशियेट किया है गवर्नर और चांसलर में। उनका कहना यह है कि चांसलर को इंडिविजुअल डिस्क्रीशन है अपने निर्णयों के देने का और फैसले करने का और जैसा कि सरकार ने बताया जिसको कि मैं अपनी जगह सही मानता हूं कि उनको उप-कुलपति के चुनाव में सरकार ने कोई ऐडवाइस नहीं दी, तो यह इस बात का संकेत अवश्य है कि इस तरह का ट्रेडीशन और परम्परा डाली जा रही है कि चांसलर को अपने डिस्क्रीशन से काम करने का मौका ज्यादा से ज्यादा हो। बहरहाल, सरकार की क्या नीति हो, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस मामले में मेरा यह निश्चित मत है कि कांस्टीट्यूशन में वह बात हो या न हो, हमको स्वयं इस बात का अधिकार है कि हम स्वस्थ परम्परायें बना सकते हैं, ट्रेडीशंस और कन्वेंशंस

डाल सकते हैं और हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वस्थ परम्परायें डालें अपने प्रदेश के अन्दर कि जो गवर्नर चांसलर होगा तो उसमें गवर्नर और चांसलर की पोजीशन में अन्तर होगा और चांसलर को पूरे डिस्क्रीशन से कार्य करने का मौका होगा और होना चाहिये, यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है । मान्यवर, यह जो हमारे सामने विधेयक है, यों तो कहने को इसमें दस क्लाज हैं मगर मोटे तौर से इसके ६ या ७ क्लाज ही हैं क्योंकि और सबमें तो वही उसूल है ।

एक प्वाइंट यह है कि अब तक जो हमारे यहां नियम था वह यह था कि दो विश्वविद्यालय-संस्कृत विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय—को छोड़कर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो विश्वविद्यालय की है वह तीन नाम भेज दे चांसलर के लिए और वह उसमें से एक को नियुक्त कर दें, मान्यवर, मेरे दोस्त श्री पद्माकरलाल जी ने इस संबंध में यह कहा कि वह इत्तफाक करते हैं आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की पद्धति से जिनमें कि उपकुलपति की नियुक्ति जो है वह 'बाई रोटेशन' होती है, जो वहां का सीनियर प्रोफेसर है वह 'बाई रोटेशन' वाइस-चांसलर बन जाता है । मुझे इस संबंध में यह कहना है कि जहां तक मूथम या राधाकृष्णन या और भी अगर मैं कह सकूं तो आचार्य जी ने भी जो कि हमारे देश के प्रकांड पंडित और शिक्षा के विशेषज्ञ थे उन्होंने कहीं भी इसे स्वीकार नहीं किया है । मान्यवर, सवाल इस बात का है और कितने भी कमीशन बैठे हों, निर्विवाद बात यह है, और सबका एक मत है कि विश्वविद्यालय में शान्त वातावरण के लिए और स्वस्थ वातावरण के लिए जिसमें कि उच्च कोटि की शिक्षा सम्भव हो सके यह अनिवार्य है कि वहां पर गुटबन्दी न हो और चुनाव को जहां तक संभव हो कम से कम किया जाय । यह सबकी राय है और इसी खयाल से उस समय अमेंडमेंट किया गया था । उसमें यह भी था कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी एक मत से किसी नाम को भेजेगी चांसलर को तो उसको वह नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा । यदि वह एक नाम नहीं भेज पाती है, तो उसे तीन नाम भेजना चाहिए ।

एक बात मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस देश में जहां तक कि वाइस-चांसलर के चुनने का या उसकी नियुक्ति का संबंध है कोई एक पैटर्न हमारे यहां नहीं है । कहीं ऐसा होता है कि एक्जीक्यूटिव तीन नाम भेजती है, कहीं कोर्ट या सिनेट तीन नाम भेजती है, कहीं चांसलर डाइरेक्ट उसका अप्वाइंटमेंट कर देते हैं, कहीं यह भी है कि जो सिनेट है वह उसका अप्वाइंटमेंट करती है । तो बहुत से हमारे यहां तरीके हैं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि हर तरीके के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में एक से एक काबिल वाइस-चांसलर आये और नियुक्त हुये । तो मैं यह मानने को तो तैयार नहीं हूं कि कोई एक पद्धति सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है या सर्वोच्च है, ऐसी बात मैं नहीं मानता । भिन्न-भिन्न पद्धतियां हैं और सबकी अपनी अच्छाइयां हैं और कमजोरियां भी हैं । हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि जितनी अशान्ति और अनुशासनहीनता हमारे विश्वविद्यालयों के अन्दर, हमारे प्रदेश के अन्दर रही उतनी और विश्वविद्यालयों में नहीं रही । इसलिये हमारे लिये यह और अधिक सिर दर्द हो गया और प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के मुकाबले में । इसलिये इस बात को मानते हुये सदन में चुनाव की बात नहीं मानी गई, सेलेक्शन की बात मानी गई और सबसे पहले उसका इस्तेमाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर के लिये किया गया और संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उसका इस्तेमाल किया गया हालांकि उसमें थोड़ा-सा अन्तर था ।

तो तीन बातें हमारे सामने थीं । कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चान्सलर, वाइस-चान्सलर को अप्वाइन्ट कर दे । यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो । बहुत-सी जगह ऐसा होता है, बम्बई में ऐसा होता है । बिहार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि चान्सलर, वाइस-चान्सलर को नियुक्त कर दे । यही नहीं हमारे दोस्त समाजवादी भाइयों को याद होगा कि जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार आई थी तो उस समय जो वहां शिक्षा मंत्री थे, जब ट्रावनकोर विश्वविद्यालय के संबंध में पुनर्गठन के लिये उन्होंने विधेयक पेश किया था

[श्री नवलकिशोर]

उसमें यह प्राविजन किया था कि चान्सलर को वाइस चान्सलर की नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिये। माननीय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था, वह बात स्पष्ट है। चान्सलर के माने सरकार लगाये जाते हैं; इसीलिये अगर चान्सलर को डिस्क्रीशन इस्तेमाल करने की परम्परा डाली गई तो जो आशंका हमारे भाइयों को होती है कि वह इण्डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, वह बात दूर हो जाती है। तो यहां पर जो इस परम्परा की बात शुरू हुई उसको किसी कम्यूनिस्ट मेम्बर ने पेश नहीं किया बल्कि मैं कर रहा हूं। हमने इस बात को माना है कि चुनाव की पद्धति को जरूर कम करें। कमेटी तीन आदमियों के नाम चान्सलर के पास भेजे। इस संबंध में मैं दो बात कहना चाहता हूं आशा है कि माननीय मंत्री जी ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे।

मैं यह समझता हूं कि सेलेक्शन का उसूल मानना चाहिये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने यहां अडाप्ट किया है। वह ज्यादा अच्छा मालूम होता है इस माने में कि उसमें यह है कि तीन आदमियों की कमेटी बैठेगी। वह तीन व्यक्तियों की सिफारिश एक्जिक्यूटिव कौंसिल से कर देगी और एक्जिक्यूटिव कौंसिल अपनी सिफारिश के साथ उनको चान्सलर के पास भेज देगी और चान्सलर को अधिकार होगा कि किसी एक को चुन ले। मैं यह समझता हूं, हालांकि मानने में कोई अन्तर नही पड़ता कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को चेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल है उसका भी एक स्टेटस होता है, उसकी भी एक एन्टिटी अपने स्थान पर है और मैं उसको मानता हूं। अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल को हम बिलकुल छोड़ देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यह फीलिंग हो सकती है कि हमको इसमें बाइपास करने की बात है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि वह वाया मिडिया अच्छा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अन्दर है।

दूसरी बात गवर्नमेंट यह सोचे कि आपने जो इसमें रखा है कि वह कमेटी कोई प्रिफरेन्स नहीं देगी। अगर आप एक्जिक्यूटिव कमेटी के द्वारा नाम भेजने के लिये तैयार हैं तब यह तो ठीक है कि उस चुनाव कमेटी को प्रिफरेन्स देने की बात नहीं होनी चाहिये अन्यथा यह अधिकार रहना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जब आपने तीन की कमेटी बना दी तब मैं यह मानकर चलता हूं कि इस बात की कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर आदमी उस कमेटी में बैठाये जायं, तब अगर वह प्रिफरेन्स नहीं देती है तो मैं यह समझता हूं कि हम चान्सलर महोदय के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाल देते हैं। उनका बोझ हल्का करने के लिये यदि प्रिफरेन्स दे दिया जाय तब बुरा नहीं है, वह प्रिफरेंस से पाबन्द नहीं है, प्रीफेरेंस कतई गुप्त रखा जाय। अगर वह नहीं देना चाहते हैं तो न दें, लेकिन अगर हम उस कमेटी के हाथ न बाँधें तब ही ज्यादा ठीक होगा।

तीसरी बात कही गयी एक्जीक्यूटिव कमेटी के कांस्टीट्यूशन के बारे में। हमारे दोस्त सुरथबहादुरशाह जी ने बतलाया कि राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी का निर्माण, गठन किस प्रकार होना चाहिये। जहां तक सम्भव हो उसमें आधे आदमी एक्सटरनल हों और आधे इन्टरनल और उनका जो इंक्लीनेशन हो वह इंटरनल होना चाहिये। मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। अभी तक २२ आदमियों के अन्दर १० एक्सटरनल हैं और १२ इंटरनल हैं। इसमें यह है कि एक डाइरेक्टर आफएजूकेशन और एक डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ बढ़ाये जायेंगे। तो किसी-किसी में तो मैंने देखा है कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन पहले से ही मौजूद हैं। तो कहीं एक आदमी बढ़ेगा और कहीं दो। अगर मैं मान भी लूं कि २२ में १० और १२ का रेश्यो है तब वह ११ और १२ का हो जायगा तो भी उससे राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट का वायलेशन नहीं होता।

श्री सुरथबहादुरशाह—अगर आदरणीय सदस्य बरेली मुझे आज्ञा दें तो मैं बतला दूं कि १० और ११ नहीं, मैंने ११ और १२ कहा था। अगर यह बढ़ जायेंगे तो १० और १३ का रेश्यो हो जायगा।

श्री नवलकिशोर—बदकिस्मती यह है कि जब में पढ़ता था तो मेरे मैथेमेटिक्स में बहुत अच्छे नम्बर आते थे। जो उसके अन्दर का फार्मेशन है वह हम और आप बैठ कर देख लें तो समझ में आ जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैंने भी बी० एस० सी० में मैथेमेटिक्स पढ़ी है।

श्री नवलकिशोर—दिक्कत यह है कि मैंने कहीं और पढ़ी है और उन्होंने कहीं और पढ़ी है।

श्री अधिष्ठाता—शायद दोनों का ही डिस्टिंक्शन था।

श्री नवलकशोर—तो अच्छा ही है कि हम दोनों इस मामले में एक हो गये।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—आपका बरेली से डिस्टिंक्शन है और उनका लन्दन से।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, तो मेरा देसी है उनका विलायती।

श्री सुरथबहादुरशाह—आपका आगरे के ज्यादा नजदीक है।

श्री नवलकिशोर—तो ११ एक तरफ हो जायं और १२ दूसरी तरफ हो जायं तो भी उससे राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश का खंडन नहीं होता।

एक बात इसमें यह है कि इमरजेंसी एव्वाइंटमेंट के लिये हम ने चांसलर को अधिकार दिये हैं कि वह चाहे तो ६ महीने क लिये वाइस चांसलर को स्वयं ही नियुक्त कर दें। वही, इमरजेंसी है अथवा नहीं इसका मुख्य निर्णय करने वाले भी होंगे। सिद्धांततः तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पावर्स आपने चांसलर को दी हैं, इस तरह की पावर्स और किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हैं। यदि इसको रखना है तब इसमें इस बात की कोशिश अवश्य की जाय कि चांसलर को अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने की बात अवश्य रहे।

एक बात इसमें, मैं यह भी कहना चाहता था कि वाइस-चांसलर को हटाने के लिये इसमें एक प्राविजन है और उसमें तीन कंडीशन्स हटाने के सिलसले में दी गयी ह। पहली बात तो उसमें यह है कि वह पागल हो जाय। भगवान न करे कि कोई हमारा वाइस-चांसलर पागल हो जाय, लेकिन अगर हो जाय बदकिस्मती से.....

श्री रामायणराय—तो वह बरेली चला जायगा।

श्री नवलकिशोर—मेरे दोस्त ने कहा कि उसे बरेली जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त रामायणराय जी को अगर इत्तफाक हुआ तो बरेली जाना पड़ेगा, लेकिन वाइस-चांसलर तो कुछ ऊंचा होता है, इसलिये उसे आगरे जाना पड़ेगा।

(इस समय ३ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पुनः पीठासीन हुए।)

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि वाइस-चांसलर को हटाने के लिये इसमें तीन बातें रखी गयी हैं—(१) वह पागल हो गया हो, (२) अगर वह इन्सालवेण्ट हो जाय और (३) मारल टरपीट्यूड में उसका कन्विक्शन हो गया हो। यदि कभी यह चीजें हो गईं तो इन कारणों से उसको हटाया जा सकेगा। यह इसमें रख दी गयी हैं.....

एक सदस्य—अगर रोमान्स हो जाये तो?

श्री नवलकिशोर—इसका मुझे कोई तजुर्बा नहीं है और न कोई जानकारी है।

(हंसी)

[श्री नवलकिशोर]

तो यह चीजें ऐसी हैं कि जिनके कारण उसको हटाना चाहिये, मगर मैं यह महसूस करता हूं कि इसका प्राविजन अगर ऐक्ट में न हो तो अच्छा है। जो पावर्स आपके पास इस बिल के द्वारा रहेंगी उनके होते हुए भी इसके रखने की आवश्यकता को मैं नहीं समझता। अगर सरकार उसको हटा दें तो अच्छा है।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि जो मौजूदा वाइस-चांसलर हैं उनका टर्म इस बिल के पास हो जाने पर किसी पर्टीक्यूलर डेट को निश्चित कर समाप्त किया जायेगा। मैंने जब इस ऐक्ट को पढ़ा और देखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि क्या कानूनन यह सम्भव है? अगर इस विधेयक की यह मंशा है कि शान्त वातावरण आप लाना चाहते हैं। यह दूसरी बात है कि हमारे कुछ भाई इससे इत्तफाक न करें; लेकिन स्थिति को देखते हुये इसकी अर्जेंसी है। जब इसकी अर्जेंसी है तो इस अर्जेन्सी के कारण हम इस विधेयक को लाये हैं। तो यह प्राविजन कि वर्तमान उप-कुलपतियों की अवधि समाप्त की जाय, अत्यन्त आवश्यक है। मेरे दोस्त और मित्र माननीय सुरथबहादुरशाह भी इससे इत्तफाक करेंगे। लखनऊ विश्व-विद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी के वे मेम्बर रहे हैं और उनको यह अधिकार था और ताकत थी कि डीन के टर्म को वे ७ दिन के अन्दर यह डिक्लेयर कर सकते थे कि आपका पूरा टर्म ७ दिन के अन्दर मान लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि अब तो यह तीन साल की बात है, लेकिन कानून के अन्दर उनको इस बात का अधिकार था। बिहार सरकार ने भी अपने विश्वविद्यालय में ऐसा प्राविजन रक्खा है।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्वेश्चन, क्वेश्चन ?

(श्री नवलकिशोर के बैठने पर)

श्री उपाध्यक्ष--- (श्री नवल किशोर से) आप अपना भाषण जारी रखें। जब कोई मेम्बर क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह आपकी बात से सहमत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कुछ प्रश्न पूछना चाहता है।

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, आपने जो इन्टरप्रिटेशन दिया वह मैं जानता था, मगर मैं इसलिये बैठ गया कि शायद माननीय सदस्य के दिल में कुछ और हो कहने के लिये, तो वह उसे कह कर अपना बोझ हल्का कर लें।

मान्यवर, इसमें दो एक क्लाज रिमूवल आफ डिफिकल्टीज वगैरह के और हैं जिनके बारे में मेरे दोस्त गौरीशंकर राय जी ने भी कुछ कहा है। यह जो क्लाज है रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का वह अपनी जगह पर ठीक है और कोई भी विश्वविद्यालय हो, मैं समझता हूं कि उसमें यह चीज होनी चाहिये।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उसे कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। श्रीमन्, यह विषय जो है यह गम्भीर विषय है और हम सब को यह चाहिये कि हम सभी राजनीति से ऊपर उठकर सही मानी में विश्वविद्यालय में शान्ति का वातावरण पैदा करने में जो हमारा कर्त्तव्य है, उसको पूरा करने में सहायक हों। किसी की भी नीयत पर हमला करने से हम किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। यद्यपि यह देखा गया है कि जब कभी भी कोई संशोधन आया है उस पर विरोधी पक्ष की ओर से सरकार की नीयत पर हमला किया गया है। पहले जब संशोधन आये तब भी आपने कहा कि आपकी गुटबन्दी है, व्यक्तिगत पालिटिक्स है, परसनल ग्रुपिज्म है---आज भी कहते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई आखिरी शब्द कहना कि अमुक तरीका सबसे बढ़िया है, ऐसी बात मैं नहीं कहता। मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि हर पद्धति से अच्छे से अच्छे वाइस-चांसलर आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिनके हाथ में एक्जिक्यूटिव कमेटी हो वह कैसे कार्य करते हैं और उससे बड़ा उत्तरदायित्व उस समय की गवर्नमेंट का भी होता है कि

वह किस तरीक से अपनी शिक्षा नीति का प्रतिपादन करना चाहती है। हम कैसा भी कानन कागज के ऊपर बना दें, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है इसलिये सबसे बड़ी बुनियादी चीज यह है कि हमारी उसमें नीयत क्या है, अप्रोच क्या है? हम समझते हैं कि जिस ध्येय को सामने रख कर इस विधेयक को लाया गया, यह उसी तरीके से कार्यान्वित होगा और सही माने में हम अपने प्रदेश के अन्दर एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकेंगे।

एक बात और भी अवश्य है, जिसका कोटेशन हमारे साथियों ने दिया, वह नहीं हो पायी है। राधाकृष्णन् कमीशन ने एक बात पर जोर दिया था कि कन्वेसिंग न हो। कोई भाई, चाहे मेरे जैसे हों, इस असेम्बली के हों या बाहर के हों, अगर खुद वाइस-चांसलर होना चाहें तो उनको डिसक्वालिफाई कर देना चाहिये। किसी मनुष्य को अपनी इच्छा का इजहार नहीं करना चाहिये कि मैं वाइस-चांसलर बनना चाहता हूं। अब तक जो हमारी नाकामयाबी रही उसका कारण यह भी था कि दो बातें थीं। यह तो प्रावीजन हमने रख दिया था कि सर्व-सम्मत हो जाय, वह नहीं हो पायी, और कैंडीडेट्स ने घुड़दौड़ और मोटर दौड़ शुरू कर दी। तो इस बिल में यद्यपि उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है, लेकिन इस बात को जरूर दिमाग में रखना चाहिये कि अगर कोई साहब बहुत ज्यादा उत्सुक हों उप-कुलपति बनने को और अथारिटीज को अहसास हो जाय कि वह ख्वाहिशमन्द हैं तो उनको डिसक्वालिफाई कर देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका और सदन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इतने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। अन्त में मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने जनमत की बात कही—जिसके फेवर में उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया—और मेरे दोस्त जिन्होंने संयुक्त प्रवर समिति की बात कही है, अगर वह देर करना चाहते हैं तो दूसरी बात है, वैसे सबके सामने कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई है, ४–४, ६–६ पुस्तकें रखी हैं और कौन क्या कह गया, यह सब को पता है और जिस कमीशन की उम्मीद है कि वह आने वाला है, उसके बारे में मेरे दोस्त गौरीशंकर राय जी की राय है कि उसका भगवान ही मालिक है, वह आयेगा या नहीं, यह नहीं मालूम। तो मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने प्रस्तावों को वापस लेंगे और जैसा यह है, इसको पास करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल के ऊपर जो व्याख्यान पक्ष और विपक्ष के मेम्बरों के हुए, उनको ध्यानपूर्वक सुना। निहायत अच्छी नीयत से बिल पेश किया गया है, विश्वविद्यालय की भलाई के दृष्टिकोण से कि पार्टी-बाजी होती है, काम अच्छा नहीं होता है उसे कैसे खत्म किया जाय और निहायत ईमानदारी से इधर से विरोध भी किया गया है, लेकिन हुजूरवाला, इस पर अर्ज करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। कुछ मेरे ही बारे में गलतफहमी है। अगर मेरे ही बारे में गलतफहमी है तो मेरी अच्छी से अच्छी बात भी नहीं सुनी जायगी और अगर गलतफहमी दूर हो गयी.....

श्री रामायणराय—गलत जगह बैठे हुए हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—अभी मेरे दोस्त ने फरमा दिया कि गलत जगह बैठे हो। इसका जवाब यह है कि १९३७ से, जब से मैं आया हूं, तब से यहीं बैठता हूं। वजह यह है कि सामने स्पीकर साहब पड़ते हैं, अपोजीशन के लीडर भी पड़ते हैं और विरोधी भी पड़ते हैं इसलिये एड्रेस करने में आसानी होती है।

दूसरी मुखालिफत यह है कि कांग्रेस से अलग होजाने के बावजूद भी वाक-आउट क्यों नहीं करते। कुछ दोस्तों का खयाल है कि मैं कांग्रेस में लौट जाऊंगा, बाहर तो रह ही नहीं सकता, मुझ से कुछ लोगों ने कहा भी तो मैंने उनसे कहा कि आप जानते नहीं हैं सीताराम शुक्ल को—

[श्री सीताराम शुक्ल]

न बजोरो न बज़ारी न बजर मी आयद—मुझ पर न सिफारिश का असर पड़ सकता है और न रिश्वत का असर पड़ सकता है। आप दलील दीजिये, जिस कारण से मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, अगर मेरी राय बदल जाय तो मैं लौट सकता हूं। मैं इस प्वाइंट पर अलग हुआ हूं कि जो चुनाव का तरीका है वही गलत है क्योंकि इसमें अच्छे लोग कम आ पायेंगे, आपर्चुनिस्ट लोग ही आयेंगे तो फिर हुकूमत कैसे अच्छी होगी। दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि आपकी सोशलिज्म से पैदावार घट जायगी।

हुजूरवाला, अपोजीशन जो है उसकी कोशिश यह है कि किसी तरह से सरकार को बदनाम करके वोट हासिल करो और हुकूमत में आ जावो। अच्छा काम हो तो मुखालिफत, बुरा काम हो तो मुखालिफत। ठीक हो तो गलत, गलत है तो गलत। हुजूरवाला, मेरा तरीका यह नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इनके फैसले गलत हैं, इनके फैसलों से पैदावार रुक जायगी, पब्लिक की प्रगति रुक जायगी। लिहाजा इनमें जो आयोग्य हैं उनको हट जाना चाहिये और अच्छे आदमियों को आना चाहिये। यही मेरी गजारिश है। लेकिन हुजूरवाला, इस बात को कौन कह सकता है? जो खुद पार्टीबाजी करता है, तरफदारी करता है वह नहीं कह सकता है। अगर वह कहना चाहे तो पहले उसको अपने को ठीक करना चाहिये। उसको पार्टीबाजी से ऊपर होना पड़ेगा, तभी पार्टीबाजी रोकी जा सकती है। जो गलतफहमी थी उसको दूर करने के लिये मैंने उचित समझा कि अर्ज कर दूं। मैं अफसोस के साथ कांग्रेस से अलग हुआ हूं, क्योंकि मेरी अल्प बुद्धि में समाजवाद से पैदावार घटेगी। मैं कोशिश करूंगा कि जनता की राय बनाऊं, पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करूं कि पार्टी हुकूमत न हो बल्कि पब्लिक की हुकूमत हो ताकि न्याय और इंसाफ हो।

हुजूरवाला, अब मैं बिल पर आता हूं। इसके बारे में हमारे सुरेश्वरबहादुरशाह साहब ने कल फरमाया था कि पार्टीबाजी हर जगह हो जायगी। इलेक्शन जब होता है तो पार्टीबाजी होती है, अगर विश्वविद्यालय में भी पार्टीबाजी हो जायगी तो इसमें क्या हर्ज है- मेरी गुजारिश है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ किया जाता है, गलती से गलती का समर्थन नहीं होता। एक ही जगह इलेक्शन काफी है, एम० एल० एज०, एम० पीज० का इलेक्शन हो गया, जिसको पब्लिक वोट देगी वह चुना जायगा, लेकिन अगर हर जगह चुनाव हो तो फिर कहा जा सकता है कि स्कूल में भी हो, पुलिस में भी हो, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी चुनाव करा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से तो चुनाव का मतलब ही खत्म हो जायगा। अच्छे से अच्छा आदमी बिठाया जाता है, लेकिन "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।" शिकायत दूर नहीं होती। इसलिये मेरी गुजारिश है कि वहां पर पूरा अख्तियार सरकार को होना चाहिये। हमारे मित्र शाह साहब ने फर्माया था कि अगर यह हो गया तो फिर कोई अच्छे आफिसर नहीं मिलेंगे, वह सोचेंगे कि अगर गवर्नमेंट बदली तो हम भी बदल जायेंगे। लेकिन वह भूल गये कि अमेरिका में अगर गवर्नमेंट बदलती है तो आफिसर भी बदल जाते हैं, लेकिन आफिसर न मिलते हों, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट चुनी हुई हो, पब्लिक के वोट से चुनी जाय लेकिन गवर्नमेंट को फुल पावर होनी चाहिये। वाइस-चांसलर पर अपने चुनने वालों का असर पड़ता है और ऊपर से सरकार का भी असर पड़ेगा। वह दो चक्कियों में पिसेगा, वोटर्स की भी और सरकार की भी। अगर सरका ही नामजद करती तो वह एक ही चक्की में पिसता। तब कम से कम पढ़ाई का काम तो अच्छा होता। मेरा विचार है कि इस बिल पर विरोधीदल जरा संजीदगी से विचार करें। हठ या विरोध करने से जनता की सेवा नहीं हो सकती। गवर्नमेंट का जो मकसद है वह पूरा होना चाहिये। विश्वविद्यालय के बारे में जो कानून कायदे बनाये जा रहे हैं, उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। जनाबवाला, इस सरकार के खिलाफ दो दफा सेंसर पेश हो चुका है। इस बिल पर हाउस का पहले से ही विरोध है। पहली दफा ९८ मेम्बरों ने कहा था कि हमें विश्वास नहीं है और इस

बार भी कुछ लोग गवर्नर महोदय की स्पीच के वक्त उठकर चले गये थे। विरोधी दल के लोग तो इसके खिलाफ ही हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ हैं—

'दिल भर के भी न देखा था कि होने लगी रुसवाई'

आप इस बिल को व्हिप के बल पर पास करा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं। एक बार जब आल इंडिया कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव पर मतभेद हुआ और स्वराज्य दल के लोगों ने वाक-आउट कर दिया। गांधी जी ने कहा कि यद्यपि कागजात पर तो यह प्रस्ताव पास होता है, लेकिन जो लोग उठ कर चले गये हैं अगर उनको मिलाया जाय तो वह फेल ही होता है। अस्तु उन सब को बुलाया गया, समझौता किया गया और सुलह हो गयी और फिर संशोधित प्रस्ताव पास किया गया। इसी प्रकार यहां पर भी व्हिप के बल पर पास किया हुआ प्रस्ताव पास हुआ प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। इसलिये आप तह पर पहुंचें।

इधर के लिये भी कहूंगा कि आप भी पार्टीबाजी से ऊपर उठिये, लेकिन यहां भी नक्शे बनते हैं, मेम्बर बनते हैं, पर्चे गायब हो जाते हैं, पिटीशन भी गायब हो जाती है। यह कब तक चलेगा जरा गौर करके देखें। हुजूरवाला, मैंने रामायण में पढ़ा था कि राम के बन जाने पर भरत ने गद्दी छोड़ दी इसी प्रकार यहां भी कुछ साथियों ने कह दिया कि यदि चन्द्रभानु गुप्त जी की उपेक्षा होती है तो हमें भी मिनिस्ट्री नहीं चाहिये। उन्होंने भी एक रिकार्ड बना दिया। मुझे खुशी है कि अब श्री चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री हो गये और उनके बहादुर साथी भी आ गये, लेकिन क्या यह कम रंज की बात है कि श्री सम्पूर्णानन्द जी जो यहां बैठते थे, उनको यहां से हटा दिया गया, उस साधु, विद्वान् आदमी को यहां से हटा दिया गया। जब उनके पढ़ाये हुए विद्यार्थी यहां तथा केन्द्र में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनके पढ़ाये हुये ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठें और उस साधु को निकाल दिया जाय। क्या यह पार्टीबाजी नहीं है ? आपको इस पार्टीबाजी से उठना पड़ेगा और इंसाफ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे न चन्द्रभानु गुप्त जी से शिकायत है और न सम्पूर्णानन्द जी से ही क्योंकि दलबन्दी का संचालन तो दिल्ली से होता है।

श्री रामायणराय—मान्यवर, वक्ता महोदय आज शायद पगड़ी नहीं लाये हैं इस लिये हमको कुछ अभाव-सा मालूम हो रहा है।

श्री सीताराम शुक्ल—ये बड़े आदमी हैं, सब को बड़ा आदमी समझते हैं। मेरे पास एक ही पगड़ी है, अगर वह धोबी के यहां जाती है तो मेरे सिर पर नहीं रहती और धोबी के यहां से आ जाती है तो मेरे पास पगड़ी और शेरवानी भी होती है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि कभी दिल्ली से फोन आता है कि चन्द्रभानु गुप्त को मत लो और कभी फरमान आता है कि सम्पूर्णानन्द जी अलग हो जायें। तात्पर्य यह कि दिल्ली जो जड़ है वहीं पर खराबी है। तो मेरा कहना है कि दोस्तो, इन छोटी-मोटी बातों में वक्त मत खराब करो, पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर काम करो। कुर्सी पर वही बैठेगा जो न्याय करने वाला होगा। अगर पार्टीबाजी कीजियेगा, कुर्क अमीन, थानदार और डिप्टी कलेक्टर्स पर भी प्रभाव पड़ेगा अस्तु शासन अच्छा नहीं चल सकेगा। मेरी गुजारिश है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त के समय में कई पार्टियां नहीं थीं, केवल एक पार्टी कांग्रेस की थी, लेकिन वे चुनाव में जीती हुई बाजी हार गये तो अयोग्य हो गये और जब जीत गये तो अच्छे हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—यह आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है, संक्षेप में ही कहें।

श्री सीताराम शुक्ल—हुजूरवाला, कोई और कहे तो कहे, लेकिन आप तो इस विचार के हैं कि पार्टीबाजी से ऊपर होकर काम करना चाहिये। अगर और कोई पार्टीबाजी के प्रतिकूल कहने पर रोकता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर आप भी इस तरह की बात कहें तो मुझे आपसे शिकायत हो सकती है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

मेरी गुजारिश है कि मेरे साथी वृन्द जो ठीक समझते हैं उसे कहें और जिसे अनुचित समझते हैं उसका विरोध करें। अगर आप पार्टी के बाहर नहीं कह सकते हों तो कम से कम पार्टी के अन्दर तो अपनी बात कह ही दें। आखिर आप अपनी दिल की बात को क्यों नहीं कहते? आप यह याद रखें कि अगर पार्टीबाजी नहीं टूटी तो टिकट मिल जाने के बाद भी आप उसे भुना नहीं सकेंगे तात्पर्य यह कि चुनाव में सफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का करल न हो और उसमें लोग अच्छे ही आवें, पार्टीबाज लोग न आवें। जो धोखाधड़ी से निकाल दिये गये हैं किन्तु योग्य हैं उन लोगों को तथा कांग्रेस के बाहर के भी काबिल आदमियों को हुकूमत में आना चाहिये। हुजूरवाला, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात तो बहस करने के लिये है। राजा साहब प्रतापगढ़ को तो कम्युनिस्टों ने सन् १९५८ में वोट दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के श्री जेड० ए० अहमद साहब को राजा लोगों ने वोट दिया, तो सिद्धांत कहां चला गया था? इससे स्पष्ट है कि असलियत क्या है। सब कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं चाहे वह जिस तरह से भी मिल जाय।

यहां सिद्धान्त की कोई बात नहीं है। यहां तो ऐसे ही है कि—"तेली तलाश करता है भेली (गुड़), खरीदेगा सरसों"। तो मेरी गुजारिश यही है कि पार्टीबाजी और पक्षपात से काम करने से बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है और सब को बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर न्याय पर चल कर काम किया जायगा तो न सिर्फ विश्व-विद्यालय ही अच्छे होंगे बल्कि आपकी कचहरियां, स्कूल्स और अस्पताल भी अच्छे होंगे। आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देकर अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, कल से मैं सुन रहा हूं कि यह चीज पढ़े लिखे लोगों की है। जिसके पास चश्मा हो या जिसके पास दायें बायें पुस्तकें हों। चाहे इधर के पढ़े लिखे हों, चाहे उधर के पढ़े लिखे हों, मेरे पास न तो चश्मा है और न दायें बायें पुस्तकें ही हैं। यह बड़ी मुश्किल है।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय के मामले पर बातें हो रही हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इधर समाजवाद है और उधर कांग्रेस है हमसे कुछ न कहो। श्रीमन्, ये जनसंघ के लोग कहते हैं कि हमसे कुछ न कहा जाय। ये तो न इधर वाले हैं और न उधर वाले हैं। बोछार किस पर पड़ती है जो उससे घबड़ाते नहीं है, लेकिन ये किसी तरफ भी नहीं है।

श्रीमन्, सरकार ने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। कट्टर सनातनधर्मियों के यहां तीन नाम आदमियों के रखे जाते हैं। पंडित जब नामकरण करता है तब तीन नाम रखता है। सरकार ने भी तीन ही नाम रखे। गवर्नर, राज्यपाल और चांसलर या कुलपति, कलेक्टर, फिर डी० एम० फिर जिलाधीश कहने लगे। परमात्मा इनको तीन नामों से बचाये। आपने श्रीमन् सुना होगा--बात, पित्त और कफ और जब उपजहिं ये तीनहूं भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। लेकिन अभी मृत्यु में इनके देर है थोड़ी। श्रीमन्, मृत्यु भी तीन तरह की होती है। एक तो साधारण मृत्यु, दूसरी राजनीतिक मृत्यु और तीसरी मृत्यु इन लोगों की सन् १९६२ में होगी, जनतंत्रीय सरकार की। यह मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

अब श्रीमन्, नेता और मंत्री इनके नाम में गरमी होती है। श्रीमन् आपने लम्बरदार का नाम सुना होगा। बड़ी गरमी होती है उसके पास भी। गांव का लम्बरदार और ये लम्बरदार जेलों में भी हमें दुख देते थे। जब कैदी कोई लम्बरदार होता था तब वह और भी दुखदायी होता था

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पिठासीन हुए।)

गांवों में जिस को लम्बरदार कहते थे वह भी दुख देते थे और आज जिन को नेता और मंत्री कहते हैं वे भी देश के लिये दुखदायी हैं और यह कभी जनता का भला नहीं कर सकते। आज देखो विश्वविद्यालयों में कैसी ऊटपटांग बातें हो रहीं हैं, वहां अनपढ़ आ रहे हैं। मैं श्रीमन्,

समझ आप के द्वारा बात कह रहा था कि विश्वविद्यालय पर २ दिन से बहस चल रही है मेरी में नहीं आया कि विश्वविद्यालय किसका नाम है। यह तो भारतीय विद्यालय होने चाहिये, हां रूस की सुन रहे हैं कि वहां ऊटपटांग विश्वविद्यालय खुला है, लेकिन यहां विश्वविद्यालय का मतलब क्या है कोई यह भी नहीं समझता। यहां तो यह है कि ६ के ढाई कर दे और नाम मिनिस्टर रख दें, पद हो, नाम मिनिस्टर हो, किताब हाथ में हो तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय पर ३ दिन से बहस हो रही है यह गरीबों के लिये नहीं है, यह तो केवल अमीरों के लिये ही हैं वहां दसवें क्लास पास तो भरती भी नहीं हो सकता और वह तो विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है जबतक कि वह बारहवीं क्लास पास न कर ले तब तक उसके लिये दरवाजा वहां का बन्द रहता है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर विधेयक पर आ जांय।

श्री टीकाराम पुजारी—इसी पर कह रहा हूं श्रीमन्, आपके द्वारा। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं आप तो गिटपिट को ज्यादा मानते हैं। मेरी इसी गिटपिट को अंग्रेजी मान लिया करें। मैं अब इसी विषय पर आ रहा हूं। विश्वविद्यालय जो हुआ करते हैं उन में बड़ी ऊंची चीज हुआ करती है, लेकिन यहां तो गुटबन्दी चल रही है, वह बड़ी खराब चीज है, सत्यानाश कर देगी। मुझ से लोग कहते हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तो एक सीप रूपी हूं जो समुद्र में भी सूखी निकलती है, पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सूखे सीप समुद्र में रह कर भी सूखी और दरिया में भी सूखी। मैं तो न कांग्रेस पार्टी का हूं न किसी पार्टी का हूं मैं तो किसान पार्टी का हूं, गांधी जी की पार्टी का हूं कि जिसने अंग्रेजों को ठोकर मार कर सात समुद्र पार कर दिया। विश्वविद्यालय पर बात हो रही है, लेकिन गुटबन्दी वहां भी है।

आप के द्वारा गुटबंदी के बारे में २–१ बातें कहूंगा। हमारा भाषण सब से अलग होता है, लिखने वाले हमारी बात भी लिख दिया करो कि टीकाराम पुजारी ने यह बात कही जो कांग्रेस वाले गिटपिट कहते हैं वह तो सब लिख देते हो मेरा भी खयाल किया करो मेरे मुंह की निकली भी कहीं छाप दिया करो। अपना भी उल्लू सीधा किया करो और जरा दादा की भी बात लिख लिया करो। तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा और वह तभी होगा जब देश में सच्चा विश्वविद्यालय होगा। मेरी तो यही एक निराली चीज है कि मैं इस गुटबाजी के ऊपर हूं, किसी के फेर में नहीं आता हूं। गुटबाजी सब चीज में अच्छी होती है। आपस में जो संघर्ष होता है वह बहुत अच्छा होता है। जब पहलवान लड़ने जाता है . . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमान् १० मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष—५ मिनट और मिलेगा आपको।

श्री टीकाराम पुजारी—लोग कहते हैं गुटबन्दी नहीं है। यह एक संघर्षी जीवन है। जब दूसरे पहलवान से लड़ता है तो घर के अखाड़े में दम भरता है ताकि कहीं जाकर कमजोर न पड़ जाय। हम लोगों का संघर्षी जीवन है जब संघर्ष होगा तो संघर्ष ही बना रहेगा और आपस ही में संघर्ष बढ़े तभी जीतेंगे। मेरा और आप का भी संघर्ष मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अब क्या होगा? तो संघर्ष से ही कामयाबी होती है। मेरा सुझाव है कि मुझे रामायण की चौपाई याद आ गई "अर्क जवास पात बिन भयऊ, जिमि स्वराज्य खल उद्यम गयऊ"। लेकिन श्रीमन् आजकल यह उल्टी पड़ गई। "अर्क जवास फूल फल रहेऊ, जिमि स्वराज्य खल उद्यम भयेऊ"। मुझे ५ मिनट में ही बैठाया जा रहा है और जो संघ, को डेढ़, घंटा बोलने के लिये दिया जाता है। पुजारी के लिये १० मिनट और घर्न· धींगरों को डेढ़ घंटा।

[श्री टीकाराम पुजारी]

मैं कह रहा हूं फिर कहता हूं कि विश्वविद्यालय देख लीजिये जहां विश्व की समानता हो, और विद्यालय प्रेम विद्यालय भी होता है विश्व का तभी अच्छा होता है। आपने वृन्दाबन के विद्यालय का नाम सुना होगा। प्रेम विद्यालय के विद्यार्थी आज भी मौजूद हैं आचार्य जुगलकिशोर और प्रोफेसर कृष्णचन्द्र यह उसी विद्यालय के प्रोफेसर थे। जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहे थे। इस प्रेम विद्यालय के विद्यार्थियों ने सबसे बढ़कर आगे काम किया था, लेकिन यह कैसा प्रेम विद्यालय? यह तो गड़बड़ विद्यालय है। आक्षेप नहीं लगाता हूं, लेकिन कहता हूं कि देश का भला चाहते हो तो समानता प्रेम विद्यालय में ही लाइये और १० क्लास के बच्चों के लिये भी दरवाजा खुला होना चाहिये बड़े आदमियों तक ही सीमित न रखिये। इसलिये मैं कहता हूं संघर्षी जीवन होना चाहिये, न्याय के अन्दर, सत्य के अन्दर काम करना चाहिये तब देश का विश्वविद्यालय चल सकता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक की तीन मुख्य बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया गया है और मैं चाहूंगा कि मल रूप से इन तीन विषयों को ही विचारा जाय। माननीय पुजारी जी के बोलने के बाद हमारी मुद्रा भी बदल गई है। तो भी मैं यह चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर विषय है कि उस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। इस विधेयक में मुख्यतः वाइस-चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न, दूसरे उसके टर्म के सम्बन्ध में और तीसरे कार्यकाल की समाप्ति का प्रश्न है। उसके बाद छोटे-मोटे विषय हैं, लेकिन मुख्तयः उप-कुलपति की नियुक्ति का सिद्धान्त विवादास्पद रहा है और शिक्षा-विदों की समितियों तथा आयोग द्वारा उस पर चर्चा की गयी है। सुरथबहादुर शाह जी ने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट तथा मूथम कमेटी की रिपोर्ट की थोड़ी चर्चा की। उन दोनों में उप कुलपति की नियुक्ति के बारे में आपस में विरोध है।

१९२० में लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय इस प्रदेश में स्थापित होते रहे। प्रस्तुत विधेयक ५ बिश्वविद्यालयों से सम्बन्ध रखता है। उप-कुलपति विश्वविद्यालयों का एक्जिक्यूटिव हेड होता है। उसके बाद कोर्ट्स हैं, कौंसिल्स हैं और फिर कोर्ट तथा कौंसिल के बाद हमारा उप-कुलपति होता है। विश्वविद्यालयों में जा कर देखना होगा कि हमारी कोर्ट कैसे बनती है, कौंसिल कैसे बनती है और अभी तक नियुक्ति कैसे होती रही है।

यहां इस प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और बनारस हैं। उन में प्रथा भिन्न है और जो ५ विश्वविद्यालय हैं उनमें भी तीन में एक तरह की प्रथा है और दो में दूसरे तरह की। यह भी चर्चा की गयी कि जो प्रथा रखी जा रही है उससे यूनिवर्सिटी की आटोनामी में बाधा पड़ रही है। आदरणीय सदन इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि वर्तमान परिस्थिति में कौन-सा रास्ता ग्रहण किया जाय, दोनों पक्ष अपनी दलीलें देते हैं और दोनों में बल है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में कौन-सा रास्ता ग्रहण किया जाय इस पर हमें निर्णय लेना है।

जो प्रणाली एक्जिक्यूटिव कौंसिल द्वारा वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में अपनाई गई है पिछले २०–२५ साल से उसमें काफी सफलता मिली है और शाह जी ने ४,५ वाइस-चांसलरों के नाम लिये जिनकी बहुत ख्याति रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में नई व्यवस्था की गयी है। एक्सपेरीमेंटल स्टेज पर यह नई व्यवस्था है लिहाजा इस स्टेज पर यह उदाहरण तो मान्य नहीं हो सकता। २०–२५ वर्ष तक कोई सिद्धान्त जब तक देख न लिया जाय तब तक यह नहीं बतलाया जा सकता कि वह अनुकरणीय है या नहीं।

दिल्ली का पेटर्न शिक्षा विशेषज्ञ बतलाते हैं बहुत उत्तम है। वहां यह है कि तीन व्यक्तियों की एक उप-समिति रहती है जिनमें दो तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल से चुने जाते हैं और एक वहां के चांसलर का नामिनी होता है और यह तीन वाइस-चांसलर को चुनते हैं तब

कुलपति उसकी नियुक्ति कर देता है। यह प्रणाली इसलिये सबसे उत्तम बतलाई जाती है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल बहुत बड़ी संस्था होती है जिसमें करीब २०–२१ आदमी होते हैं— भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न संख्या है। तो २०–२५ की संख्या को हटा कर ३ की संख्या को मान लिया गया है और तीन आदमी चुनते हैं। दिल्ली की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में शिक्षा विशेषज्ञों का बाहुल्य है और उनकी चुनी हुई उप-समिति जो तीन की होती है उसमें दो शिक्षा विशेषज्ञ ही होते हैं और एक चांसलर का नामिनी होता है और इन तीन आदमियों के जरिये वाइस-चांसलर का चुनाव होता है। अगर २० आदमियों की समिति है तो इस विशिष्ट पद के लिये जो उसका प्रत्याशी हो इतने वोटर्स के पास जाय और उनसे वोट मांगे तो यह उसके गौरव के अनुकूल नहीं पड़ता, इसलिये छोटी संख्या—तीन की नियत की गयी। तीन आदमियों के पास अगर वह पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है, लेकिन वह संख्या ऐसी छोटी है कि वोट की प्रणाली की जो बुराई बतायी गयी है वह कम से कम हो जाती है और साथ ही साथ चुनाव में गुरुता आ जाती है। तो प्रजातन्त्र में जो वोट की खराबी है कि कभी-कभी अच्छे एलीमेंट्स नहीं आ पाते या कुछ लोग वोट मांगना पसन्द नहीं करते और साथ ही साथ जो कार्यकारिणी का बहुमत है उनके विचारों का प्रतिनिधित्व भी वहां है इसलिये दिल्ली की प्रणाली उत्तम मानी गयी है। हालांकि वहां भी खामियां आयी हैं, राव साहब जो वहां के उप-कुलपति थे उन्होंने जब त्याग-पत्र दिया था तो बताया था कि किस कारण से और किस तरह प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ था, तो वह तो एक कारण है, लेकिन उनके पहले और बाद को जो सारे उप-कुलपति हुये है बताया गया है कि उसमें कम से कम परेशानियां हुई हैं। इसलिये जहां तक हमारे देश में उप-कुलपति की नियुक्ति की व्यवस्था है दिल्ली की व्यवस्था सब से उत्तम मानी गयी है। इसके अलावा देश में और जगह, इलाहाबाद में पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल तय करती थी। पहले वोटरों की एक बड़ी संख्या जो ८० या सौ के करीब थी वह चुनती थी, लेकिन जब उसमें गड़बड़ियाँ देखी गयीं तो एक्जीक्यूटिव में यह विषय दे दिया गया। उसमें भी जब भाग-दौड़ शुरू हुई तो लोगों ने उसको पसन्द नहीं किया। डाक्टर राधाकृष्णन् और मूथम साहब ने भी बताया कि इतने बड़े पद के प्रत्याशी के लिये वोट मांगना अनुकूल नहीं पड़ता इसलिये यह संख्या कम की जाय, लेकिन कभी उन्होंने यह इशारा नहीं किया कि वोट की व्यवस्था बिलकुल न हो क्योंकि जब हमने प्रजातंत्र प्रणाली मानी है तो वोट तो होगा ही। अब वोट किन का हो? पढ़े लिखे लोगों का हो या सीमित लोगों का हो, इस पर विचारना है। मैं समझता हूं कि वोट की प्रणाली को बिल्कुल बन्द करना तो श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन सीमित कर देना जिसमें वोटर्स सावधानी के साथ निश्चय ले सकें अच्छा होगा।

हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों में गड़बड़ियां रही हैं इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसी कारण एक कमीशन भी नियुक्त हुआ है और सदन में भी बार-बार चर्चा हुई है। इसीलिये यह विधेयक भी प्रस्तुत हुआ है। वैसे साधारणतया अगर कोई वैसी परिस्थिति न होती तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक श्रेयस्कर नहीं होता और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं पड़ता। जिन विशेष परिस्थितियों में यह विधेयक आया है उनमें मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने अपने ऊपर बड़ा भारी दायित्व लिया है।

इस विधेयक में उप-कुलपति की नियुक्ति के लिये जो व्यवस्था है उसके अनुसार चांसलर का एक नामिनी होगा, हाई कोर्ट का एक नामिनी होगा और एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का नामिनी होगा। इस तरह से बहुमत हुआ गवर्नमेंट का। ये दो तो करीब-करीब प्रशासन से संबंधित होंगे और तीसरा एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होगा। तो इसमें सरकारी पक्ष का बाहुल्य होगा जिसके माने यह हुये कि यह उप-समिति मुख्य मंत्री और कैबिनेट के लोगों की इच्छा की द्योतक होगी। यही इस सदन में कहा भी गया है। तो जो शासन कहलाता है प्रजातंत्र में उसका दायित्व तो है कि सारी व्यवस्था को देखें और जहां गड़बड़ियां हों उनको

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

सम्हाले। इसलिये मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से जो विधेयक रखा है इसके द्वारा बड़ा भारी दायित्व है कि शासन की ओर से एक उप-कुलपति नियुक्त किया जाय, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की परिस्थिति देखें तो हर विश्वविद्यालय में एक न एक मसला उठता है। अगर मुख्य मंत्री जी ने यह निश्चय किया है कि यह दायित्व लें तो प्रजातन्त्र में इस दायित्व से भागने से तो काम बनता नहीं है। एक एक्सपेरीमेंट है, यह दायित्व लिया जा सकता है। इसका भला बुरा देखने के बाद ही फैसला हो सकता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में तमाम गड़बड़ियां होती रहें और इसलिये कि प्रजातन्त्र के नाम पर यूनिवर्सिटी की आटोनामी में हस्तक्षेप न हो, उसके नाम पर हम चुप बैठे रहें और प्रजातंत्र के नाम पर और जनता के प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं तो यह हमारे लिये स्थिति सही नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस सरकार का यह एक बड़ा बोल्ड स्टैप है। इसको प्रजातंत्र के चलाने वाले लोग इस दृष्टि से देखें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं तो समझता था कि इसमें समय की कोई पाबन्दी नहीं है और उसी के लिहाज से मैं चल रहा था।

श्री अध्यक्ष—अगर आप एक ही चीज को २५ बार कहेंगे तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप रिपीट नहीं कर सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन, क्या कुछ समय और नहीं मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष—यदि आप कोई नई बात कहेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—धन्यवाद, इसीलिये मैंने बताया कि जो व्यवस्था की गई है और जो जम्मेदारी हमारी सरकार ने अपने सिर के ऊपर ली है कि वह सभी को नियुक्त करेगी यह बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है और प्रशासन के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है उसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये बल्कि चारों ओर से इसका स्वागत होना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि वाइस-चांसलर का कार्यकाल बजाय ५ वर्ष के तीन वर्ष का हो। और दूसरी बात यह कि इस विधेयक के पास होने के बाद तत्काल उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा। मैं मान्यवर, यह महसूस करता हूं, कि अभी जो हाल में उपकुलपति की नियुक्ति हुई है, जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्त अभी हुई है उसका अगर कार्यकाल समाप्त हो जाय तो यह न्याय के अनुकूल नहीं पड़ता है। इसलिये इसमें ऐसा होना चाहिये जैसा वाइस-चांसलर के कार्यकाल को ५ साल से घटाकर ३ साल किया है उसी तरह इसको भी कुछ दिनों बाद समाप्त किया जाय। यदि ऐसा नहीं होता है तो दो, तीन महीने के समय में ही किसी के काम के बारे में बुरा-भला आंकना ठीक नहीं है। यह भी व्यवस्था है कि यदि कहीं विशेष परिस्थिति पैदा हो जाय तो तत्काल कार्यवाही की जा सकती है।

मान्यवर, एक बात और आई है और वह यह है कि पहले कोर्ट के सदस्यों, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के तीन बार के बाद समाप्त होने की व्यवस्था थी, लेकिन अब वह समाप्त कर दी गई है। जितने दिन चाहे कोई सदस्य रह सकता है, यदि वह चुनकर आ जाय। मैं चाहता हूं कि इसमें दिक्कतें भी हो सकती हैं। वैस्टेड इंटरेस्ट भी क्रियेट हो सकते हैं। इसके अलावा यह भी है कि इससे फायादा भी हो सकता है कि जो पुराने सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनसे विश्वविद्यालय को बहुत लाभ पहुंच सकता है, लेकिन प्रजातन्त्र में इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं मालूम होती है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसके बीच में कुछ गैप होना चाहिये।

मान्यवर, एक बात कह कर मैं आपकी आज्ञा लूंगा। इसमें ऐसा कहा है कि इच्छा का प्रकटीकरण वह है जब हम किसी काम को करते हैं तो इच्छा का प्रकटीकरण होता है। जैसे चांसलर है उसको इस बिल में डिसक्रीशनरी अधिकार दिये गये हैं। वह विश्वविद्यालय का हेड होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि चांसलर को पूरे-पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये। इसी तरह से चांसलर के नामिनी को पूरा स्वतन्त्र होना चाहिये। जब नाम जांय तो जो उस की इच्छा हो वही कर सके।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट बहुत ही उत्तम रिपोर्ट है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां मतभेद हो तो चांसलर उसको निश्चित कर दे और नामों के बारे में कोई बाइंडिंग नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि हमको मूथम कमेटी या दिल्ली विश्वविद्यालय को ही आधार लेना चाहिये। इस बिल में बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि इस जिम्मेदारी से पहले सोचना चाहिये कि इसको लिया जाय या नहीं। यदि हम समझें कि इसको लिया जाय तो इसको लेने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि शासन जिसके हाथ में है उसे जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन भलीभांति सोच समझ कर कदम उठायें। कौंसिल इतनी बड़ी संस्था है चुनाव में उसका बहुमत नहीं रहा। सरकार का बहुमत हो गया है तो इस तरह से जिम्मेदारी लेने से पहले एक बार और विचार करें और अगर ऐसा ही महसूस करें तो उसमें कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं आता है क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई इस तरह की आपत्ति होनी ही नहीं चाहिये और न हो सकती है।

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से इस बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर वाद-विवाद चल रहा है। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े ध्यान से माननीय सदस्यों की बातें सुनी। श्रीमन्, एक अफसोस की बात यह है कि जैसे नवलकिशोर जी ने एक उदाहरण दिया कि जब तक जनतन्त्र रहेगा गुटबाजी रहेगी और उसी के हिसाब से सब बातें होंगी। तो जहां यह भावना हो, मैं यह नहीं कहता कि विरोधी पक्ष कोई इससे बचा हुआ है, यानी जिस तरीके से विश्वविद्यालय विधेयक को लेना चाहिये था वह चीज नहीं है। "आर्ग्यूमेंट इज बीइंग गिवेन फार आर्ग्यूमेन्ट्स सक", तर्क के लिये तर्क दिये जा रहे हैं और यह बात विरोधी पक्ष की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, दोनों तरफ से है। सरकार की तरफ से जो मंशा है उसको छिपाकर एक बड़ा सुन्दर जामा पहनाकर के उसे दिखाया गया है और इधर से कल जो कुछ कहा भी गया है, उससे उल्टी बातें हो रही हैं और कहा यह जाता है कि साहब पार्टी के स्तर से हमें ऊपर उठकर बातें करनी चाहिये। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं चाहता। आज जो हमारे शिक्षालयों का गिरता हुआ स्तर है, उनकी दिनों-दिन हालत खराब होती जा रही है, तो आखिर वहां जो लड़के पढ़ने जाते हैं वह कांग्रेस के भी जाते हैं, विरोधी दलों के भी जाते हैं और जो किसी दल के नहीं हैं उनके भी जाते हैं। तो अगर उनका नैतिक स्तर गिरता है उससे सारे देश का पतन होता है। इसलिये यहां इस मसले पर डिबेटिंग मूड में बातें नहीं होनी चाहिये, लेकिन यहां पर बातें होंगी डिबेटिंग मूड में ही क्योंकि आदत कुछ ऐसी ही पड़ी हुई है। इसलिये अच्छा होता कि माननीय मन्त्री जी इसे सेलेक्ट कमेटी में जाने देते एक बार और कोई ज्यादा समय के लिये नहीं एक हफ्ता ज्यादा समय नहीं होता। इस बीच में वहां बैठ कर अच्छी तरह इसे सोच समझ लेते और फिर यह यहां आ जाता। सेलेक्ट कमेटी का एक बड़ा अच्छा वातावरण हमने देखा है। पिछली मर्तबा जब यह सेलेक्ट कमेटी में गया तो वहां सब बातें मजे-मजे में तय हो गईं जिनके ऊपर यहां इतना मतभेद था। इसलिये इसका वहां जाना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

दूसरी बात, श्रीमन, आज जो शासक दल है, जहां तक मुझे पता लगा है, अखबारों में बात छप चुकी है, उनके बीच में भी इसके ऊपर इत्तफाक नहीं है इस बिल के पास करने के बारे में। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है उनकी यह मांग है कि इस बिल पर ह्विप न रखा जाय, स्वतन्त्रतापूर्वक इसमें सबको वोट देने का अधिकार हो और भूतपूर्व मन्त्रियों ने जिसमें श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी का नाम छपा था यह मांग की है कि इस पर ह्विप न हो और माननीय कमलापति जी ने जो कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। तो कल तक जो शिक्षा मन्त्री थे और मुख्य मन्त्री थे वे तक इससे इत्तिफाक नहीं रखते और सरकार श्रीमन, वही है, कांग्रेस की ही सरकार है, बस 'ए की जगह बी' बैठ गया। तो कम से कम इसको ध्यान में रखते हुये एक जगह बैठकर इसपर अच्छी तरह विचार तो कर लें, और अपने साथियों का तो शंका-समाधान कर लें, जिनको कि आपने इतना जिम्मेदार समझा कि कल तक शासन की बागडोर उनके हाथ में दे रखी थी, इसलिये इसका सेलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है।

माननीय नवलकिशोर जी इस समय हैं नहीं। उन्होंने कुछ बातें कहीं। एक तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माननीय सुरथबहादुर शाह जी ने एक बात कही थी कि पहले बारह इन्टर्नल लोग होते थे एक्जीक्यूटिव कौंसिल में और ११ दूसरे होते थे, यानी प्रोफेसर्स का बहुमत था। तो आज यह दो बढ़ा देने से बहुमत उलट गया। उसपर माननीय नवल किशोर जी ने कहा और हिसाब समझाना चाहा कि नहीं नहीं, यह तो बराबर हुआ है। तो इस पर हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। असल में श्रीमन, मैथेमेटिक्स की बात चली। किसी ने कहा कि ११ और २ मिलाकर १३ होते हैं और किसी ने कहा कि १२ होते हैं। आप ने पद्धति ही ऐसी चलाई है कि एक पुराने पैसे में दो नये पैसे होते हैं और दो पुराने पैसे में तीन नये पैसे होते हैं। यह उनकी गलती नहीं बल्कि नई संख्या की गलती है।

एक चीज उन्होंने यह कही कि १४ वर्ष का समय ही सिर्फ हुआ है। इतने अल्पकाल में वह कुछ नहीं कर सके। वह समझते हैं कि यह समय बहुत कम है। इसको अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में ३० वर्ष के बाद आदमी बूढ़ा होने लगता है। यदि इतने लम्बे समय में वह कुछ नहीं कर सके तो फिर आगे आशा क्या की जाय? इस शिक्षा के विषय में माननीय नवलकिशोर जी को बड़ी शिकायत है और वह इसमें, सारे में तरमीम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पिछले जमाने में जो शिक्षा रही है उसी के अन्तर्गत गांधी जी पैदा हुये हैं, जवाहरलाल पैदा हुये हैं और रमण जैसे व्यक्ति पैदा हुये हैं। हमारे देश में जो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुये वह कम बुद्धि वाले नहीं थे। चाहे आप किसी विषय को ले लें उसमें आपको अच्छे बुद्धिमान लोग मिलेंगे। जिन्ना भी पिछले जमाने में अच्छे वकील हुये हैं। शिक्षा के विषय में राधाकृष्णन् हैं। जवाहरलाल जैसे भी उसी शिक्षा से आये हैं। यह ऐसे लोग थे कि इनके कम्पेरीजन में कोई नहीं बैठता है।

मैंने आस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर हमारे देश से लड़कों को विशेषज्ञ बनाने के लिये भेजा जाता है। जो यहां पर क्रीम समझे जाते हैं उनको ही वहां पर ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड रहा और उस पर जो उनका क्रटिसिज्म हुआ उसको देखकर हमको पता चलता है कि हम कितने अन्धकार में हैं। हमारे नवलकिशोर जी कहते हैं कि उनको सन्तोष नहीं है इस वजह से वह बदलना चाहते हैं। अब तो उनको मालूम हो गया कि उनके यहां जो पहले स्तर था वह गिर गया है और वह पहले का स्तर नीचा हो गया। जैसे-जैसे दवा करते जाते हैं वैसे-वैसे मर्ज बढ़ता जाता है, लेकिन जो आफत इस १९४६ के बाद आई है वह तो बहुत ही अधिक है। यह बिल्कुल सही और सत्य बात है। अब तो वही हाल है कि "रंगी को नारंगी कहें, कहें दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें देख कबीरा रोया।" देश में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा उठा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां की क्या हकीकत है मंत्री जी इस बात को सब जानते हैं, लेकिन सब चल रहा है।

अब यह बिल लाया गया। अगर किसी आदमी का कोई काम खराब है और सरकार भी समझती है कि उसने बुरा काम किया है उसके लिये तरीके हो सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के संबंध में यदि कुछ खराब काम है तो जो आपकी विजीटेशन कमेटी है जो मेडिकल कालेज की जांच करेगी वह इस काम को भी कर सकती है। वह कमेटी इसकी जांच कर सकती है। और उसमें जांच करने वाले अच्छे होशियार लोग हैं। अगर आप किसी को मुलजिम मानते हैं तो उसको सुनवाई का भी मौका होना चाहिये। यह जस्टिस का सिद्धान्त है। बिना सुनवाई के किसी मुलजिम को सजा नहीं दी जाती है। यह माना हुआ सिद्धान्त है। कैसी अजीब बात है कि कभी तो एक आदमी के लिये उधर से आवाज लगती है कि वह देवता है और कभी उसी आदमी को बताया जाता है कि वह खराब आदमी है। एक सज्जन के लिये दो बातें कही जाती हैं। कभी उसको सरस्वती देवी का अवतरित पुत्र मानते हैं और कभी खराब। आज उधर के बैठने वाले कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में अटोनोमी का ह्रास हो रहा है। सारा कांस्टीट्यूशन वही है और वही सब बातें हैं, लेकिन आज सब गड़बड़ ही नजर आ रही है।

मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा कि जब माननीय कैलाशप्रकाश जो भूतपूर्व मंत्रि-मंडल में शिक्षा उप मंत्री थे और आज उससे ज्यादा ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं। सरकार का उनको विश्वास प्राप्त है। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के तर्क को मैं यहां आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब माननीय कमलापति जी, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहां विधेयक लाये थे तो उन्होंने उस समय क्या कहा था उसे देखा जाय। पूरे शब्द तो वही नहीं हैं, लेकिन उनका अर्थ यही था जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज पर और ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल सरकार का रहना चाहिये क्योंकि १५ लाख रुपया लखनऊ और काफी इतना ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कर्ज कर लिया था। जिसे सरकार ने १९५८ तक अदा किया, लेकिन उस के बाद १७, १८ लाख रुपया लखनऊ ने और तीन लाख इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फिर कर्ज कर लिया। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा क्योंकि मारेली तो हमको वह रुपया देना ही चाहिये और अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाय तो सब सरकार को ही गाली देंगे। कैलाशप्रकाश जी ने बड़े जोरदार शब्दों में यह तर्क दिया था और विरोध करते हुये कहा था कि विश्वविद्यालय आज देश की सर्वोच्च संस्थायें हैं और उनकी आटोनामी हम आवश्यक समझते हैं। उनकी स्वतंत्रता तभी कायम रह सकती है जब कि उनके खजाने पर उनका ही अधिकार हो। उनको अपने नियम बनाने का अधिकार हो, और उनको चालू रखने का अधिकार हो, यानी स्टैट्यूट्स भी कैलाशप्रकाश जी यूनिवर्सिटी को देना चाहते थे। यह २४ अगस्त, १९५९ की प्रोसीडिंग में उनके शब्द हैं। इस के साथ साथ इस नियम के अनुसार अगर कोई अफसर या बाडी को सदस्यता से निकालना हो तो उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाय। यह बड़ी पुरानी व्यवस्था है। उस समय वाइस-चांसलर के एप्वाइंटमेंट और किसी खास परिवर्तन का सवाल नहीं था। सवाल कुछ बाडीज का था और उनको आज सरकार ने नहीं छुआ है। केवल डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ और कुछ इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल्स को जोड़ने की बात है। पुराने जो मंत्री थे आज वह फिर मंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान हैं। अब मैं क्या कहूं। कल तक कुछ कहा, आज भूल गये। अगर उन्हें अटैक करना था, अगर उसमें खराबी थी....

श्री रामस्वरूप यादव—आप उस बयान को फिर पढ़ लें। ऐसी चीज उसमें नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय मंत्री जी फरमा रहे हैं कि मैं पढ़ कर आऊं। मैं तो पढ़ता ही रहता हूं। हमारे हाथ में तो ताकत नहीं है, हमारे पास दरबारदारी नहीं होती, चपरासी रहते नहीं, किसी को कोई रोकने वाला नहीं रहता, सारे दिन लाइब्रेरी में कुछ पढ़ता ही रहता हूं और कोई दूसरा काम नहीं है। श्रीमन्, भी देखते रहते हैं कि सुबह से शाम तक इसी कुर्सी पर बैठा रहता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह—वे दूसरों पर निर्भर हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—खैर, इतना काफी है । अक्लमंद को इशारा काफी है । अब नवलकिशोर जी ने एक नई बात कह दी। सरकारी पक्ष से एक उन्हीं का भाषण हुआ है जिसे मैं काटना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि आप उनके तर्कों को काटें, उनको न काटें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अगर उनका निजी सवाल होगा तो उन को बचाने के लिये मैं अपने को कटाना पसन्द करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—इसलिये आप उन के तर्कों पर ही टीका कीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं तर्क से बाहर तो जाता ही नहीं । मैं समाजवाद में विश्वास नहीं करता जो झगड़े में पड़ूं कि कैं तरह के समाजवाद हैं । उन्होंने जो कहा कि छुई मुई नहीं है और उदाहरण के लिये मूथम कमेटी की बात कही । आप देखें कि वह एक ऐसी जगह है कि जिसे जो चाहिये उसे वह उसमें मिल जाता है,लेकिन आफत यह है कि सब अपने अपने मतलब की बात उस में से पढ़ जाते हैं । माननीय नवलकिशोर जी ने भी बड़े जोर से १४४ सफे का हवाला दिया और उसे पढ़ा और कहा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने यह नहीं पढ़ा, वह नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा, वह भी केवल अपने मतलब की बात रख कर पढ़ा । पहले मैंने सोचा कि शायद वह ठीक पढ़ रहें हैं, लेकिन जब देखा कि आगे वे नहीं पढ़ रहें हैं तो कहा कि कुछ शब्द छूट गये हैं । जवाब मिला कि उन्हें आप पढ़ दीजियेगा । तो श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी ने जो पढ़ा पूरी बात नहीं पढ़ी । कुछ शब्दों को छोड़ कर पढ़ा । जिस पेज को उन्होंने पढ़ा उसी को मैं भी पढ़ रहा हूं । वह इस प्रकार है—

"The impossibility of absolute University autonomy :

....The position at Cambridge in the eighteenth century when a Professor of Mathematics could neglect his duties for 38 years (*a*) would not now be tolerated by the Government of any civilised country. The argument that a university should be completely autonomous implies that it possesses a monopoly of wisdom, a claim which not even its most fervent supporters would, we think, venture to make. It does not of course follow that the State is entitled to intervene in University affairs whenever it feels so disposed; that is a contention which is equally untenable."

उसके बाद श्रीमन्, जो उन्होंने पढ़ा था वह भी आधा ही पढ़ा । उसे भी मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं । दूसरे पेज पर है । वह यह है—

"Nature of the State's right to intervene in a universitys affair's :

....The rejection of the extreme view that a university has an indefeasible right to manage its own affairs as it likes implies that the State has in certain circumstances the moral right to intervene. Its legal power to do so is of course beyond dispute. Excluding those instances when a university may itself ask the State to amend the enactment by which it is constituted, the State's power of intervention should in our opinion be exercised only in extreme circumstances and as the last resort ; and when it does so intervene it should endeavour to limit the exercise of its powers to the removal of obstacles which can be got rid of in no other way".

श्री अध्यक्ष—मैं इस तरह से पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा कि आप एक पेज पूरा पढ़ जायें और फिर उसका हिन्दी में ट्रान्सलेशन करें । आप उसे घर से पढ़ कर आइये और हिन्दी में उसे यहां पर संक्षेप में कह दीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उसको हिन्दी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से नहीं। आप को पढ़ कर उसे घर से ही आना चाहिये था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो श्रीमन्, इसमें यह है कि सरकार विश्वविद्यालयों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कब ? जब वह स्वयं सरकार से कुछ मामलों में कोई कानून वगैरह बनाने के लिये कहें। जब वह कहे तभी सरकार को कोई कानून वगैरह बनाना चाहिये। तो इस तरह से हस्तक्षेप करने का हक है, लेकिन जब उसके लिये वहां से कहा जाय। वह कहे कि कोई कानून को आप सुधार दें तभी सरकार को उसे ठीक करना चाहिये और फिर एक्सेप्शनल केसेस में। मगर यहां क्या होता है, सन् १९५४ में संशोधन हुआ, सन् १९५७ में संशोधन हुआ, सन् १९५९ में हुआ और अब फिर यह विधेयक हमारे सामने है। हर वक्त इमरजन्सी की बात कही गई। इतनी जल्दी-जल्दी इमरजेन्सी आ जाती है, यह बात समझ में नहीं आती। जो आदमी कल सबसे अच्छा था, सबसे योग्य था, उसके निकालने के लिये रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर है। क्या तरीका है ? मेरे सीने पर अगर मक्खी बैठ जाय तो उसे मारने के लिये मुझ पर गोली चलाई जाय ? इससे मक्खी तो नहीं मरेगी मगर मैं मर जाऊंगा।

मैं उस आदमी की वकालत नहीं करता हूं और न की, लेकिन एक स्थान पर ऐसी गलती हो जाय तो उसके लिये सारी यूनिवर्सिटी में सब को एक ही ब्रश से टार कर दिया जाय, तारकोल पोत दिया जाय, यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना इंटरफियरेंस न मूथम ने बतलाया और किसी और कमीशन ने बतलाया और जो बातें पढ़ी गयीं वह आधी-आधी पढ़ दीं।

एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात शुरू कर दी, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाता। वहां के रहने वाले रामायणराय जी एक पोथी लाये हैं और कहते हैं कि बड़े रहस्योद्घाटन हुये हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत ऊंचे आदमी हैं। वह यह चाहते थे कि हम सबकी ओर से उन्हें एक सार्टिफिकेट मिल जाय कि इस यूनिवर्सिटी में सब काम बढ़िया है। दो, चार आदमी छांटे जाने वाले थे, लेकिन हम उसमें नहीं बुलाये गये। वह चाहते थे कि मुहर हर पार्टी की लग जाय और वहां जाकर कागजात की कुछ जांच करें और सार्टिफिकेट दे दें कि यह बड़ा ईमानदारी का काम है। मेरी उनसे जान-पहिचान नहीं। डेढ़ साल की बात है।

दूसरे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है, प्रमाण के रूप में किसे कह दूं ? इतने साल से पुरानी प्रथा के अनुसार जो गांधी जी, नेहरू, बड़े-बड़े विद्वान और बड़े-बड़े लेखक निकल जाते हैं उसको तो एक दम गाली दे दें और दूसरी को सर्वोत्कृष्ट मान लें। मैं मानता हूं कि अच्छी हो सकती है, लेकिन गोरखपुर में तो दो-चार साल से एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर काम हो रहा है, वहां तो शक हो रहा है, शक ही नहीं है बल्कि शिकायत भी आई है कि वहां भी जाति-पांति सी हो गई है, तो उसका प्रमाण देना कहां तक उचित होगा। फिर अगर गोरखपुर में हमने वह सिस्टम रखा तो बाकी जगहों में, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ वगैरह में क्यों नहीं किया गया, जबकि बहुमत है ? तो वह तो खाली एक्सपेरिमेंटल चीज थी गोरखपुर की।

अब माननीय मंत्री जी का नवलकिशोर जी ने समर्थन किया कि हमने रिमूवल की क्लाज रखी है या तो वाइस-चांसलर पागल हो जाय, दीवालिया हो जाय या उसको सजा हो जाय। वाइस-चांसलर बना नहीं सके और कामना क्या कर रहे हैं कि पागल हो जायगा। पागल हो जायगा तो क्या बैठा रहेगा ? कोई घटना ऐसी सुनने में नहीं आई है कि वाइस-चांसलर पागल हो गया तो किसी को डंडा लेकर उसने आने नहीं दिया, इसलिये ऐसी परिस्थिति आयेगी। यह जो रखा है कि दीवालिया करार दिया जाय, कोई ऐसा काम किया हो बदमाशी का कि सजा हो गई हो, यानी एक शिक्षा के मंदिर में एक देवता की प्रतिष्ठा करते हैं और कामना करते हैं कि इसको

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सब निकालेंगे जब यह पागल हो जायेगा ! धन्य हो जब वह दीवालिया हो जायगा ! कोई इलेक्शन है, कोई ऐसा आफिस है जिसके लिये यह कहा जाय कि पागल या दीवालिया हो जाय तो निकाला जायगा । ये इलेक्शन की बातें वहां फिट करना जो कि पालिटिक्स से संबंधित हैं, क्या यह माने नहीं रखती हैं कि पालिटिक्स को वहां ले जाओ ? यह स्वरूप विश्वविद्यालय का, उस वरदायनी शिक्षा माता का नहीं है । अगर वह अपूर्ण चित्र है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन यह कल्पना उचित नहीं है ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—टैगोर किस यूनिवर्सिटी के थे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—विश्व की यूनिवर्सिटी के थे ।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से आपस में बात न करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अब सवाल यह है कि एक चीज उन्होंने कही, भाई नवल किशोर जी ने कि जब पिछले वर्ष नया ऐक्ट आया तो जो पुराने पद कांस्टीट्यूटेड थे उनके लिये सिद्धान्त स्वीकार कर चुके हैं कि ७ दिन में खत्म कर दिया, केवल ७ दिन का कार्य काल था, तो आज जब ढाई-ढाई साल अपने पदों पर बने रह गये तो अब उनको खत्म करने में परहेज क्या ? यह तर्क उन्होंने दिया । अगर कोई कहे कि कल मुझे ६ महीने की सजा हुई थी इसलिये मेरे पड़ोसी को आज दो दिन की सजा क्यों न हो जाय, यह कोई तर्क है ? कल हमने बड़ा गुनाह किया था और आज छोटा कर लिया तो जज से जाकर कहें कि कल मैंने कत्ल किया था तो आपने कालापानी कर दिया, आज मैंने चोरी ही की है तो आप सजा क्यों देते हैं ? ऐसे तर्क रखना मैं नहीं समझता कहां तक उचित है ।

श्रीमन्, सारी खराबी विश्वविद्यालयों में राजनीति की वजह से ही है । आप कितना ही अच्छा कानून क्यों न बनायें, लेकिन जब तक उसको इम्पलीमेंट करने के लिये अच्छे आदमी नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं हो सकेगा । आप इससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्स लगायें, लेकिन अगर आप वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो सरकार को आगे आना चाहिये और विरोधी पक्ष को भी । श्रीमन्, चुनाव आता है तो यूनिवर्सिटी के लड़कों और अध्यापकों का दुरुपयोग होता है । सरकार कहती है कि विशेष परिस्थितियां आ गई हैं इसलिये हम रुक नहीं सकते, कमीशन वगैरह की रिपोर्ट के लिये इन्तजार नहीं कर सकते । अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो फिर सबसे पहले लड़कों का राजनीति से अलगाव जरूरी है । आप अध्यापकों को एम० एल० एज० और एम० पीज० होने से रोक दीजिये ताकि वह राजनीति में हिस्सा न ले सकें .....

श्री अध्यक्ष—आप श्री अवस्थी जी के लिये ऐसी बात न कहें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं उनकी काब्लियत की तारीफ करता हूं । अगर वह यहां न होते तो महाभारत कहां सुनने को मिलती । कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता, जनसंघ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं । श्रीमन्, अध्यापक हमारे गुरू होते हैं, उनका दर्जा सबसे बड़ा होता है । कोई चीफ मिनिस्टर हो, उसका भी गुरु और लीडर आफ दि अपोजीशन का भी गुरु । इसलिये यह अच्छा नहीं मालूम होता कि वह यहां आकर हमारे साथ विवाद करें, हम उनसे दलील करें और झगड़ें—उनका कहना तो हमारे लिये आज्ञा होनी चाहिये । अगर गुरु को पुरानी प्रतिष्ठा पर बैठाना है तो उनको अलग रखना चाहिये । हाँ, यह जरूर है कि वह भूखे न रहें, उनकी तनख्वाह हमें बढ़ानी चाहिये और उनके लिये हमें सब प्रबन्ध करना चाहिये, लेकिन राजनीति में फंसाकर उनको रौरव नरक में नहीं डालना चाहिये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि एलेक्शन में किसी विद्यार्थी का भाग लेना आफेंस बनाया जाय । कोई पार्टी अगर किसी विद्यार्थी या किसी अध्यापक की मदद चुनाव में ले और वह अच्छी प्रकार से साबित हो जाय—क्योंकि श्रीमन्, ऐसा भी हो सकता है कि विरोधी

पक्ष वाले किसी लड़के को खड़ा कर दें और कह दें कि इसने मदद की, कन्वेसिंग की इसलिये जरूरी है कि अच्छी प्रकार से यह बात साबित होनी चाहिये--तो वह उम्मीदवार डेबार कर दिया जाय ।

तीसरी बात श्रीमन्, यह कि किसी भी पार्टी के नेता के लिये यूनिवर्सिटी कैम्पस में जाने की इजाजत न हो। उनके वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश का सर्वनाश इसलिये हो रहा है। कोई पी० एस० पी० का है तो उसकी पीठ पर त्रिलोकी बाबू का हाथ है, कोई जन संघ का है तो उसकी पीठ पर हमारा हाथ है, मैं अपने को भी शामिल करता हूं, कोई कांग्रेस का है कि तो उसकी पीठ पर चरणसिंह जी का या मुख्य मंत्रीजी का हाथ है। इसी प्रकार औरों की बात है। मैं अपने को अछूता नहीं कह रहा हूं। रफी साहब के साथ हमने कांग्रेस छोड़ दी चूंकि सिद्धांत की बात थी। तीन बार जेल जाने वाले ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कोई दिक्कत का सवाल नहीं था।

टीचर्स को वोट का अधिकार देने की बात है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उन्हें मत देने का अधिकार हो, इसके लिये बड़ा जोर हो रहा है विरोधी पक्षों से भी और कुछ कांग्रेस के लोगों की ओर से भी। यह गलत है। बहुत से विद्वानों ने भी तसलीम किया है कि जो बाइस-चांसलर टीचरों द्वारा छांटा जावेगा, वह उन अध्यापकों का बनाया हुआ होगा। वह प्रोमोशन में तरजीह किसको देगा ? जो टीचर सबसे ज्यादा वोट उसके लिये लाया। तो अध्यापक उसके ऊपर हावी होगा। इसलिये अध्यापकों को वोट का अधिकार मत दो, छीन लो, लेकिन उनके खाने-पीने और शिक्षा दीक्षा इत्यादि की व्यवस्था करो, सब आराम दो। परन्तु बाइस-चांसलर का चुनाव उनके द्वारा नहीं होना चाहिये। उदाहरणस्वरूप, हम लोग ४३१ माननीय सदस्य, जिनमें मैं भी हूं, अपने सीने पर हाथ रखकर बतावें कि कोई आदमी जो बहुत गुंडा है और उसके हाथ में वोट हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि तू गुंडा है। हम नहीं कह सकते। सीधी उंगली घी नहीं निकलता है। लेकिन टेढ़े आदमी से सब डरते हैं। अगर हम वोट की प्रथा शिक्षा के पवित्र मंदिर में रखेंगे तो कितना अनर्थ होगा ? उसकी एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है। क्यों नहीं हम एक सिद्धान्त मान लें कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर वाइस-चांसलर हो ? वह आटोमैटीकली हो जायगा। इससे प्रोफेसरों को अपना काम ज्यादा दिलचस्पी का और प्यारा होगा, और इलेक्शनबाजी के झंडे से वे दूर रहेंगे। एक ही यूनिवर्सिटी में माननीय मंत्री जी एक्सपैरीमेंट के तौर पर यह करके देखें। सबमें एक साथ न करें। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। यह तो देश को उन्नत करने की बात है, जिसे हम सभी चाहते हैं ।

जहां एकैडेमिक कौंसिल का सवाल है, वहां पर उनके सिलेबस का सवाल है कि क्या पढ़ाया जाय, कैसे रिसर्च की और सारी व्यवस्थायें होंगी, कैसे उनका परिमार्जन होगा, वहां पर एक फारेनर न रहे। वहां पर उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये, उनको पूरी छूट होनी चाहिये, उनको पूरा हक होना चाहिये कि वह जिस आदमी को चाहें उसको चुनें।

श्रीमन्, मैं यहां पर एक बात और कह देना चाहता हूं।.....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१५ मार्च, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

सूची

नवम्बर २२, १९५९ की सार्वजनिक निर्माण विभाग के निष्कासित कर्मचारियों की बैटक में पारित कर्मचारियों की मुख्य मांगे :—

(अ) जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड द्वारा सेवा समाप्त की जाने की नोटिस दी गयी है वे वापिस ले ली जायें।

(ब) जब तक सरकार इस संबंध में निर्णय न दे, नोटिस देकर निकाले गये कर्मचारियों को विभाग में रहने दिया जाये।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

उत्तर

सूचना विभाग द्वारा 'ग्राम्या' हिन्दी साप्ताहिक, "त्रिपथगा" हिन्दी मासिक, "उत्तरप्रदेश" अंग्रेजी मासिक तथा "नयादौर" उर्दू मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।

वर्ष १९५९–६० में प्रत्येक पत्रिका के प्रत्येक अंक की औसत मुद्रण संख्या क्रमशः ४,६१९, ३,८४६, ३,२०७ तथा ३,५७४ थी।

वर्ष १९५९–६० में ग्राम्या से १९,२०५.८३ रुपये त्रिपथगा से १४,२९८.३७ रुपये, उत्तरप्रदेश से ४९९.०० रुपये तथा नयादौर से १,२८६.२५ रुपये आय हुई।

१९५९–६० में ग्राम्या पर होने वाला वार्षिक व्यय ४५,६२६.६४ रुपये था। त्रिपथगा पर वार्षिक व्यय ५४,३६७.३६ रुपये, उत्तरप्रदेश पर वार्षिक व्यय ६,९६९.१९ रुपये तथा नयादौर पर वार्षिक व्यय ८,५३०.२६ रुपये था।

अन्य किसी विभाग की कोई पत्र-पत्रिका सूचना विभाग के माध्यम से बिक्री हेतु प्रकाशित नहीं की जाती है।

हजरतगंज स्थित सूचना साहित्य की दूकान ११ नवम्बर, १९५५ को खोली गयी थी। इससे वर्ष १९५७–५८ में ११,९०६.४५ रुपये की बिक्री हुई तथा ५,६२०.६७ रुपये व्यय हुआ। वर्ष १९५८–५९ में १६,१४०.०९ रुपये की बिक्री तथा १४,५२३.८१ रुपये का व्यय हुआ। वर्ष १९५९–६० में २१,३८२.८९ रुपये की बिक्री तथा १७,७४६.५८ रुपये व्यय हुआ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

कारखानों की सूची

१—कानपुर रोलिंग मिल्स लिमिटेड ।
२—जे० के० रेआन फैक्ट्री ।
३—म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।
४—न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।
५—एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।
६—सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ।
७—एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड नं० २।
८—जे० के० आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड।
९—एथर्टन वेस्ट कम्पनी लिमिटेड।
१०—कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड ।
११—गनेश फ्लोर मिल्स ।
१२—जे० के० काटन एन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी (पं) लिमिटेड।
१३—स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड ।
१४—लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड।
१५—सिंह इंजीनियरिंग बर्क्स लिमिटेड नं० २ ।
१६—कानपुर रोलिंग मिल्स नं० २ ।
१७—मोतीलाल पदमपत् आयल मिल्स ।
१८—माहेश्वरी देवी जूट मिल्स लिमिटेड ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३०० एल० ए०—१९६१—८४५ ।